लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड ३२, १९५९/१८८१ (शक)

[३ से १४ अगस्त १९५९/१२ से २३ श्रावण १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 18/11/89
Parliament Library

आठवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३२ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला—खण्ड ३२—अंक १ से १०—३ अगस्त १९५९/१२ श्रावण, १८८१ (शक) से १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक)]

अंक १—सोमवार, ३ अगस्त, १९५९/१२ श्रावण, १८८१ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ३, ४५, ४, ५, ७ से १२, ४३ और १३ से १५	२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	२६—४२
तारांकित प्रश्न संख्या ६, १६ से ४२, ४४, ४६ और ४७ . .	
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४७ और ४९ से ७५ . .	४२—७३
निधन सम्बन्धी उल्लेख—	
स्थगन प्रस्ताव—	
१. केरल	७४—७५
२. चीनी का संभरण . . .	७६—७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७७—८३, ९०
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८३
संसदीय समितियां—कार्य सारांश	८३
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
भारत का राज्य बैंक (संशोधन)—विधेयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	८४
विधेयकों पर साक्ष्य	८४
तारांकित प्रश्न संख्या १९४५ के उत्तर की शुद्धि	८४—८५
भारत पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य	८५—८७
समिति के लिये निर्वाचन—	
लाभ पद सम्बन्धी समिति	८७—८८
समवाय (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवदन क उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना	८८—८९
शस्त्र विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय बढ़ाया जाना	८९

पृष्ठ

विधेयक पुरस्थापित—

(१) राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ८९

(२) वक्फ़ (संशोधन) विधेयक ९०

(३) सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) संशोधन विधेयक ९०

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक ९१—११८

विचार करने का प्रस्ताव ९१—११७

खण्ड १ से १३ ११७–१८

पारित करने का प्रस्ताव ११८

काम दिलाऊ दफतर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८—२६

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन १२६

दैनिक संक्षेपिका १२७—३६

अंक २—मंगलवार, ४ अगस्त, १९५९।१३ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४८ से ६० , ६२, ६३ . . . १३७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१, ६४ से १०३ . . . १६१—८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ से १५८ . . . . १८२—२१२

प्रश्नों के उत्तरों में शुद्धि २१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१९—२३

तारांकित प्रश्न संख्या १७७० के उत्तर की शुद्धि २२३–२४

रेलवे महाखण्डों के लिये मंत्रणादाता समितियों के बारे में वक्तव्य २२४

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन २२५

काम दिलाऊ दफ्तर (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) विधेयक २२६—४२

विचार करने का प्रस्ताव—

खण्ड २ से १० और १ २३५—४२

पारित करने का प्रस्ताव २४२

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक २४२—६५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—

दैनिक संक्षेपिका २६५—७६

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, ५ अगस्त, १९५९।१४ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या १०४ से १०९ और १११ से १२० २७७–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१ से १५४ ३०३–३२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६९, १७१ से २४८ और २५० से २५७ ३२१–६८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३६८–७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३७३–७७

विधेयक पर राय ३७७

कलिंग एयर लाइन्स के डकोटा की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३७७–७८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—छियालीसवां प्रतिवेदन ३७८

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर की शुद्धि ३७९

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

खण्ड २ से ४१ और १ ३७८–४०९

पारित करने का प्रस्ताव ४०९

दहेज निषेध विधेयक ४०९–४२०

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—

बोलानी ओर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा ४२०–२५

दैनिक संक्षेपिका ४२६–३६

अंक ४—गुरुवार, ६ अगस्त, १९५९।१५ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न *संख्या १५५, १५६, १५८ से १६५, १९२ और १६६ से १७० ४३७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७, १७१, से १९१ और १९३ से २०० ४६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से ३३६ ४७३–५०७

स्थगन प्रस्ताव—

तिब्बत में भारतीय व्यापारी ५०७–०९

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ५०९–१०

पृष्ठ

विषय सूचि (क्रमशः)

सभा पटल में रखे गये पत्र	५१०–११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता	५११–१२
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	५१२–१३
दहेज निषेध विधेयक	५१३–४७
भारत के जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	५४७–६५
दैनिक संक्षेपिका	५६६–७२

अंक ५—शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५९।१६ श्रावण १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न *संख्या २०१ से २०५ और २०७ से २१९	५७३–९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०६ और २२० से २४०	५९७–६०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ४२१	६०७–४७
अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	६४७
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पश्चिम खान देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की गिरफ्तारी	६४७–४८
(२) पांडिचेरी की स्थिति	६४८–४९
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में	६४९–५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६५७–५९
सभा का कार्य	६५९
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—पुरस्थापित	६५९
फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	६६०–७१
सार्वजनिक वक्फ़ (अवधि का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७१–७२
खंड १ से ४	६७२
पारित करने का प्रस्ताव	६७२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छियालीसवां प्रतिवेदन	६७३

विषय सूची (क्रमशः) पृष्ठ

अंग्रेजी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में संकल्प—
वापस लिया गया ६७३—६५
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६६५
दैनिक संक्षेपिका ६६६—७०२

अंक ६—सोमवार, १० अगस्त, १९५९।१९ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न *संख्या २४१, २४२, २४४ से २५०, २५२ से २५४ और २५६ से २५८ ७०३—२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५५, २५९ से २८५ ७२९—४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२ से ४४८ और ४५० से ५१४ ७४३—९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र ७९२—९६
शस्त्र विधेयक ७९६
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन
(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य
दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में वक्तव्य ७९६—९७
पांडिचेरी की स्थिति के बारे में वक्तव्य ७९७—९८
समिति के लिए निर्वाचन ७९८
राष्ट्रीय सेना छात्र दल के लिए कन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड—
सभा का कार्य ७९८
सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७९८—८३९
कार्य मंत्रणा समिति—
चालीसवां प्रतिवेदन ८३९
दैनिक संक्षेपिका ८४०—४९

अंक ७—मंगलवार, ११ अगस्त, १९५९।२० श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न *संख्या २८६—२९७, ३००, ३०१ और ३०४ ८५१—७६

विषय सूचि—(क्रमशः) पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९८, २९९, ३०२, ३०३ और ३०५ से ३३१ ८७६–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१५–५९६, ५९८ और ५९९ ८९०—९२२

स्थगन प्रस्ताव—

हावड़ा और हुगली जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान ९२२–२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९२३–२४

सदस्य की रिहाई ९२४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के बारे में याचिका ९२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

तिब्बत में भारतीय राष्ट्रजन ९२५–२६

सभा का कार्य ९२६

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन ९२७

वक्फ (संशोधन) विधेयक ९२७—३४

विचार करने का प्रस्ताव ९२७—३३

खण्ड २ से ४ और १ ९३३–३४

पारित करने का प्रस्ताव ९३४

राजस्थान तथा मध्य प्रदेश (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९३४—४९

विचार करने का प्रस्ताव ९३४—४९

खंड २ से १७ और १ तथा पहली और दूसरी अनुसूची ९४९

पारित करने का प्रस्ताव ९४९

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक ९५०—५५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९५०—५४

खंड २ से १० और १ ९५४

पारित करने का प्रस्ताव ९५५

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक ९५५—६६

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव, ९६७—७४

दैनिक संक्षेपिका

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, १२ अगस्त, १९५९।२१ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ३३४ से ३४५, ३४७, ३४९ और ३५१ ९७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १०००—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४६, ३४८, ३५० और ३५२ से ३८० १००२—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०० से ७०७ १०१६—६२

स्थगन प्रस्ताव—

१. पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य १०६२–६३

२. लंका पुलिस द्वारा बेटन चार्ज १०६३—६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०६६

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक–पुरस्थापित १०६७

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधे यक १०६७—७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव १०६७—७०

खण्ड २ से ६५ और १ १०७०—७४

पारित करने का प्रस्ताव १०७५

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक १०७६—९५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव १०७६—९३

खण्ड २ से ३६ और १ १०९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव १०९४–९५

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव १०९५—११०१

दैनिक संक्षेपिका ११०२—०९

अंक ९—शुक्रवार, १३ अगस्त, १९५९।२२ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न* संख्या ३८१, से ३८७, ३८९ से ३९३, ३९५ और ३९६ ११११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८८, ३९४ और ३९७ से ४३३ ११३४—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०८ से ८०४ ११५१—९०

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ११९०

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ११९०—९३

(१) लद्दाख, सिक्कम और भूटान की मुक्ति के बारे में चीन का कथित वक्तव्य ।

(२) आयात किये गये गहूं का दूषित हो जाना

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११९३–९४

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें ११९४

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका ११९५—१२०९

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक

विचार के लिये प्रस्ताव

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १२०९—२४

दैनिक संक्षेपिका १२२५—३२

अंक १०—शुक्रवार, १४ अगस्त, १९५९/२३ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४३४ से ४३९, ४४२ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ से ४५४ १२३३—५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४०, ४४१, ४४७, ४५१ और ४५५ से ४६० १२५८—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८८२ और ८८४ से ८८९ १२७७—१३०९

स्थगन प्रस्ताव १३१०

लंका की पुलिस द्वारा कुछ भारतीय राष्ट्रजनों पर बटेन चार्ज के बारे में लंका के प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३१०

सभा का कार्य १३११–१२

कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य १३१३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३१४—१६

काश्मीर की बाढ़ के समय भारतीय सेना की सहायता १३१३

चीनी के मूल्य में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव १३१६—४८

विधेयक पुरस्थापित १३४८—५१

(१) श्री प्रकाश वीर शास्त्री का पिछड़ी जातियों (धार्मिक संरक्षण) विधेयक, १९५९ ।

विषय सूचि (क्रमशः)

पृष्ठ

(२) श्री अजित सिंह सरहदी का विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५९ (धारा २४ का संशोधन)

(३) श्री अजित सिंह सरहदी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ८१, ८२, ८६ और ११६–क का संशोधन तथा धारा ८८ और ८९ का लोप)

(४) श्री अजित सिंह सरहदी का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधयक, , १९५९ (धारा ४८८ का संशोधन)

(५) श्री झूलन सिंह का अनुचित विलम्ब और भ्रष्टाचार की पूर्वधारणा विधेयक, १९५९ ।

(६) श्री त० ब० विठ्ठल राव का कैथोलिक चर्च परिसर तथा पादरी संघ (राजनैतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक, १९५९ ।

(७) श्री त० ब० विठ्ठलराव का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (नई धारा ७ : क का रखा जाना) ।

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक १३५१

राय जानने के लिये नियत समय को बढ़ाने का प्रस्ताव

समान पारिश्रमिक विधेयक १३५२—५५

परिचालित करने का प्रस्ताव

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक १३५५—५७

(धारा १०७, १०९ और ११० का लोप तथा धारा १६१ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव १३५७—७८

दैनिक संक्षेपिका १३७८—८६

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, १२ अगस्त, १९५९

२१ श्रावण, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विमान दुर्घटनायें

+

†*३३४. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री निम्न जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १ मई, १९५९ से हुई विमान दुर्घटनाओं का ब्यौरा जिनमें एयर इंडिया इन्टरनेशनल और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना का कारण; और

(ग) प्रत्येक दुर्घटना में हुई क्षति का अनुमान ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). में आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि २७ मई, सन् १९५९ को दिल्ली--कराची रूट पर एक्सीडेंट हुआ था और इसमें लिखा है कि—दी एक्सीडेंट इज अंडर इनवेस्टीगेशन। मैं जानना चाहता हूं कि यह एक्सीडेंट २७ मई को हुआ था और अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आयी है इसका क्या कारण है ?

†मूल अंग्रेजी में

167 (Ai) LSD.—1.

श्री मुहीउद्दीन : अभी तो सिर्फ ढाई तीन महीने हुए हैं । यह इनवेस्टीगेशन बहुत टैकनिकल होते हैं। मेरे ख्याल में इस मामले में हमें जरा सब्र से काम लेना चाहिए। ताकि रिपोर्ट करने वालों को काफी वक्त गौर खौज करने के लिए मिल जाए।

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि काफी सब्र करना चाहिए। क्या तीन महीने का वक्त थोड़ा होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बहस की बात होगी ।

श्री विभूति मिश्र : हम लोग मेम्बर हैं और यह सरकार हम मेम्बरों के मातहत है और आप कहते हैं कि और करने के लिए वक्त चाहिए। इसको अब तक हमारे सामने गौर के लिए आ जाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : बेशक सरकार मेम्बरों के मातहत है लेकिन क्वेश्चन अवर में मातहती की बात न करें। यह तो बहस की बात है। आप कहते हैं कि वक्त बहुत है और वह कहते हैं कि ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन अवर में इसका फैसला कैसे होगा?

श्री विभूति मिश्र : आप फैसला कर दीजिए।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सब्र करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक सब्र करना पड़ेगा ?

श्री मुहीउद्दीन : मेरे ख्याल में ज्यादा सब्र करने की जरूरत न होगी।

†**श्री तंगामणि** : २७ मई की दूसरी दुर्घटना में हम देखते हैं कि विमान चालक उस विमान को पालम हवाई अड्डे पर सुरक्षित वापस ले आया। क्या विमान चालक द्वारा दुर्घटना बचाए जाने के कार्य की प्रशंसा की जाएगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह बड़े श्रेय की बात है कि विमान चालक खिड़की का शीशा[1] टूट जाने तथा स्वयं घायल हो जाने पर भी विमान को नीचे ले आया। वह बड़ी योग्यता से १२० मील चलकर विमान को पालम ले आया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या उसके मस्तिष्क की सूझ के लिए उसे कोई पुरस्कार दिया जाएगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे इसकी कोई सूचना इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं एयर इंडिया इन्टरनेशनल के विमान 'रानी ऑफ आगरा' की दुर्घटना की जांच के संबंध में यह जानना चाहता हूँ कि चूंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय सेवा है इसलिए क्या सरकार विभागीय तथा अन्य जांच में शीघ्रता कराएगी?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस अन्य जांच का निर्देश कर रहे हैं। अभी वह जांच विभागीय है जो असैनिक उड्डयन विभाग के मुख्य अनुसंधानकर्ता द्वारा की जा रही है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनसे शीघ्रता करने का अनुरोध करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] window Screen.

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : हमारे परिवहन में रडार उपकरण की व्यवस्था कब तक की जाएगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : वाइकाण्टउ विमानों में तूफान की चेतावनी देने वाले रडार की व्यवस्था के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और उसका कार्य इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि समस्त दस विमानों में उनके लगाए जाने में कितना समय लग जाएगा। अनुमानतः उसमें दो वर्ष लग सकते हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या आहत व्यक्तियों अथवा उनके परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : किस दुर्घटना के संबंध में ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आहत व्यक्तियों अथवा मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई प्रतिकर देने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : वाइकाउण्ट विमान की दुर्घटना में केवल चालक तथा सह-चालक को चोट लगी थी। मैं समझता हूँ कि उनकी विमान निगम द्वारा भली प्रकार देखभाल की गई थी। सूपरकॉन्सटेलेशन की दुर्घटना में कोई भी आहत नहीं हुआ था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

श्रीमती मफीदा अहमद उठी—

†***उपाध्यक्ष महोदय** : अब अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है।

दिल्ली की गन्दी बस्तियों की सफाई

†***३३५. श्री राधा रमण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई का कार्य दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किस विचार से ऐसा किया है ;

(ग) सरकार ने इस कार्य के लिये इस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आवण्टित की थी और क्या वह भी निगम को दे दी गई थी ;

(घ) क्या इस के परिणामस्वरूप सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकार के समापन अथवा इस अभिकरण को भी दिल्ली नगर निगम को सौंप देने का विचार किया है ; और

(ङ) इस कार्य के दिल्ली नगर निगम को दिए जाने के पश्चात् सरकार ने नई दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई की क्या व्यवस्था की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली नगर निगम को गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार से अधिक उपयुक्त समझा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकार के लिए ऋण के रूप में १४७ लाख रुपए का उपबन्ध किया गया था। यह राशि निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय को सौंप देने का विचार किया जा रहा है जो उसे आवश्यकतानुसार निगम को दे देगा ।

(घ) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ङ) नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के लिये भी गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनायें दिल्ली नगर निगम द्वरा निर्मित तथा क्रियान्वित की जायेंगी।

†**श्री राधा रमण** : क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई की भावी योजना के संबंध में भारत सरकार और निगम अधिकारियों ने कोई चर्चा की थी और यदि हां, तो इसके लिये क्या निर्णय किया गया था कि अब जो कार्य हो वह पहले कार्य के अनुकूल ही हो ?

†**श्री करमरकर** : अब वह कार्य निगम को सौंप दिया गया है। मैं समझता हूं कि वह उसे पहले कार्य के अनुसार ही करने का प्रयत्न करेगा। वास्तव में तथ्य यह था..... (माननीय कृषि उपमंत्री श्री मो० वें० कृष्णप्पा भी खड़े पाए गए)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दो मंत्री एक साथ नहीं खड़े हो सकते।

†**श्री करमरकर** : वह अपने स्थान पर बैठ रहे हैं। निगम ने एक संकल्प पारित किया कि उसे गन्दी बस्तियों की सफाई अधिनियम के अन्तर्गत समर्थ अधिकारी घोषित किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इस मामले पर विचार किया और निगम की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया ।

†**श्री राधा रमण** : जहां तक इस कार्य के हस्तान्तरण का संबंध है मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस राशि के दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरण का निर्णय किए जाने पर क्या दिल्ली निगम का इस उत्तरदायित्व के पालन के संबंध में भारत सरकार के प्रति कोई दायित्व होगा ?

†**श्री करमरकर** : जैसा कि माननीय मित्र जानते हैं, निगम एक स्वायतशासी निकाय है और उसके कार्य में सरकार सामान्यतः कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। परन्तु मैं जानता हूं कि निगम पिछली योजनाओं, अपनी आवश्यकताओं और अन्य बातों का विचार करेगा जो वह देश के अन्य भागों से जान सकेगा ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या दिल्ली के अतिरिक्त समस्त देश के लिए भी गन्दी बस्तियों के सुधार की कोई राष्ट्रीय योजना है और यदि हां, तो दूसरी योजना में उसके लिए कितनी राशि रखी गई है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां, योजना भी है और राशि भी। परन्तु यह प्रश्न माननीय निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री से पूछा जाना चाहिए जो उस से संबंधित हैं। मैं श्री राधारमण के एक पिछले प्रश्न के उत्तर के संबंध में इतना और बता देना चाहता हूं कि मंत्रालय में यह तय किया गया है कि वृहद् योजना और दिल्ली निगम के गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य के संबंध में समन्वयकारी प्राधिकार गृह-कार्य मंत्रालय होगा। स्थिति इस प्रकार है ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या श्रीमान् यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो स्लम क्लियरेंस की स्कीम श्रीमान ने तैयार की है उस में पर प्लाट डेवेलपमेंट कास्ट कितना पड़ता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : श्रीमान ने तो कोई स्कीम नहीं बनायी थी। दिल्ली डिवेलपमेंट आथारिटी ने बनायी थी। पर प्लाट के मानी मेरी समझ में नहीं आये।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : डिवेलपमेंट कास्ट पर प्लाट ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेम्बर तो मिनिस्टर साहब को श्रीमान् जी जरूर कह सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब को अपने आपको श्रीमान कहना कहां तक ठीक है।

†**श्री करमरकर :** क्षमा कीजिए, मैं इस प्रश्न का वास्तविक आशय नहीं समझ सका। गन्दी बस्तियों की सफाई का व्यय इस बात पर निर्भर रहेगा कि वह बस्ती किस तरह की है। यदि वह किसी विशेष बस्ती के संबंध में जानना चाहते हों तो वे एक अलग प्रश्न की सूचना दें और मैं उत्तर प्राप्त करूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** प्रधान मंत्री के कहने से इस प्रयोजन के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपना प्रतिवेदन दिया था और उस प्रतिवेदन पर यहां भी चर्चा की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस अशोक सेन समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो प्रतिवेदन में सन्निहित सिफारिशों के कब क्रियान्वित किए जाने की आशा है ?

†**श्री करमरकर :** अशोक सेन समिति ने गन्दी बस्तियों की सफाई संबंधी समस्याओं के संबंध में, जो मैं समझता हूं विशेष कर कलकत्ता से संबंधित थीं और अन्य समस्याओं के संबंध में एक प्रतिवेदन दिया था। उस प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार किया था। जहां तक वास्तविक कार्य का संबंध था यह महसूस किया गया था कि निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय उस कार्य का प्रभारी हो, और मेरी जानकारी के अनुसार उस समय अशोक सेन समिति का कार्य खत्म हो गया था।

†**श्री वाजपेयी :** गन्दी बस्तियों की सफाई का कार्य वास्तव में कौन करेगा—निगम अथवा निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय ?

†**श्री करमरकर :** दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में गन्दी बस्तियों की सफाई निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के प्रभार में होगी और उसे वृहद योजना के अनुसार चलाया जाएगा। दिल्ली निगम क्षेत्र के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य का वास्तविक क्रियान्वयन दिल्ली निगम के प्रभार में होगा।

†**श्री राधा रमण :** माननीय मंत्री ने अभी कहा कि चूंकि यह कार्य दिल्ली नगर निगम के हाथ में चला गया है इसलिए सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकार के समापन का गंभीरतापूर्वक विचार किया था। चूंकि काफी बड़ी राशि व्यय की जा रही है और विकास प्राधिकार को कुछ भी काम नहीं है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा ताकि यह राशि बचाई जा सके ?

†**श्री करमरकर :** मैं इसके संबंध में पूर्व-सूचना चाहूंगा। इस समय दिल्ली विकास प्राधिकार को यह कर्तव्य सौंपा जाएगा कि वह यह देखभाल करे कि जो गन्दी बस्तियों की सफाई का कार्य हो वह अन्तःकालीन सामान्य योजना और वृहद् योजना के अनुसार हो। जैसा मैंने पहले कहा था इस कार्य का प्रभार निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय को दिया जाएगा और वास्तविक क्रियान्वयन निगम द्वारा किया जायगा। यह राशि कब तक व्यय हो जाएगी यह मैं नहीं बता सकता। यदि माननीय सदस्य पृथक प्रश्न की सूचना दें तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूपनारायण नदी पर सड़क का पुल

+

†*३३६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ फरवरी, १९५९ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपनारायण नदी (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६) पर सड़क का पुल बनाने के लिए अंतिम ठेका दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक कार्य कब प्रारंभ होगा ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्व-निर्धारित यात्री नाव सेवा कार्य नहीं कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) नहीं, श्रीमान्। नए टेण्डरों की प्राप्ति की अंतिम तिथि २८ अगस्त, १९५९ है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यात्री नाव सेवा पहले से मौजूद है। परन्तु उसे यात्रियों के अतिरिक्त लदी हुई मोटर गाड़ियां ले जाने के लिए शक्ति चालित नाव सेवा में परिवर्तित करने का विचार किया जा रहा है। शक्ति-चालित नाव सेवा का प्रबन्ध करने में निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हुआ है :

(१) नाव सेवा के लिए अवतरणी के निर्माण में देर हो गई क्योंकि काम के दौरान एक बड़ी बाढ़ आ गई थी जिस से अवतरणी नष्ट हो गई। फिर एक बहुत ऊंचे ज्वार के कारण अवतरणी के मार्ग के लकड़ी की प्रवणियां[1] पानी में बह गई थीं।

(२) अनेक प्रयत्नों के बावजूद कोई भी उपयुक्त ठेकेदार नाव सेवा को चलाने के लिये तैयार नहीं हुआ। नाव-सेवा चालन को ठेका प्रणाली से विभागीय प्रणाली में परिवर्तित करने के लिये प्रबन्ध करने में समय अधिक लग गया।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण से ज्ञात होता है कि यात्री नाव सेवा वहां पहले से मौजूद है। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि यह स्थान नदी से आधा मील ऊपर को है और यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह शक्ति चालित नाव सेवा वहां प्रारंभ की जाएगी अथवा सड़क के निकट ?

†**श्री राज बहादुर** : शक्ति चालित नावों के लिए एक नई अवतरणी का निर्माण किया जाना है। मैं माननीय सदस्य का संकेत ठीक तरह नहीं समझ सका परन्तु मैं समझता हूं कि वह स्थान उपयुक्त है तथा मुख्य मार्ग से मिला हुआ है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण में शक्तिचालित नाव सेवा का प्रबन्ध करने में विलम्ब के दो कारण दिये गये हैं। एक कारण यह है कि उसे चलाने के लिये कोई उपयुक्त ठेकेदार नहीं मिला। यदि यह सच है तो सरकार उस नाव सेवा को विभागीय तौर से चलाने के लिये क्यों नहीं तैयार हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Wooden Ramps.

†**श्री राज बहादुर :** प्रारम्भ में हमने इस शक्तिचालित नाव सेवा में गैर-सरकारी पार्टियों को लेने का प्रयत्न किया था परन्तु जब कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला तो अब हम उसे विभाग द्वारा चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** विवरण से ज्ञात होता है कि शक्तिचालित नाव सेवा के लिये आवश्यक अवतरणी का निर्माण किया गया था परन्तु वह बाढ़ से नष्ट हो गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि वह कार्य बरसात के पहले अथवा बाद में क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री राज बहादुर :** उसे अच्छे मौसिम में प्रारम्भ किया गया था। वह दो बार नष्ट हो चुकी है; जब उसका लगभग २५ प्रतिशत कार्य हुआ था तो वह बह गई; फिर जब दुबारा कार्य प्रारम्भ किया गया और वह लगभग पूर्ण हो गई थी तो एक बड़ा ज्वार आया और वह फिर नष्ट हो गई।

†**श्री साधन गुप्त :** चूंकि शक्तिचालित नाव सेवा चलाने के लिये उपयुक्त पार्टी नहीं मिल रही है क्या उसे सरकार स्वयं चलायेगी और यदि हां, तो किस समय से ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा मैंने बताया यह विचार किया जा चुका है कि सरकार उसे चलाये। जैसे ही हमें शक्तिचालित नावें प्राप्त हो जायेंगी हम उसे चलाने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री साधन गुप्त :** मैं जानना चाहता हूं कि पहली बार अवतरणी के निर्माण का कार्य कब प्रारंभ किया गया था और दूसरी बार कब प्रारंभ किया गया था---बरसात के पहले, बीच में अथवा बाद में ?

†**श्री राज बहादुर :** अवतरणी का निर्माण कुछ वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था। पहली बार दिसम्बर, १९५६ में वह बाढ़ से नष्ट हो गई थी। उसे मई, १९५८ में फिर पूरा किया गया परन्तु अगस्त, १९५८ में लकड़ी के बांध और रास्ते ज्वार के कारण बह गये। स्पष्ट है कि कार्य अच्छे सूखे मौसम में प्रारम्भ किया गया था, बरसात के मौसम में नहीं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ पर तोरसा नदी पर पुल

\+

†*३३७. { **श्री बर्मन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ पर बना तोरसा नदी का पुल किस वर्ष बाढ़ में बह गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस जगह बरसात के दिनों में मोटरगाड़ियों का यातायात छै महीनों से अधिक के लिये बन्द रहता है क्योंकि नावें भी मोटरगाडियों को दूसरी ओर नहीं ले जा सकती हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पुल को फिर से बनाने और संचार साधनों को पुन: चालू करने के लिये कदम न उठाये जाने के क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सील तोरसा और चार तोरसा पर बने पुल क्रमशः १९५२ और १९५४ में बाढ़ से नष्ट हो गये थे।

(ख) यदि तोरसा नदी में बाढ़ बहुत ऊंची न हो परन्तु पानी की गहराई इतनी हो कि नाव चल सके तो इस स्थान पर नावों द्वारा बरसात में यातायात जारी रखा जाता है; अन्यथा सड़क यातायात के लिये मताभंगा से होकर वैकल्पिक मार्ग काम में लाया जाता है। यह वैकल्पिक मार्ग तोरसा पर बने रेलवे पुल का प्रयोग करता है जो सड़क यातायात के लिये सज्जित किया गया है।

(ग) सील तोरसा और चार तोरसा नदियों पर स्थायी पुल बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री बर्मन** : क्या यह सच नहीं है कि माननीय मंत्री ने जिस वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख किया है, अर्थात् मताभंगा हो कर वह कच्चा रास्ता है और अभी तक पक्का नहीं किया गया है ? क्या तोरसा नदी पर इस पुल के निर्माण का कार्य पूना की नदी गवेषणा संस्था अथवा किसी अन्य गवेषणा केन्द्र को सौंपा गया है ताकि इंजीनियर यह पता लगायें कि इस पुल को किस प्रकार बनाया जाय जो हम अभी तक नहीं कर सके हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : यह ठीक है कि मताभंगा रेलवे पुल पर हो कर जो मार्ग है वह केवल कामचलाऊ इन्तजाम है। इसीलिये हम वहां एक पक्का पुल बनाने का विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य को भली प्रकार ज्ञात है कि नदी के बाहाव के मार्ग में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर इंजिनियरिंग विशेषज्ञ अभी तक विजय नहीं प्राप्त कर सके हैं। १९५१ में एक स्थान चुना गया था, लगभग १९५३ तक डिजाइन पूरे हो गये थे और जब डिजाइनों को मंजूरी दी गई तभी एक बड़ी बाढ़ आई और वह स्थान पुल बनाने के लिये बहुत अनुपयुक्त पाया गया। तब से इंजीनियर दूसरा स्थान निश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस मामले में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में तथा राज्य सरकारों में उपलब्ध विशेषज्ञों में निकट सहयोग है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इंजीनियरिंग विशेषज्ञों में कोई मतभेद है जिसके कारण यह कार्य शीघ्र प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : मतभेद हो सकता है क्योंकि यह इंजीनियरिंग की कठिन समस्या है। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इसी के कारण कार्य में देर हो रही है।

†**श्री बर्मन** : यह कार्य नदी गवेषणा संस्था को क्यों नहीं सौंपा गया ताकि वह कोई हल निकाल सकती ?

†**श्री राज बहादुर** : हम इसका ध्यान रखेंगे। मैं समझता हूं कि वह भी एक दूसरे से परामर्श कर रहे हैं।

सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति

+

†३३८. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशें अधिकांश में राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं और उनके क्रियान्वयन के लिये उन्हें लिखा गया है। केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित कुछ सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं और शेष के क्रियान्वयन के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित प्रमुख सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं उनका विवरण सभा-पटल पर रख दूंगा क्योंकि वह बहुत लम्बा है । परन्तु यदि .....

†**अध्यक्ष महोदय :** विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**श्री आसर :** क्या समिति ने देश की उत्तर से दक्षिण तक की समस्त नदियों को नहरों द्वारा मिला देने की सिफारिश की है जिससे जलमार्ग बढ़ जायें और यदि हां, तो सरकार का उसके बारे में क्या विचार है ?

†**श्री राज बहादुर :** ऐसी सिफारिशें समय समय पर प्राप्त हुई हैं परन्तु मैं यह नहीं जानता कि इस समिति ने ऐसी सिफारिशें की हैं या नहीं ? मैं समझता हूं कि उसने ऐसी सिफारिश नहीं की है । वर्तमान परिस्थितियों में, विशेषकर वित्तीय कठिनाइयों के कारण, हम उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों के साथ नहीं मिला सकेंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इन सिफारिशों की केन्द्रीय सरकार द्वारा छानबीन की जाती है और राज्य सरकारों को विशेष निर्देश किये जाते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** जी, हां ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ सिफारिशें राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं। क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि राज्यों ने समस्त सिफारिशें क्रियान्वित की हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** सिफारिशों के क्रियान्वयन है की राज्य सरकारों से सिफारिश की गई है और हम उनसे वैसा कराने के लिये प्रयत्न भी कर रहे हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या यह सच है कि इस समिति की एक सिफारिश यह है कि बकिंघम नहर का सुधार न किया जाय और केवल एक परीक्षण किया जाय ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस समिति को, जो सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन मंत्रणा समिति है, अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति समझ रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमानों का बदला जाना

\+

†*३३९. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री नारायणनकुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री सरजू पांडे :
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि :
श्री दिनेश सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमानों को बदलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले विमानों का क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिये विश्व भर से टेंडर मांगे जायेंगे;

(घ) क्या अमरीका की 'लौकहैड कारपोरेशन' से कोई बातचीत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमानों के स्थान पर चलाये जाने के लिये अन्य विमानों की किस्म के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पांच "फोकर फ्रेंडशिप' विमान खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं। चुने गये विमान सम्बन्धित निर्माताओं से खरीदे जायेंगे और विश्व-व्यापी टेंडरों का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ). 'लोकहीड्स एयरक्राफ्ट कारपोरेशन' ने डकोटा के स्थान पर चलाये जाने के लिये अन्य प्रकार के विमान के बारे में ब्यौरेवार विवरण देने के लिये कहा है। अभी ब्यौरा प्राप्त होना है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** अपेक्षित योजना के अधीन विमानों को बदलने में कुल कितना खर्च होगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस प्रक्रम पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि समूची योजना अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : पिछले वर्ष जो हमने 'हैरन' विमान खरीदे थ उसके अनुभव को ध्यान में रखते हुये, क्या 'फौकर फ्रेन्डशिप' विमानों की प्रस्तावित खरीद की टेक्निकल जांच सब पहलुओं से की जायेगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : टेक्निकल समिति ने उपलब्ध विभिन्न विमानों की जांच की है और वे इसके विभिन्न पहलुओं की अच्छी तरह से जांच करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह बहुत संतोष-जनक विमान है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि एक डच फर्म ने लाइसेंस के अधीन भारत में 'फौकर फ्रेन्डशिप' विमान बनाने के लिये सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर अभी तक सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : जहां तक निर्माण का सम्बन्ध है 'फौकर फ्रेण्डशिप' के निर्माताओं ने भी सहयोग देने का प्रस्ताव किया है। परन्तु अभी जिन पांच विमानों का मेरे साथी ने उल्लेख किया, यह प्रश्न निर्माण का नहीं है। प्रश्न आयात में और अन्य ऐसे स्थानों पर, जहां कि विमानों को खराब जलवायु में उड़ना पड़ता है, प्रयोग किये जाने के लिये तत्काल हवाई जहाज खरीदने का है। अतः दोनों प्रश्न पृथक हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : डकोटा को बदलने के लिये उपयुक्त विमानों की उपलब्धता के बारे में किन किन देशों से पूछताछ की गई है ? विशेष रूप से, यह देखने के लिये कि क्या उपयुक्त विमान ठीक मूल्य पर मिल सकते हैं, क्या रूस और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से कोई पूछताछ की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : एक बार फिर मैं यह कहूंगा कि इस समय हमारे सामने डकोटा को बदलने का प्रश्न नहीं है। यह एक बड़ा प्रश्न है। विमान इस देश में बनाये जाने हैं। इस समय प्रश्न यह है कि जिन विमानों की हमें, अन्तरिम काल में तत्काल आवश्यकता है वह किस प्रकार खरीदे जायें। इस समय मध्यम आकार वाले ढ रफ्तार सम्बन्धी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले केवल 'फौकर फ्रेन्डशिप' विमान ही उपलब्ध हैं। अतः इसकी कोई तुलना नहीं है। इसके बनने के दो वर्ष के अन्दर ही १२ देश इस विमान का उपयोग कर रहे हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : अपनी अन्तरिम आवश्यकता के अतिरिक्त क्या किसी प्रक्रम पर उन्होंने 'लौकहीड्स परियोजना' पर ध्यान दिया है ; और यदि हां, तो क्या वे प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा उस दिन कही गई बात के विपरीत चलने को तैयार हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : प्रतिरक्षा मंत्री ने क्या कहा था यह तो मुझे ठीक ठीक पता नहीं है। हां, इस समय प्रश्न असैनिक उड्डयन के बारे में है। जहां तक 'लौकहीड्स' का सम्बन्ध है वे हमारे लिये डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं और यदि यह विभिन्न तरह से संतोषजनक सिद्ध हुआ--यह भविष्य का मामला है--तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमें यहां पर "लौकहीड्स' के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये या नहीं।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या मंत्री महोदय इन विभिन्न आरोपों और अफवाहों की जांच करेंगे कि इस योजना में एक भूतपूर्व भारतीय सेना पदाधिकारी को ५ लाख रुपये कमीशन दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** डकोटाओं के बदलने में ?

†**श्री प्र० गं० देव :** इस सौदे में ।

†**श्री स० का० पाटिल :** मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी । अभी तो सौदा हुआ भी नहीं है ।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** ये डकोटा बहुत पहिले लिये गए थे और वे अब काफी पुराने हो चुके होंगे । क्या सुरक्षा के हित में सरकार का उन्हें फ़ौरन बदलने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो वे उन्हें कब बदलेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल :** वे काफ़ी दिन चलने वाले हैं । सदन को ज्ञात होना चाहिये कि इस समय विश्व के विभिन्न देशों में लगभग २००० डकोटा चल रहे हैं । हमारे पास तो केवल ५८ ही हैं । अतः अभी उनका जीवन बाकी है और बदलने का प्रश्न तब उठेगा जब वे पुराने हो जायेंगे । हम अपने डकोटाओं को चार या पांच वर्ष तक और उड़ा सकते हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** जब अन्तरिम काल में इस प्रकार के विमान खरीदने का फैसला किया गया था तो क्या इस बात की पूछताछ की गई थी कि क्या इसी कार्य के लिये इस ही प्रकार के अन्य विमान भी उपलब्ध हैं ; और यदि हां, तो क्या इस विमान को खरीदने का फैसला करने से पहले उस विमान के तुलनात्मक गुणों को ध्यान में रखा गया था ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जहां तक मीडियम साइज के विमान का सम्बन्ध है मेरे विचार में और कोई उपलब्ध नहीं है । इस समय केवल यही एकमात्र उपलब्ध सर्वोत्तम विमान है ।

†**श्री तंगामणि :** एक अन्य प्रसंग में मंत्री महोदय ने बताया था कि यह डच 'फौकर फ्रेन्डशिप विमान 'वाइकाउन्ट' की तरह का ही है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आर्डर दे दिये गये हैं, और यदि हां, तो ये पांच विमान हमें कब मिल जायेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल:** जी, नहीं । मेरे माननीय सेहयोगी ने उत्तर दिया है कि प्रश्न विचाराधीन है । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की प्रार्थना यह है कि उनके पास पांच विमान हों । हमें यह पता नहीं है कि कितने दिये जा सकेंगे और कब दिये जा सकेंगे । प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री दिनेश सिंह :** क्योंकि डकोटाओं का बदला जाना प्रतिरक्षा और असैनिक उड्डयन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्या एक विशेषज्ञ संयुक्त समिति ने इस प्रश्न की जांच की है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इस बारे में कोई विशेषज्ञ संयुक्त समिति नहीं बनायी गयी । परन्तु जहां तक प्रतिरक्षा का प्रश्न है, सरकार ने यह फैसला किया है कि वह 'एवरो ७४८' खरीदेगी जिसका कि डिजाइन तैयार किया जा रहा है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, अभी हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 'एवरो' विमान किस प्रकार का होगा यह भविष्य का मामला है । यदि इससे हमारी सब आवश्यकतायें पूरी हुईं, तो निश्चय ही हम इस बात पर विचार करेंगे कि हम इसे खरीदें या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बीच सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वह 'फौकर फ्रेण्डशिप' और 'लौकहेड' से भी अपने अपने डिजाइन देने को कहेगी ताकि हम उन सब पर एक साथ विचार कर सकें और यह पता लगा सकें कि हमारे यात्रियों की आवश्यकता के लिये कौन सा विमान अच्छा रहेगा।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री हेम बरुआ :** यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका प्रश्न-काल में निपटारा नहीं हो सकता।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ और अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी जानी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसीलिये तो मैंने यह फैसला किया है कि इस पर किसी और रूप में विचार किया जाना चाहिये ।

जमाये हुये तेल

+
†*३४०. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री वी० चं० शर्मा : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जमाये हुये तेलों के उत्पादन और उपभोक्ताओं पर उनके प्रभाव के प्रश्न को जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है या वह ऐसी समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ;

(ख) उत्पादों का नवीनतम वैज्ञानिक मूल्यांकन क्या है ; और

(ग) क्या जमाये हुये तेलों में रंग डालने की योजना अभी भी विचाराधीन है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी, नहीं। दिल की बीमारियों में (जमाये हुये तेलों समेत) चरबी और तेलों के प्रभाव का पता लगाने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में जांच पड़ताल जारी है ।

(ख) प्रयोगात्मक अध्ययन से पता चला है कि जमाये हुये स्नेह पदार्थ और मक्खन जैसे स्नेह पदार्थों, जिनमें पुरुअननुविद्ध स्नेह-अम्ल[१] की कमी रहती है, के उपभोग से सीरम कोलेस्टेरोल[२] की वृद्धि होती है जिसका कि दिल की बीमारियों के आपात में वृद्धि होने के साथ सम्बन्ध है ।

(ग) बनस्पति के लिये किसी उपयुक्त रंग का पता लगाने के लिये अनुसंधान हो रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : सरकार ने इस वैज्ञानिक परिणाम पर क्या ध्यान दिया है कि जमाया हुआ तेल दिल के लिये हानिकारक है ?

†**श्री करमरकर :** एकदम यह कह देना तो ठीक नहीं है। हां, यह प्रश्न हमारे विचाराधीन रहा है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसंधान के परिणाम सबको बता दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[१]Polyunsaturated Fatty Acids.

[२]Serum Cholesterol

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** स्वतन्त्रता के बाद जमाये हुये तेलों का उत्पादन कितना बढ़ा है और क्या सरकार को पता है कि केवल घी के साथ मिलावट करने में ही उनका अधिक प्रयोग होता है ।

†**श्री करमरकर :** मेरे विचार में यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्री के क्षेत्राधिकार में आता है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि विशेषज्ञों में इस सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है और कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि ऐसे जमाये हुये तेल से स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचती है? यदि यह बात सही है तो इसमें रंग देने के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि कितने वर्षों से प्रयत्न चल रहा है और अगर इतने वर्षों से प्रयत्न चल रहा है तो जो वैज्ञानिक हाइड्रोजन बम और ऐटम बम भी बनाने में समर्थ हो सके, उन्हें यह रंग क्यों नहीं मिल रहा ?

श्री करमरकर : इसमें सवाल क्या किया गया है ?

सेठ गोविन्द दास : मेरे दो सवाल हैं । पहला सवाल मेरा यह है.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दो सवाल इकट्ठे न करें । एक बार में एक ही सवाल किया जाय और वह भी मुख्तिसर होना चाहिये क्योंकि उससे जवाब देने में सहूलियत होगी ।

सेठ गोविन्द दास : मैंने दोनों सवाल एक साथ इसलिये किये थे क्योंकि दोनों का आपस में सम्बन्ध है । बहरहाल जैसा आपने अभी कहा मेरा पहला सवाल यह है कि क्या इस सम्बन्ध में मतभेद नहीं है विशेषज्ञों में कि इस जमाये हुये तेल से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है ?

†**श्री करमरकर :** अब तक प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि पशुओं की चर्बी और जमाये हुए वनस्पति तेल खाने से, जिन दोनों में ही स्नेह-अम्ल (fatty acids) अर्थात् लिनोलीक (linoleic), लिनोलोनिक (linolonic) और एरेकिडोनिक एसिड (arachidonic acids) की कमी होती है, रक्त सीरम (blood serum) में लिपीड्स (lipides) —मुख्यतया कोलोस्टेरोल (cholosterol) की वृद्धि हो जाती है जिस के फलस्वरूप एथेरो-सक्लोरोसिस (atherosclorosis) और संभवतः दिल की बीमारी (coronary heort disease) का खतरा बढ़ जाता है । यह भी देखा गया है कि स्नेह-अम्ल (fatty acids) के अभाव वाली खुराक के साथ कोलोस्टेरोल (cholosterol) के सेवन से अपुष्टता बढ़ती है और वह अधिक होती जाती है ।

सारांश यह है कि बहुत ज्यादा घी और बहुत ज्यादा जमाया हुआ तेल नहीं खाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आसार

सेठ गोविन्द दास : मेरा एक सवाल तो अभी रह ही गया और वह यह था कि इस को रंग देने में.....

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैंने श्री आसार को बुला लिया है इसलिये उनको अपना प्रश्न पूछ लेने दीजिये ।

सेठ गोविन्द दास : आपने मुझ से कहा था कि मैं दो सवालों को अलग अलग करूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने तो यह नहीं कहा था कि दूसरे सवाल की मैं जरूर ही इजाजत दे दूंगा ।

†**श्री आसर :** क्या यह सच नहीं है कि जमाने के तरीके में इस्तेमाल किये जाने वाले विषैले लैड ओक्साइड . . . . . •

उपाध्यक्ष महोदय: अगर यहां हाउस में स्पीचेज लिखी हुई नहीं पढ़ी जातीं तो सवाल भी लिख कर नहीं पढ़ना चाहिये । इस से सवाल बहुत लम्बा हो जाता है ।

†**श्री आसर:** लम्बा नहीं है बहुत छोटा है । क्या यह सच नहीं है कि जमाने के करीब तरीके में विषैले लैड ओक्साइड का प्रयोग किया जाता है ? यदि हां, तो इसका प्रयोग क्यों नहीं रोका गया है ?

†**श्री करमरकर :** इस वैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो मिनिस्टर साहब ने अभी जवाब पढ़ा था और माननीय सदस्य ने जो अभी उन से प्रश्न किया था है, उन दोनों का मुताला करें तो कुछ पता चलेगा ।

सेठ गोविन्द दास: मैं यह जानना चाहता हूं कि इस जमाये हुए तेल को रंग देने के लिये कितने वर्षों से कोशिशि हो रही है और अब तक इस में सफलता क्यों प्राप्त नहीं हुई ?

श्री करमरकर : कोशिश तो हो रही है बंद करने के बारे में . . . . .

सेठ गोविन्द दास: बंद करने के बारे में नहीं मैंने रंग देने के बारे में पूछा था । जमाये हुए तेल को रंग देने के बारे में जैसे मैं ने अर्ज किया कोशिश चल रही है तो वह कोशिश अभी कितने दिनों से हो रही है ?

श्री करमरकर: जहां तक मेरी जानकारी है कोई १५ वर्ष से यह कोशिश चल रही है, बाकी माननीय सदस्य मुझ से ज्यादा इस विषय में जानकारी रखते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका सवाल यह है कि जब इतना अर्सा हो गया तो अभी तक हमारे विशेषज्ञ एक कलर मालूम करने में कामयाब नहीं हुए ?

†**श्री करमरकर:** मैं उनका सवाल समझ गया लेकिन यह ठीक ठीक रंग जो कि हानिकर भी न हो तलाश करना जरा एक मुश्किल चीज़ हो गई है और अब तक कोई ऐसा तरीका और रंग न निकल आये तब तक कलरिंग का काम नहीं किया जा सकता । भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान संस्था इस पर गंभीरता से विचार कर रही है ।

†**डा० सुशीला नायर:** मंत्री महोदय ने अभी इस विषय में चिकित्सा अनुसंधान के परिणामों का सारांश पढ़ कर सुनाया कि अननुविद्ध स्नेह-अम्ल (Unsaturated fatty acids) स्वास्थ्य के लिये अच्छे हैं और अनुविद्ध स्नेह-अम्ल (Saturated fatty acids) दिल के लिए बुरे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जमाया हुआ तेल लगभग बिल्कुल सेचुरेटिड फैटी एसिड है, क्या इस जमाये हुए तेल का प्रयोग रोकने के लिये सरकार के लिये यह पर्याप्त साक्ष्य नहीं है ?

†**श्री करमरकर:** मैं ने अपने वर्तमान अनुसंधान के बारे में बताया । मैंने समझा था कि कम से कम मेरी मित्र इसको समझ जायेंगीं क्योंकि यह टेक्निकल मामला है । परन्तु वर्तमान साक्ष्य से पता

---

†मूल अंग्रेजी में

चलता है कि इन जमाये हुए तेलों और घी का भी अधिक मात्रा में लिया जाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और साक्ष्य यह है कि जमाये हुये तेलों का अधिक मात्रा में उपभोग करने से दिल की बीमारियां हो जाती हैं। यह परिणाम निकला है और यह बात सब जानते हैं।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी: मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई विशेष डाक्टर है जिसको कि यह कलर निकालने का विशेष कार्य सौंपा गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो साइंटिस्ट के सपुर्द होगा ।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** वे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन को यह कार्य सौंपा गया है ?

श्री करमरकर : इस पर वैज्ञानिकों की समितियों द्वारा विचार किया गया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इस वैज्ञानिक परिणाम के निकलने से पहले ही प्रधान मंत्री के घर में जमाये हुए तेल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है ?

†**श्री करमरकर :** माननीय सदस्य भी अपने घर में इस पर प्रतिबंध लगा दें और जमाये हुए तेल के स्थान पर ताजे तेल का प्रयोग करें। वैज्ञानिक अनुसन्धान से पता चलता है कि अधिक सेचुरेटिड चरबी से दिल की बीमारियां होती हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका यहां अधिक लाना बुरा होगा । हम अगला प्रश्न लेंगे । इतने अधिक सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सारा घंटा ही इस में समाप्त हो जायेगा । इस पर चर्चा की जा सकती है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** परन्तु इस से राष्ट्र के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है ; और उनकी कोई निश्चित नीती नहीं है और .....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा। परन्तु इस पर और रूप में भी विचार किया जा सकता है। कोई चर्चा उठायी जा सकती है और सूचना दी जा सकती है। हम एक या दो घंटे इस पर चर्चा कर सकते हैं। वह संभव है। परन्तु यदि २० माननीय सदस्य खड़े हों तो क्या उन्हें अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देना संभव है ? तब समूचा प्रश्नों का घंटा इस एक ही प्रश्न पर लग जावेगा । अन्यथा मुझे क्या विरोध हो सकता है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** जब एक ऐसा प्रश्न प्रस्तुत है जिस में कि अधिक माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं, तो अन्य प्रश्नों की अपेक्षा इस पर कुछ अधिक समय दिया जा सकता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या मैंने कुछ अधिक समय नहीं दिया है ? **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री नाथ पाई :** क्या चरबी के कारण वर्तमान जांच में घी सम्मिलित है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह भी एक अनुपूरक प्रश्न है जिसकी मैं अनुमति नहीं देता ।

बिहार में गंगा का पुल

+

†*३४१. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गंगा नदी पर रेल-तथा-सड़क पुल के निर्माण का लेखा बंद कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पुल पर कितना खर्च हुआ है ;

(ग) क्या बिहार राज्य सरकार ने भी इस खर्च का कुछ अंश वहन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस राज्य सरकार ने कितना अंश वहन किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अभी तक नहीं। परन्तु नियमानुसार लेखाओं को शीघ्र ही बन्द करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

(ख) मई, १९५९ के अन्त तक १३.९४ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राधा रमण:** क्या इस पर अभी तक किया जा चुका हुआ खर्च प्राक्कलित खर्च से बढ़ गया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

†**श्री सें० वें० रामस्वामी:** प्राक्कलित राशि १५.६१ करोड़ रुपये है और उस में से अभी तक केवल १३.९४ करोड़ रुपये ही खर्च किये गये हैं।

†**श्री राधा रमण:** क्या गंगापुल का यह काम केवल मात्र ठेकेदारों द्वारा कराया गया था या कि कुछ भाग विभाग द्वारा स्वयं भी कराया गया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अधिकांश भाग तो विभाग द्वारा बनाया गया था और शेष भाग ठेकेदारों द्वारा ।

श्री सरजू पांडे : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि जो इसी प्रकार का एक पुल गाजीपुर, उत्तर प्रदेश , में बनने की बात चल रही है, उस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई चला रखी है?

उपाध्यक्ष महोदय : आज तो इस पुल को बनना चाहिये ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खर्चा अधिक बढ़ने के कारण गंगाजी पर डबल लाइन नहीं बनायी गयी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, नहीं। यह योजना मूलत: सिंगल लाइन के लिये बनाई गयी थी।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि रोड कब तक पूरी होगी। अभी तक यह रोड नहीं चल रही है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह सड़क तो परिवहन तथा संचार मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वरा तैयार की जायेगी। उसके लिये कार्य आरम्भ होने में अभी कुछ विलम्ब है, परन्तु उसके लिये हम जिम्मेदार नहीं है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†*३४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खण्डों के चुनाव के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई परामर्श या निदेश भें भेजा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या परामर्श दिया गया है और क्या सभी राज्यों ने उस परामर्श का पालन किया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी निहित है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]** लगभग सभी राज्य सरकारों ने उसे स्वीकार कर लिया है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य इन सुझावों का पालन नहीं करते; और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मैंने स्पष्टतया बता दिया है कि लगभग सभी राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इन शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड केवल उन्हीं क्षेत्रों में खोले जांय जहां अधिक मात्रा मे भूमि की चक बन्दी की जा रही हो ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : जी, हां, यह भी एक शर्त है और इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार को ज्ञात है कि खण्डों का चुनाव करते समय जिला विकास समितियों से सलाह नहीं ली जाती ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : यह सूचना हमारे पास भेज दी जाये।

†**श्री रघुवीर सहाय** : यह देखा गया है कि खण्डों में गांव सम्मिलित करते समय उनकी निकटता डिवीज़न या परगने को ध्यान में नहीं रखा जाता और इस कारण लोगों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ; क्या सरकार द्वारा इस संबंध में हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि इन खंडों को उपयुक्त आधार पर ही बनाया जाये और यदि हां, तो वह आधार क्या हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : खण्ड राज्य सरकारों द्वारा बनाये जाते हैं और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही खण्डों का निर्माण करेंगी।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से यह निवेदन करेगी कि वे इस बात का ध्यान रखें कि नये खण्ड पुराने खण्डों के निकट ही हों ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : यह मामला भी राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया है ।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में तीस-तीस, चालीस-चालीस हजार की आबादी पर ब्लाक बनाये गये हैं और पंजाब में और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ६०–७० हजार की आबादी पर बनाए गए हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे यह सूचना मेरे पास भेज दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचायतों के सरपंचों को प्रशिक्षण

+

†*३४३. श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायतों के सरपंचों और खण्ड विकास समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को प्रशिक्षण देने की योजना को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है ; और

(ख) एक समय पर कितने पंचायत सरपंचों तथा खंड विकास समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) और (ख) खंड विकास समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रशिक्षण देने की योजना को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है और लोक-सभा-पटल पर रखने के लिये उसकी प्रतियां संसद्-कार्य विभाग को भेज दी गयी हैं। सरपंचों तथा उप-सरपंचों को प्रशिक्षण देने की योजना अभी विचाराधीन है। राजस्थान को छोड़ कर किसी भी राज्य में अभी तक खंड विकास समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रशिक्षण देने की योजना प्रारम्भ नहीं हुई है। प्रत्येक कैम्प में लगभग ५० सदस्यों को प्रशिक्षण देने का विचार है।

†**श्री रा० च० माझी** : सरपंचों को प्रशिक्षण देने के मूल उद्देश्य क्या हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्योंकि वे एक समिति के सदस्य हैं, इसलिये उन्हें उस समिति के नियम तथा विनियमों के बारे में प्रशिक्षण देना आवश्यक है ।

†**श्री रा० च० माझी** : ग्राम नेताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता रहा है । सरपंचो और ग्राम नेताओं के प्रशिक्षण में क्या अन्तर है ।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : मैं यह बता देना चाहता हूं कि खण्ड विकास समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण देने का उद्देश्य यह है कि उन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्विति के लिये अधिक योग्य बनाया जाये और उन्हें विकास कार्यक्रम के सभी नियमों और प्रक्रियाओं से पूर्णरूपेण परिचित कराया जा सके ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : सरकार अब इन सरपंचों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारम्भ करने वाली है क्या सरकार ने इसे प्रारम्भ करने से पहले यह देखने के लिये कोई प्रयोग किया है कि क्या विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्विति में सरपंच कुछ लाभ दायक सिद्ध हो सकते हैं ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : कोई प्रयोग करने का तो प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि हमने निश्चय कर लिया है कि सभी सरपंच खण्ड विकास समिति के सदस्य अवश्य होने चाहियें । धीरे धीरे इन समितियों को कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये राज सहायता प्राप्त संस्थाएं बना दिया जायेगा । क्योंकि ये सरपंच समितियों के प्रतिनिधि हैं, इसलिये उन्हें प्रशिक्षण देना आवश्यक है ताकि वे योजनाओं को उचित प्रकार से कार्यान्वित कर सकें ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस वर्ष कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सु० कु० डे** : इन गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का रुख कुछ अलग सा है। हम इन सभी गैर-सरकारी व्यक्तियों को मुख्यतया गैर-सरकारी संस्थाओं में ही प्रशिक्षण देने का विचार रखते हैं। अतः मन्त्रालय ने सबसे पहले यह काम प्रारम्भ किया है कि उसने विभिन्न प्रदेशों में कुछ एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में इस प्रकार का एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हो चुका है। आशा है कि दूसरा केन्द्र शीघ्र ही हैदराबाद में स्थापित किया जायेगा। आशा है कि सम्पूर्ण देश में इस प्रकार के लगभग ४० या ५० गैर-सरकारी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

श्री विभूति मिश्र : अभी मन्त्री जी ने बतलाया कि सरपंच लोगों की ट्रेनिंग की बात विचाराधीन है। गांवों में सरपंच पंचायतों में फैसले करते हैं। उनको कायदा कानून मालूम नहीं होता जिसका नतीजा यह होता है कि जब मामला हाईकोर्ट में जाता है तो हाईकोर्ट सरपंचों पर स्ट्रिक्चर पास करती है। मैं जानना चाहता हूं कि गांवों में . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : जो आप जानना चाहते हैं वह पहले रखें तो ज्यादा आसानी हो जाए।

श्री विभूति मिश्र: क्या सरकार यह बतला सकती है कब तक सरपंच लोगों की ट्रेनिंग का काम शुरू हो जायेगा।

†**श्री सु० कु० डे** : अभी तक तो मैंने केवल सरपंचों के उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में ही बताया है। जहां तक न्याय पंचायतों का सम्बन्ध है, उन्हें भी शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। हम सरपंचों तथा उप-सरपंचों को पंचायतों की जिम्मेवारियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये ग्राम सेवक कैम्पों के समान ही तीन तीन चार चार दिनों के कैम्प चलाने का विचार रखते हैं।

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या उन्हें पहले सरपंच बनाया जाता है और बाद में प्रशिक्षण दिया जाता है ?

†**श्री सु० कु० डे** : जी, हां। उन्हें पहले सरपंच बनाया जाता है।

†**श्री सोनावने** : क्या इस प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में अस्पृश्यता निवारण भी एक विषय है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि अस्पृश्यता निवारण के लिये नहीं केवल सामुदायिक विकास परियोजना द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है, अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र इसके लिये कार्यरत है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : परोक्ष रूप में।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या इस प्रकार का प्रशिक्षण-कार्य सदा चलता रहेगा, क्योंकि सरपंच तो केवल एक विशेष अवधि के लिये ही चुने जाते हैं।

†**श्री सु० कु० डे** : जी, हां।

†**श्री तंगामणि**: क्या इसी मास में प्रारम्भ किये जाने वाले राजेन्द्र नगर प्रशिक्षण कैम्प के लिये दक्षिणी राज्यों की राज्य परामर्शदात्री समितियों के प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जायेगा ?

†**श्री सु० कु० डे** : राज्य परामर्शदात्री समितियों के सभी सदस्यों को आमन्त्रित नहीं किया जा सकेगा। इसमें सभी दक्षिणी राज्यों के केवल प्रशिक्षकों को ही आमन्त्रित किया जायेगा। इसमें केवल कुछ एक राज्य विधान सदस्यों तथा संसद् सदस्यों को ही प्रशिक्षण दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** : विकास कार्यक्रम की सफलता पुरुष और स्त्रियों दोनों पर निर्भर करती है। अतः क्या ग्राम क्षेत्रों के किन्हीं महिला नेताओं को भी प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है, क्योंकि प्रायः वे विकास समितियों की भी सदस्या नहीं होतीं ?

†**श्री सु० कु० डे** : हम सम्पूर्ण देश में महिलाओं के लिये प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ करने के लिये प्रयत्नन करते रहे हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि कोई महिला प्रशिक्षक नहीं मिलती।

भाखड़ा बांध

†*३४४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण भाखड़ा बांध के डिजाइन में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये उच्चकोटि के विशेषज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) उसमें क्या-क्या बात हुई थी।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भाखड़ा परामर्शदाता बोर्ड के परामर्श पर भाखड़ा नियत्रण बोर्ड ने सितम्बर, १९५८ में यह निर्णय किया था कि भाखड़ा बांध के जलाशय के स्तर को १० फुट और ऊंचा बनाया जाये। इससे बांध की ऊंचाई पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, परन्तु 'स्पिलवे' में जाने वाले पानी को नियंत्रण में रखने वाले रेडिकल गेटों को उचित सीमा तक बढ़ाना पड़ेगा। जलाशय के स्तर को ऊंचा करने पर लगभग ३.५ लाख एकड़ फुट अधिक पानी का संग्रह किया जा सकेगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : जलाशय के स्तर को ऊंचा करने की इस समय आवश्यकता क्यों अनुभव की गयी ह और इस पर कितना अतिरिक्त खर्च आयेगा।

†**श्री हाथी** : यह इसलिये किया जा रहा है ताकि ३.५ लाख एकड़ फुट और अधिक पानी जमा किया जा सके। इस पर लगभग ९.५ लाख अतिरिक्त रुपये खर्च आयगे।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने व्यास सम्पर्क योजना पर भी विचार किया है ?

†**श्री हाथी** : भाखड़ा बांध के सम्बन्ध में नहीं।

तुंगभद्रा परियोजना

+

†*३४५. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ११ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल उत्तरी तथा दक्षिणी नहरों के सम्बन्ध में, जिन्हें तुंगभद्रा परियोजना के अधीन अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है, जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वे नहरें राज्य पुनर्गठन से पहले की नहर व्यवस्था के अन्तर्गत आती थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को इस समय कार्यान्वित न करने का क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भूतपूर्व हैदराबाद सरकार न १२७ मील लम्बा तुंगभद्रा बायें किनारे की नहर की प्रथम प्रावस्था और दक्षिणी गढ़वाल नहर के १४ मील तक नहर तैयार करने के लिये प्राक्कलनों को मंजूरी दे दी थी । परन्तु बाद में बायें किनारे की नहर योजना के वास्तविक क्षेत्र के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश और मैसूर सरकारों में मतभेद उत्पन्न हो गया । इस प्रश्न पर नवम्बर, १९५९ में होने वाले एक अन्तर्राज्यीय सम्मेलन में दोनों राज्य सरकारों में बातचीत होगी ।

†**श्री नागी रेड्डी** : प्रारम्भ में जब नहर व्यवस्था के बारे में मूल योजना बनाई तथा मंजूर की गई थी, क्या उस समय यह नहर उसमें सम्मिलित थी ; और यदि हां, तो फिर उस पर दुबारा बातचीत करने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई है ?

†**श्री हाथी** : मैं ने बताया है कि उस पर मत-भेद उत्पन्न हो गया था । यह परियोजना वास्तव में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने से पहले ही प्रारम्भ हो चुकी थी । परन्तु केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा इस का परीक्षण नहीं किया गया था । फिर भी काम चलता रहा । अब इस का कुछ भाग कर्णाटक को हस्तांतरित कर दिया गया है । मैसूर सरकार का यह कहना है कि मूल योजना केवल रायचूर जिले की सिंचाई के लिये ही थी और आन्ध्र सरकार का कहना है कि यह नहर आन्ध्र प्रदेश के दो अन्य राज्यों को भी सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जायें । पुराने सभी रिकार्ड इस समय मैसूर सरकार के पास हैं ; इस बारे में दोनों राज्यों के प्रधान मंत्रियों में बात चीत हुई थी और यह तय पाया गया कि दोनों सरकारें पुराने रिकार्ड ढूंढने का प्रयत्न करेंगी, क्योंकि मूल सुझाव में यह नहीं लिखा हुआ है कि इस का क्षेत्र कितना विस्तृत होगा । अब दोनों सरकारें इस पर नवम्बर में बातचीत करेंगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्रीको संक्षेप में उत्तर देने का प्रयत्न करना चाहिये ।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या तुंगभद्रा परियोजना सम्बन्धी रिकार्ड केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास नहीं है ; और यदि हैं, तो क्या उस से यह ज्ञात नहीं हो सकता कि तुंगभद्रा परियोजना के स्वीकृत कार्यक्रम के अधीन इस नहर का क्या स्थान होना चाहिये ?

†**श्री हाथी** : दुर्भाग्यवश, रिकार्ड का निश्चित रूप से कुछ पता नहीं लग रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मद्रास सरकार से कहा गया है कि वह इन रिकार्डों की प्रतियां भेज दें क्योंकि इस बांध के निर्माण के लिये हैदराबाद सरकार के साथ मद्रास सरकार ही हिस्सेदार थी ?

†**श्री हाथी** : सभी रिकार्ड मैसूर सरकार को हस्तांतरित कर दिये गये थे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या इस बारे में मद्रास सरकार को भी कुछ लिखा गया था ?

†श्री हाथी : इस सम्बन्ध में मुझे ज्ञात नहीं है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या केन्द्रीय सरकार को ज्ञात है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की योजना की कार्यान्विति तक गढ़वाल दक्षिणी तथा उत्तरी नहरों की योजना के बारे में मैसूर तथा हैदराबाद

---

†मूल अंग्रेजी में

दोनों सरकारों को पूरा पूरा ज्ञान था, परन्तु इस समय कठिनाई उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सभी रिकाड मैसूर सरकार को हस्तांतरित कर दिये गये हैं और वे रिकार्ड आन्ध्र सरकार को नहीं दिखाये जा रहे हैं ?

†**श्री हाथी:** आशा है कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में समस्या हल हो जायेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** वे इस बारे में पहले बातचीत कर चुके हैं । उस से कुछ भी लाभ नहीं हुआ है ।

†**श्री नागी रेड्डी :** यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रत्यक मामला पहले से अधिक गम्भीर होता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या सरकार को ज्ञात है कि दोनों राज्यों के मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों की कई बार बातचीत हो चुकी है, परन्तु व कोई निर्णय नहीं कर सके हैं । तो क्या सरकार शीघ्र ही इस मामले को सुलझाने के लिये एक मध्यस्थ के रूप में निर्णय करने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री हाथी :** यदि वे आपस में कोई समझौता न कर सकें तो केन्द्रीय सरकार इस कार्य में अवश्य सहायता करेगी ।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** क्या यह सच नहीं है कि तत्कालीन हैदराबाद, मद्रास और मैसूर राज्य सरकारों में निश्चित रूप में एक समझौता हुआ था जिस में क्षेत्र भी निश्चित किये गये थे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति, उन राज्यों के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है ।

नार्थ ट्रंक रोड

†*३४७. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के बारे में कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक फैसला किया जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). जी, हां । नार्थ सालमारा तथा अमीनगांव के बीच की सड़क । पांडू नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र पर एक रेल-तथा-सड़क पुल बन जाने पर यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ को नार्थ सामरा से अमीनगांव तक बढ़ा दिया जाय । ब्योरेवार सर्वेक्षण करने के बाद ही निश्चित लाइन के बारे में निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने बताया है कि इसे केवल अमीनगांव तक ही राष्ट्रीय राजपथ बनाया जायेगा । परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमीनगांव से आगे की सड़क ही इस क्षेत्र के लिये परिवहन का एक मात्र मार्ग है, क्योंकि इस क्षेत्र में रेल नहीं है और मौनसून के दिनों में सड़क प्रतिवर्ष टूट जाया करती है, क्या सरकार वहां की जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अमीनगांव से आगे की उड़क को भी राष्ट्रीय राजपथ घोषित करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** उस क्षेत्र की जनता की आवश्यकतायें भी हमारे ध्यान में हैं । हम जानते हैं कि तेजपुर से नार्थ लक्ष्मीपुर तक संचार के साधन बहुत खराब हैं । इसीलिये तो हम ने इस क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेज़ी में

के लिये चार पांच परियोजनायें मंजूर कर दी हैं —तीन नदी परियोजनायें और कुछ सड़क परियोजनायें—और उन के लिये १.४३ करोड़ रुपयों की राशि मंजूर कर दी है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : नार्थ ट्रंक रोड पर दो नदियां हैं । उन पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम ने जियाभराली नदी के सम्बन्ध में एक परियोजना मंजूर कर दी है जिस पर लगभग ७७.८८ लाख रुपये खर्च आयेंगे । जहां तक डिकरांग नदी का सम्बन्ध है, उस पर पुल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ।

राम गंगा नदी पर बांध

†***३४९. श्री भक्त दर्शन:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री २३ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस बीच उत्तर प्रदेश की राम गंगा परियोजना को स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि और विदेशी मुद्रा सहायता के तौर पर दी जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वर्ष में इस योजना पर खर्चे के लिये ३० लाख रुपये के उपबन्ध की सिफारिश की गई है किन्तु अभी तक कोई आर्थिक सहायता मंजूर नहीं की गई है ।

लगभग २,१५,१३५ रुपये की विदेशी मुद्रा इस योजना के लिये मंजूर की गई है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना पर कुल खर्चा कितना होगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपय की मांग की है ।

श्री हाथी : इस योजना पर कुल खर्चा ३९ रोड़ का होगा, लेकिन दूसरी पंच-वर्षीय योजना में इस के लिये १७८ लाख रुपये का प्राविज़न किया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि इस योजना की जांच-पड़ताल में काफ़ी देरी हो चुकी है और बीच में काम बन्द भी हो चुका है और सार्वजनिक धन का ह्रास हुआ है, इसलिये क्या मैं आशा कर सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार यह हिदायत देगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इस को जल्द बनाये और केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक सहायता देगी ?

श्री हाथी : जितनी जल्दी हो सकेगा, इस को बनाने की कोशिश की जायगी ।

सेठ अचल सिंह : इस का काम डेफ़िनेटली कब से शुरू हो जायगा ?

श्री हाथी : शुरू हो चुका है ।

श्री सरजू पांडे : यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ।

श्री हाथी : इस में सात साल लगेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खाद्य उत्पादन

†*३५१. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री खुशवक्त राय :
श्री साधन गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री नाथ पाई :
श्रीमती इला पालचौधरी :
सेठ अचल सिंह :
श्री श० च० गोडसोरा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ में खाद्यान्नों के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या खाद्यान्नों की वृद्धि से खाद्यान्नों के भाव कम हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक कम हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). १९५८-५९ में १९५७-५८ की तुलना में खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग ११० लाख टन अथवा १७·६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ). जी, हां। खाद्यान्नों के थोक भावों का अखिल भारतीय देशनांक जो कि १९५८ में ११५ था, अप्रैल, १९५९ में घट कर ९९ हो गया था। जुलाई, १९५९ में देशनांक फिर से बढ़ कर १०७ हो गया है। परन्तु फिर भी वह गत वर्ष जुलाई, १९५८ की तुलना में कम था,—उस समय देशनांक ११० था। दालों के भावों में भी कमी हो गई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या हमारा देश तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में खाद्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जायेगा ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में देश को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री का कहना है कि इस वर्ष खाद्य के उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्या चावल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है; यदि हां, तो फिर चावल के भाव बढ़ जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी, हां। चावल का उत्पादन भी लगभग ४५ लाख टन बढ़ गया है। परन्तु यह कहना गलत है कि देश के सभी भागों में चावल के भाव अधिक हैं। जहां तक १९५८ के भावों का सम्बन्ध है, उस की तुलना में १९५९ में देश के कुछ भागों में चावल के भाव अधिक हैं, शेष सभी भागों में भाव कम हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह कथन गलत है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस बारे में अलग रूप में चर्चा की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

दिल्ली में जंगली जानवर

+

†अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १. { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का जंगली जानवरों को पकड़ने वाले एक दस्ते को, जो दिल्ली से २० मील दूर एक गांव में जंगली गायों को पकड़ने के लिये गया था, गांव वालों ने गांव से बाहर भगा दिया और उस को अपना काम नहीं करने दिया;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ ग्रामवासियों ने इस दस्ते पर लाठियों से हमला किया;

(ग) यदि हां, तो यह घटना कैसे घटी; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं। दिल्ली से २२ मील की दूरी पर सनोथ गांव में जंगली जानवरों को पकड़ने का कार्य स्थगित कर दिया गया है। वहां की कुछ गैर-काश्तकार लोगों ने इस कार्य का विरोध किया था। किन्तु उन्हों ने आश्वासन दिया है कि पन्द्रह दिन के अन्दर स्वयं ही ऐसे जानवरों को पकड़ कर दे देंगे।

(ख) तथा (ग). जी नहीं, जो किसान लोग इस कार्य को जारी रखनाप्चाहते थे उन में और गैर-काश्तकारों में, जो इस काम को बन्द करवाना चाहते थे, केवल कुछ कहा सुनी हो गयी थी।

(घ) यह घटना अपनी किस्म की पहली घटना थी। इस प्रकार काम में बाधा डालने वाले लोगों को काबू में लाने के लिये भविष्य में उचित कदम उठाये जायेंगे।

†श्री राधा रमण : सरकार ने किस सूचना के आधार पर इस गांव में यह दस्ता भेजा था। क्या इस दस्ते के साथ जो उपमंत्री वहां गये थे वह इसी उद्देश्य से वहां पर थे अथवा वह वहां पर अकस्मात् गये हुए थे।

†श्री अ० प्र० जैन : वहां के ग्रामवासियों ने खाद्य मंत्रालय को लिखा था कि वहां के जंगली जानवरों को पकड़ने का बन्दोबस्त किया जाये। इस पर यह उपमंत्री तथा कुछ संसद् सदस्य यह देखने के लिये, कि यह काम कैसे होता है, वहां पर गये हुए थे।

†श्री राधा रमण : क्या सरकार ने दिल्ली और उस के पास ऐसे जंगली जानवरों और मौओं की संख्या का कभी कोई अनुमान लगाया है और क्या उन के द्वारा फसलों को होने वाली हानि का भी कभी अनुमान लगाया गया है ?

†श्री अ० प्र० जैन : उन की संख्या अथवा उन के द्वारा की जाने वाली हानि का कभी कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया गया है। किन्तु अनुमान है कि ऐसे जानवर की काफी बड़ी संख्या है।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या वे जंगली गौएं थीं अथवा खुले जानवर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : जब जानवरों को एक लम्बे अर्से के लिया खुला छोड़ दिया जाता है तब वे जंगली जानवर कहलाने लगते हैं ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि जब कुछ उत्तेजित लोगों ने गायों को पकड़ने का विरोध किया और उप मंत्री जी को घेर लिया तो उन्हों ने गोऊ माता की जय के नारे लगा कर उन को शान्त किया ?

श्री अ० प्र० जैन : उपमंत्री जी तो नहीं घेरे गये । यह जो झगड़ा था वह किसानों में, जो कि उन मवेशियों को पकड़वाना चाहते थे, और दूकानदारों में था, जो कि उस में दखल दे रहे थे ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम** : इस जंगली मुहिम में कितने जानवर पकड़े गये हैं और उन का क्या किया गया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : या वे जानवर जंगली थे या मुहिम ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : कोई छः या सात ।

†**श्री त्यागी** : क्या बाद में उन को छोड़ दिया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : वहां के दुकानदारों ने उन को जबर्दस्ती छड़वा लिया । इन जानवरों को परवरश के लिये सामान्तया गौशालाओं में या देश के ऐसे भागों में जहां इन की मांग बहुत होती है भेज दिया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में सरकार ने मदद की है वैसे ही हिन्दुस्तान के और हिस्सों में भी किसानों को जानवरों आदि को पकड़ने में फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सहायता करेगी ?

श्री अ० प्र० जैन : यह जो तजवीज है वह बहुत माकूल है और जहां तक हो सकेगा हम जरूर मदद करेंगे ।

†**श्री त्यागी** : इस विषय पर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये । मंत्री महोदय ने अभी कहा है जंगली गौओं को पकड़ा गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस के लिये हमें किसी और अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : जानवरों को पकड़ा गया और फिर लोगों ने उन को जबर्दस्ती छुड़वा लिया । क्या सरकार ऐसी घटनाओं को पसंद करती है जिस में लोग सरकारी कर्मचारियों के हाथों से जब कभी भी जानवरों को इस प्रकार से छुड़वा लिया करें ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : निश्चय ही जिन लोगों ने रस्सियां काट कर उन जानवरों को छुड़ाया है उन्हों ने एक जघन्य अपराध किया है, किन्तु हम वहां पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिस से वहां की शान्ति व्यवस्था, के भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलवे लाइन के साथ इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाना

†*३४६. **श्री गोरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कोई ऐसा परिपत्र जारी किया है जिसमें उसने यह निर्देश किया है कि रेलवे लाइनों के दोनों ओर, जहां कहीं भी जगह हो, उचित किस्म की इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाने का प्रयत्न किया जाये; और

(ख) इस निर्देश को क्रियान्वित करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। रेलवे प्रशासनों को रेलवे लाइनों के साथ वृक्ष लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(ख). रेलवे प्रशासन ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे रेलवे लाइनों के दोनों ओर वृक्ष लगाने का प्रयत्न करें। इस कार्य के लिये रेलवे उचित स्थानों पर अपनी पौधशालायें खोल रही है। इस बीच में वे स्थानीय पौधशालाओं और वन अधिकारियों से आवश्यक बीज तथा पौधे प्राप्त करने का प्रबन्ध कर रही हैं। रेलवे द्वारा स्वयं वृक्ष लगाने के कार्यक्रम के अतिरिक्त रेलवे ने राज्य सरकारों के वन विभागों को भी रेलवे की अतिरिक्त भूमि में वन लगाने के लिये लिखा है।

मनीपुर में चावल के स्टाक का जब्त किया जाना

†*३४८. **श्री से० अघो सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में चावल और धान के व्यापारी डिप्टी कमिश्नर के यहां पंजीबद्ध नहीं हैं और वहां के प्रशासन ने सरकार के आदेशों का पालन न करने के कारण उन के यहां पड़े चावल और धान के स्टाक को जब्त करने का नोटिस निकाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अभिग्रहण प्रारम्भ हो चुका है; और

(ग) जाब्ता विभाग द्वारा कितनी मात्रा के स्टाक जब्त किये जा चुके हैं और कितने गोदामों पर ताला डाला जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अनेक व्यापारियों ने विशेषतया मनीपुर के मुफसिल क्षेत्रों में लाइसेंसिंग अधिकारियों से कोई लाइसेंस नहीं लिये थे। मनीपुर प्रशासन ने २५ अप्रैल, १९५९ को एक अधिसूचना द्वारा सब व्यापारियों को सचेत करते हुए यह आदेश दिया कि वे ७ दिन के अन्दर लाइसेंस ले लें अन्यथा उन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी और उन के स्टाकों को जब्त कर के प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेच दिया जायेगा।

(ख) तथा (ग): मनीपुर प्रशासन ने १० जुलाई, १९५९ के एक पत्र द्वारा सूचना दी है कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों का स्टाक नहीं जब्त किया गया।

दिल्ली के गांवों में पानी भर जाने के कारण क्षति

†*३५०. **श्री केशव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ के उत्तरार्द्ध में जोत की भूमि में पानी भर जाने के कारण दिल्ली राज्य के कितने गांवों को नुकसान पहुंचा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन गांवों को कोई सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो ३१ दिसम्बर, १९५८ तक इनको कितनी सहायता दी गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दिल्ली प्रशासन ने रिपोर्ट दी है कि इसका १६९ गांवों पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये सहायता उपायों सम्बन्धी एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३**]

बम्बई कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ पर पुल

†*३५२. **श्री तंगामणि :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ पर पीरूम्बाई के पुल का उसके पूर्णतया तैयार होने के उपरान्त भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस में क्या त्रुटियां रह गयी हैं; और

(ग) क्या इसका काम किसी नये ठेकेदार को सौंपा गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). अभी तक इस पुल के सभी रास्ते पूरे तैयार नहीं हुए। यद्यपि मुख्य पुल बन चुका है तथापि पयानूर की सड़क की तरफ़ का लैंड स्पेन अभी बनना शेष है।

इस पुल के बनने के बाद इस में यह ख़राबी हो गयी। एक तो पयानूर की सड़क नीचे बैठ गयी और दूसरे उस तरफ़ की दीवार तिरछी हो गयी। इन त्रुटियों को दूर करने के लिये वहां पर एक भू-खम्भ[1] तैयार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। केवल भू-खम्भ बनाने के लिये राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर मंगवाये गये हैं।

भारतीय हल

३५३. **सेठ अचल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी हल भूमि को अधिक गहरा नहीं खोद सकता और इस से जोता जाने वाला क्षेत्र भी कम होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस में कोई सुधार किया गया है और अच्छे हल का आविष्कार किया गया है; और

(ग) सुधार क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Land Span.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) देशी हल में निम्न सुधार किये गये हैं :—

(१) इस्पात का इस्तेमाल जैसा कि बालाराम नगर हल में।

(२) इस्पात की फाली और मूल का इस्तेमाल जैसा कि कूपर हल में।

(३) हरी खाद देने के लिये अलग होने वाला मिट्टी पलट जैसा कि वर्धा किस्म के देशी हल में।

उड़ीसा से चावल और धान का निर्यात

†*३५४. **श्री बं० च० मलिक :**
श्री पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की सरकार ने केन्द्र को लगभग २ लाख टन चावल और धान निर्यात किया है;

(ख) क्या केन्द्र और चावल और धान लेना चाहता है;

(ग) अन्य कौन से राज्यों ने केन्द्र को चावल और धान दिया है; और

(घ) अब तक केन्द्र को विभिन्न राज्यों से (राज्यवार) कितना चावल तथा धान प्राप्त हो चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार की ओर से ३१ जुलाई, १९५९ तक लगभग १,११,००० टन चावल और ५७,००० टन धान खरीदा है।

(ख) जी हां।

(ग) मध्य प्रदेश, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश की सरकारें भी केन्द्रीय सरकार की ओर से अपने राज्यों में चावल खरीद रही हैं।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा ३१-७-५९ तक केन्द्रीय सरकार की ओर से खरीदी गयी चावल और धान की मात्रा के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

राज्य	चावल (टन)	धान (टन)
उड़ीसा	१,११,१२५	५६,८४४
मध्य प्रदेश	३,८३,७४४	—
पंजाब	८४,१४४	—
आन्ध्र प्रदेश	९५,८८६	—

†मूल अंग्रेजी में

आयुर्वेदिक औषधियां

*३५५. **श्री पद्म देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आजकल भारत में शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां आसानी से नहीं मिलतीं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि भारत के विभिन्न आयुर्वेदिक सम्मेलनों ने यह मांग की है कि केन्द्र द्वारा एक औषधि निर्माण समिति नियुक्त की जाये; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त समिति द्वारा अपना कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कुछ स्थानों में आयुर्वेदिक औषधियां आसानी से नहीं मिलती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

तदर्थ रेलवे न्यायाधिकरण

†*३५६. { **श्री कुन्हन** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री वाजपेयी :

क्या **रेलवे** मंत्री १ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की कठिनाइयों की जांच करने के लिये नियुक्त तदर्थ न्यायाधिकरण द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट पर विचार किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है; और

(ग) इसको कब क्रियान्वित किया जायेगा।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

हवाई डाक सेवा

†***श्री रामो रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहां पर हवाई अड्डे हैं वहां पर जिला स्थानों में हवाई जहाज द्वारा डाक भेजने के सम्बन्ध में कोई नीति बनायी है;

(ख) क्या कृष्णपुरम में हवाई अड्डा बनने के बाद वहां पर हवाई जहाज द्वारा डाक भेजने की व्यवस्था की जायेगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस योजना का विस्तृत विवरण ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) जी नहीं । सरकार की नीति प्रथम श्रेणी के सादी डाक और दूसरी श्रेणी की सरचार्ज्ड डाक को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं द्वारा उन स्थानों पर विमान द्वारा भेजने की है जहां पर कि वह जल्दी से भेजी जा सकती है ।

(ख) अभी किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है । यदि वहां पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोशन की कोई सेवा जायेगी तब यदि लाभदायक समझा गया तो वहां पर विमान द्वारा डाक भेजने के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है ।

(ग) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ओखला म बड़ी संख्या में मछलियों का मरना

†*३५८. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना में ओखला के स्थान पर हज़ारों मछलियां निज़ामुद्दीन के गन्दे नाले की, जो वहां पर यमुना में गिरता है, दुर्गन्ध के कारण मर रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस का सब से ज्यादा उन मछलियों पर प्रभाव पड़ रहा है जिनका कि आजकल अंडे देने का समय है; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ३० मई, १९५९ को निज़ामुद्दीन के गन्दे नाले से यमुना में गिरने वाले पानी से यमुना के जल के सड़ने के कारण लगभग १५ मन मछलियां मर गयी हैं ।

(ख) जी हां, कुछ मछलियों पर, जैसे मिस्टस, सींघाला और इयूट्रोपलिचिथिया वाचा और चिताल इस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है ये मछलियां प्राय: मौनसून के प्रारम्भ होने पर अंडे दिया करती हैं ।

(ग) (१) ओखला रिज़र्वायर के गन्दे पानी को निकाल दिया गया है इससे और मछलियों का मरना बन्द हो गया है ।

(२) दिल्ली नगर निगम गन्दे पानी को यमुना में गिरने से रोकने के लिये आवश्यक कार्य कर रहा है । आशा है ये कार्य एक वर्ष के अन्दर पूरे हो जायेंगे ।

गाड़ी में एक महिला से बलात्कार

*३५९. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर से इटावा जाने वाली शटल यात्री गाड़ी में १ जुलाई, १९५९ को उत्तर रेलवे के इटावा और इकदिल रेलवे स्टेशनों के बीच एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) रिपोर्ट मिली है कि बलात्कार नहीं किया गया लेकिन दो हरिजन महिलाओं के साथ जो उस गाड़ी के जनाने डिब्बे में सफर कर रही थीं, इटावा और इकदिल स्टेशनों के बीच एक नायक और सैनिक ने छेड़-छाड़ की और उनमें से एक महिला को चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया ।

(ख) दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

रूरकेला-बरसुआ रेलवे लाइन

†*३६०. **श्री सूपकार** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला से बरसुआ की लोहे की खानों तक रेलवे लाइन बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह लाइन कब तक पूरी तैयार हो जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जुलाई, १९५९ के अन्त तक ८० प्रतिशत काम पूरा हो चुका है ।

(ख) इस वर्ष दिसम्बर के अन्त तक ।

भूमिगत समाक्षीय केबल योजना[1]

†*३६१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के नगरों को मिलाने के लिये जो भूमिगत समाक्षीय केबल योजना बनायी गयी थी वह विदेशी मुद्रा के अभाव में रुकी पड़ी है;

(ख) यह योजना कहां तक क्रियान्वित की जा चुकी है ; और

(ग) क्या बम्बई और दिल्ली लिंक १९६१ से पहले पूरा हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) जी नहीं । योजना चल रही है ।

(ख) अभी तक दिल्ली और आगरा को मिलाया गया है । अब आगरा-कानपुर-लखनऊ सेक्शन में काम हो रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

रंगपुर के समीप कृष्णा नदी पर पुल

†*३६२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगपुर के समीप कृष्णा नदी पर जो पुल बन रहा था उसका काम किस प्रक्रम तक पहुंच चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Underground Coaxial Cable Scheme.

(ख) क्या काम में तेजी लाने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ५२ खम्भों में से ६ खम्भों की नींव की खुदाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

(ख) काम की गति सन्तोषजनक है और पुल निर्धारित समय में तैयार हो जायेगा ।

काश्मीर में बाढ़ नियंत्रण के लिये बृहद् योजना (मास्टर प्लान)

†*३६३. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ९ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने अब काश्मीर में बाढ़ नियंत्रण संबंधी वृहद् योजना (मास्टर प्लान) की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) प्रारम्भिक परीक्षण पूरा हो चुका है ।

(ख) सामान्यतया बृहद् योजना (मास्टर प्लान) के प्रस्ताव सन्तोषजनक हैं, किन्तु राज्य के इंजीनियरों ने इसमें कुछ रूप भेदों का सुझाव दिया है ।

घटिया किस्म का कोयला

†*३६४. **श्री प्र० च० बरुआ :**
श्री प्र० ग० देव :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने कोयला नियंत्रक और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को रेलवे को घटिया किस्म का कोयला देने के विरुद्ध एक पत्र लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे रेलवे को कितनी हानि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख). कोयला नियंत्रक और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का ध्यान कुछ स्थानों पर रेलवे को घटिया कोयला दिये जाने की ओर दिलाया गया है क्योंकि इससे रेलवे इंजनों की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है केवल इस कारण से होने वाली हानि का अनुमान लगाना कठिन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली का नजफ़गढ़ नाला

†*३६५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दो० च० शर्मा :
श्री केशव :
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ९ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२१ के **उत्तर** के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नजफगढ़ नाले की सर्वेक्षण तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

ब्यास नदी पर बांध

†*३६६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री हेम राज :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ६ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने ब्यास नदी पर बांध बनाने की योजना भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) तथा (ख). पंजाब सरकार ने औपचारिक रूप से ब्यास पर बांध बांधने के बारे में अभी कोई योजना नहीं भेजी है, किन्तु उन्होंने इस परियोजना की अग्रिम प्रति भारत सरकार के पास भेजी है । इस समय केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग इस योजना की टेक्नीकल जांच कर रहा है ।

परिवहन सहकारी संस्थायें

†*३६७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में परिवहन सहकारी समितियां बनाने की योजना बनायी जा चुकी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो आज तक इस प्रकार की कितनी सहकारी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं; और

(ग) इन समितियों के मुख्य कार्य ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई सहकारी समिति नहीं बनायी गयी है। राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता आदि का ब्योरा तैयार किया जा रहा है और इन समितियों का काम चलाने के लिये कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य शीघ्र ही शुरू करने की आशा है।

(ग) इन सहकारी समितियों का मुख्य कार्य सहकारी आधार पर राज्य के नगरों के बीच माल लाने ले जाने की परिवहन सेवाओं को चलाना होगा।

विश्व बैंक की टीम का आगमन

†*३६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री जगन्नाथ राव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री वाजपेयी :
श्री सरजू पांडे :
श्री संगण्णा :
श्री प्र० ग० देव :
(श्री विश्वनाथ रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने मई १९५९ में भारत में एक टीम भेजी थी जिसके सदस्यों ने भारत में अनेक रेलवे सेंटरों का निरीक्षण किया और जो रेलवे बोर्ड से भी मिले हैं ;

(ख) इस टीम के भारत आगमन का क्या उद्देश्य था ; और

(ग) इस टीम के साथ बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). यह टीम रेलवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति का निरीक्षण करने और रेलवे का कार्य संचालन देखने के लिये भेजी गयी थी। इसके साथ कोई बातचीत नहीं चलायी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन[1]

†*३६९. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारयण दास :
श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० देब :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संघ के १२वें सम्मेलन में क्या निश्चय किये गये हैं ? क्या मंत्री महोदय सम्मेलन की सिफारिशों की एक प्रति सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(ख) क्या १९६१ में भारत में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर लगभग कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १२वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के विनिश्चयों व सिफारिशों की एक प्रति लोक सभा के पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये संख्या एल० टी०—१५३०/५९]**

(ख) जी हां ।

(ग) लगभग १० लाख रुपये । इसके अलावा यजमान देश के नाते हम को कार्यालय का स्थान, परिवहन सुविधायें, अन्य सामान, टेलीफोन, तार आदि की व्यवस्था आदि भी करनी पड़ेगी ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में दोषयुक्त पोतों का निर्माण

†*३७०. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री अ० क० गोपालन् :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री कुन्हन :
श्री मुरारका :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड में पोतों के दोषमुक्त डिजाइन और निर्माण के लिये मैसर्स ए० सी० एल० से धन प्राप्त करने में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस मामले में कोई वैधिक कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). अभी ए० सी० एल० के साथ विचार विमर्श हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]World Health Assembly.

'प्रिन्टरग्राम सेवा'

†*३७१. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रिन्टरग्राम सेवा चालू करने का विचार है; और

(ख) इसमें और फोनोग्राम में क्या अन्तर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) हां ।

(ख) फोनोग्राफ सेवा में टेलीफोन रखने वालों को यह सुविधा दी जाती है कि वे टेलीफोन से स्थानीय तारघर को तार भेज देते हैं । प्रिन्टरग्राम सेवा में सेवा से सम्बन्धित व्यक्तियों को टेलीप्रिन्टर दिये जाते हैं और उन्हें यह सुविधा होती है कि वे अपने स्थान से स्थानीय तारघर को इन टेलीप्रिन्टरों से तार भेज सकते हैं और इन्हीं पर तार घर से तार प्राप्त कर सकते हैं ।

चीनी उत्पादन

†*३७२. { **श्री बर्मन** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नये चीनी के कारखानों के खुलने और विद्यमान, कारखानों के विस्तार के अनुसार ही देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है;

(ग) क्या सहकारी चीनी मिलों और व्यक्तिगत चीनी मिलों के उत्पादन में कोई अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान् । उत्पादन केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि कितने मिल चल रहे हैं या उनकी क्षमता कितनी है अपितु गन्ने की उपलब्धि और किस्म पर भी निर्भर है । एक विवरण जिसमें पिछले चार वर्षों में चालू रहे मिलों की संख्या, उनकी अधिष्ठापित क्षमता और चीनी का वास्तविक उत्पादन दिया है, सभा-पटल पर रखा जाता है ।

मल अंग्रेजी में

विवरण

फसल	चालू रहे कारखानों की संख्या	अधिष्ठापित क्षमता (लाख टन)	चीनी का वास्तविक उत्पादन (लाख टन)
१९५५–५६	१४३	१६.०	१८.६२
१९५६–५७	१४७	१७.३	२०.२९
१९५७–५८	१५८	१८.७	१९.७८
१९५८–५९	१६४	२०.०	१९.२१ (अनुमानित)

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलों पर विद्यार्थियों की हुल्लड़बाजी

†*३७३. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री वाजपेयी :
श्री पहाड़िया :
श्री स० अ० मेहदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने हाल में ही समस्त भारतीय रेलों के महाप्रबन्धकों को निदेश भेजा है कि वे रेलों पर, विशेषकर महिला यात्रियों के प्रति और खतरे की जंजीर खींचने के सम्बन्ध में, विद्यार्थियों की हुल्लड़बाजी रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही करें;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये निदेश के लागू होने के उपरान्त हुल्लड़बाज़ी रोकने में कैसी और कितनी सफलता मिली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां। ऐसे अनुदेश इस वर्ष जून मास में दिये गये थे।

(ख) अनुदेशों में कहा गया है कि प्रभावित भागों में रेलवे कर्मचारियों, सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे दंड अधिकारी के छापों का आयोजन करके, जो घटनास्थल पर ही ऐसे मामलों का निर्णय कर सकते हैं, विद्यार्थियों की हुल्लड़बाज़ी निश्चित रूप से रोकनी है। ऐसे छापों से एक बार किया गया नियन्त्रण उसकी पुनरावर्ति रोकने के लिये चालू रखना है।

झूठी शिकायतों व कार्यों या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध कर्मचारियों के लिये आवश्यक सहायक की व्यवस्था करने एवं विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं से यह निवेदन करने के लिये रेलों से कहा गया है कि वे विद्यार्थियों को उचित व्यवहार करने की आवश्यकता बतायें। यदि इतने पर भी विद्यार्थी अड़चनें पदा करते रहते हैं, तो उस शिक्षण संस्था को अन्यथा दी गई रियायती यात्रा की सुविधायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(ग) परिणाम अभी नहीं बताया जा सकता।

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में इस्पात के पुल

†*३७४. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में राष्ट्रीय राजपथों पर पुलों के निर्माण के लिये आन्ध्र प्रदेश को कितना इस्पात आवंटित किया गया;

(ख) इस वर्ष वास्तव में कितना इस्पात भेजा गया;

(ग) क्या इस्पात के कम संभरण के कारण किसी पुल का निर्माण रुक गया था;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन पुल रोके गये;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अभ्यावेदन किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) ९५३ टन ।

(ख) १४४ टन ।

(ग) तथा (घ). गौतमी नदी तथा बन्दर नहर पर पुलों की प्रगति कुछ समय के लिये धीमी पड़ गई ।

(ङ) तथा (च). हाल में ही आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस्पात का संरक्षित स्टाक बनाने का प्रस्ताव किया है । इस्पात की वर्तमान मांग और संभरण की दृष्टि से प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

उत्तर रेलवे के केबिन

†*३७५. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः वर्षों में उत्तर रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में केबिनों का निर्माण हुआ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ गिराये जा रहे हैं और कुछ गिरा दिये गये हैं या उनकी जगह नये बना दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, इस गिराने का क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) हां ।

(ख) हां, इन में से एक केबिन गिरा दिया गया है ।

(ग) इस केबिन का स्थान दोहरी लाइन करने के उपयुक्त न था इसलिये इसका गिराया जाना आवश्यक हो गया । केबिन बनाते समय वहां दोहरी लाइन करने का विचार न था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला-खानों के लिये माल डिब्बों की कमी

†*३७६. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल-डिब्बों की कमी के कारण झरिया कोयला क्षेत्र में १२० कोयलाखानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और कोयला जमा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो माल-डिब्बों की कमी का क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सफदरजंग—कुतुब मीनार सड़क पर रोशनी

†*३७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे से कुतुब मीनार को जाने वाली सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने में और क्या प्रगति हुई है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

प्रादेशिक तथा राज्य जल-निस्सारण बोर्ड

†*३७८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २० अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रादेशिक तथा राज्य जल-निस्सारण बोर्डों की स्थापना के बारे में राज्य सरकारों के उत्तर प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे उत्तर क्या हैं; और

(ग) इन बोर्डों की स्थापना के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बीना—भोपाल तथा अम्बुपुर—कटनी लाइनों का दोहरा करना

†*३७९. **श्री केशव** : क्या **रेलवे** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की बीना–भोपाल तथा दक्षिण पूर्व रेलवे की अम्बुपुर—कटनी लाइन को दोहरा करने में क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन दोनों लाइनों की कितनी मील लम्बी लाइनें दोहरी की जायेंगी; और

(ग) कार्य कब समाप्त होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) बीना—भोपाल लाइन को दोहरा करने का कार्य लगभग आधा समाप्त हो गया है। अन्नुपुर—कटनी लाइन पर २० प्रतिशत कार्य हुआ है ?

(ख) तथा (ग). बीना—भोपाल लाइन ३८.५ मील और अन्नुपुर—कटनी लाइन ६५.७५ मील दोहरी की जा रही है। पहिली लाइन जून १९६० तक और दूसरी जून १९६१ तक पूरी हो जायेगी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण के लिये धन की व्यवस्था

†*३८०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों ने बाढ़ नियन्त्रण के लिये चालू योजना में ६० करोड़ रु० के उपबन्ध को घटा कर ४९ करोड़ रु० करने का विरोध भारत सरकार से किया है;

(ख) क्या उन्होंने अपनी कुछ महत्वपूर्ण बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को बीच में न छोड़ने के कारण कटौती हटा देने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इन विरोधों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने २२ दिसम्बर, १९५८ को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिये धन की स्थिति का पुनरीक्षण किया था। इस विषय तर विचार विमर्श करते समय राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उस समय विद्यमान बाढ़ नियन्त्रण के लिये ४९ करोड़ रु० की व्यवस्था में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये क्योंकि राज्य सरकारों को ऋण सहायता देने में कोई भी कमी का उनके बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रमों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ? इस प्रश्न पर योजना आयोग के परामर्श से पुनः विचार किया गया था और तत्पश्चात् उपबन्ध ४९ करोड़ रु० से बढ़ा कर ५६ करोड़ रु० कर दिया गया है ताकि राज्य सरकारें कुछ और अविलम्बनीय बाढ़ नियन्त्रण कार्य आरम्भ कर सकें ।

हिसार और मोहिन्दरगढ़ जिलों में तार व टेलीफोन की सुविधायें

†६००. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के हिसार और मोहिन्दरगढ़ जिलों में ३ हज़ार या अधिक जनसंख्या के ऐसे कितने गांव व कस्बे हैं जिनमें तार व टेलीफोन की सुविधायें नहीं हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वहां ये सुविधायें कब तक उपलब्ध होंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) तथा (ख) सामान्य रूप में तार व टेलीफोन की सुविधायें वहां दी जाती हैं जहां उसका व्यय पूर्ण हो जाता है। इन सुविधाओं के विकास के लिये ५००० से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में तार सुविधाओं की व्यवस्था पर १००० रु० प्रतिवर्ष हानि स्वीकार्य है। टेलीफोन की सुविधा के बारे में तहसीलों या २०,००० से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों के अतिरिक्त जहां हानि पर केवल टेलीफोन की सुविधा है और कहीं यह हानि स्वीकार्य नहीं है। हिसार और मोहिन्दरगढ़ ज़िलों में ३००० से अधिक जनसंख्या के स्थानों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। हिसार जिले में ६ स्थानों और मोहिन्दरगढ़ जिले के ३ स्थानों की जनसंख्या ५००० से अधिक है। इन सभी स्थानों में टेलीफोन व तार की सुविधायें हैं। ५००० से कम जनसंख्या के स्थानों पर विचार किया जाता है बशर्ते कि वे अपने व्यय का भुगतान करें या कोई और हानि पूरी करने को तैयार हो

रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद

†६०१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में श्रेणी ३ की भर्ती के लिये रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद को कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) उसी अवधि में कितने उम्मीदवार चुने गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) ८६,७९३ ।

(ख) ५,८३५ ।

बीकानेर डिवीजन में प्लेटफार्मों पर छत डालना

†६०२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में कितने और किन-किन स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर अब तक छत डाली गई है ; और

(ख) १९५९–६० में कितने और किन-किन स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छत डाली जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) आठ स्टेशन ।

(१) दिल्ली का बड़ा स्टेशन (छोटी लाइन के प्लेटफार्म नं० १३ और १४) ।

(२) दिल्ली छावनी ।

(३) पालम ।

(४) रिवाड़ी ।

(५) हिसार ।

(६) सादुल पुर ।

(७) हनुमानगढ़ ।

(८) बीकानेर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चार स्टेशन;

(१) श्री गंगा नगर;

(२) बीकानेर (बीच का प्लेटफार्म);

(३) दिल्ली सराय रोहिल्ला; और

(४) दिल्ली का बड़ा स्टेशन (छोटी लाइन प्लेट फार्म नं० ११ तथा १२)।

यह बात रुपया और सामान की उपलब्धि पर निर्भर है।

सिंचाई के लिये पानी का उपयोग

†६०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई के लिये प्रत्येक राज्य में बड़ी और मझली सिंचाई योजनाओं द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक कुल कितना पानी दिया गया; और

(ख) प्रत्येक राज्य में सिंचाई के लिये वास्तव में कुल कितना पानी काम में लाया गया ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). मार्च, १९५७ और मार्च १९५८ के अन्त में उत्पन्न की गई शक्ति (पोटेन्शियल) और वास्तव में काम में लाई गयी शक्ति बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७]** शक्ति (पोटेन्शियल) की व्यवस्था इस प्रकार की गयी है अर्थात् निकासी के स्थानों पर दिये गये पानी की मात्रा।

उत्तर रेलवे में आकस्मिक कर्मचारी

†६०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ में उत्तर रेलवे में कुल कितने आकस्मिक कर्मचारी थे ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों ने एक साल में अधिक लगातार काम किया ; और

(ग) उन्हें नियमित सेवा में रखने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

(क)	१९५६	११४९८१
	१९५७	१२७७०८
	१९५८	१०३३६१
(ख)	१९५६	३२१
	१९५७	१८८
	१९५८	२५२

†मूल अंग्रेजी में

[1]Casual workers.

(ग) और (घ). सेलेक्शन बोर्ड नियमित वर्ग ४ सेवा में अन्य उम्मीदवारों के साथ आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति पर विचार करता है। फलस्वरूप वे निम्नलिखित संख्या में उत्तर रेलवे में रख लिये गये हैं :—

१९५६	४१८
१९५७	५६३
१९५८	६३३

दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिये नयी बसें

†६०५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में अब तक दिल्ली परिवहन उपक्रम की चलती बसों में और कितनी नई बसें शामिल की गई हैं ; और

(ख) १९५९-६० की शेष अवधि में और कितनी बसें शामिल की जायेंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) २८.

(ख) ५७.

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना

†६०६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में अमृतसर और पठानकोट के बीच स्टेशनों पर बिजली लगाने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** विवरण संलग्न है। अमृतसर और पठानकोट के बीच रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने की स्थिति इस प्रकार है :—

स्टेशन का नाम	स्थिति
अमृतसर वेरका बटाला जंकशन धारीवाल गुरुदासपुर सरना भारोसी पठानकोट दीना नगर	बिजली लगा दी गई है।
जयन्तीपुरा छीना सोहाल	१९५९-६० में बिजली लगाने का कार्यक्रम है।
काढूनांगल जकोलारी	१९६०-६१ में बिजली लगाने का कार्यक्रम है।
परमानद	बिजली लगाने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि आसपास अभी बिजली उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई राज्य में मुर्गी पालन उद्योग का विकास

†६०७. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अखिल भारतीय मुर्गीपालन विकास योजना के अधीन विस्तार तथा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिये बम्बई राज्य को अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :**

१९५६–५७—कुछ नहीं ।

१९५७–५८—३.६४ लाख रुपये

(२.७८ लाख रुपये अनुदान के तौर पर और ०.८६ लाख रुपये ऋण के रूप में) ।

१९५८–५९—१.५३ लाख रुपये

(०.२६ लाख रुपये अनुदान के तौर पर और १.२७ लाख रुपये ऋण के रूप में) ।

१९५९–६०—मुर्गीपालन अनुसंधान और मुर्गीपालन विकास योजनाओं के लिये ७.७२ लाख रुपये की

(५.९७ लाख रुपये अनुदान के तौर पर और १.७५ लाख रुपये ऋण के रूप में) केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है। इस में मुर्गीपालन विस्तार तथा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिये व्यवस्था भी शामिल है । उस के लिये दी जाने वाली ठीक-ठीक धनराशि राज्य सरकार के स्वविवेक पर छोड़ दी गई है ।

बम्बई राज्य में सिंचाई योजनायें

†६०८. **श्री पांगरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में बम्बई राज्य में सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कितनी धनराशि नियत की गई ; और

(ख) राज्य में कौन-कौनसी बड़ी सिंचाई योजनायें हैं जिनपर वह धनराशि खर्च की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) १९५९-६० में सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये २१.१० करोड़ रुपये नियत किये गये हैं ।

(ख) अन्य योजनाओं के साथ-साथ निम्नलिखित बड़ी सिंचाई योजनायें हैं (५ करोड़ रुपये से अधिक लागत की) जिन पर वह धनराशि खर्च की जायगी :—

१. माही (कडाना स्टेज २)
२. नर्मदा
३. बनस
४. मुला
५. गिरना
६. माही दाहिना किनारा नहर
७. काकरापार

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में सहकारी विपणन संस्थायें

†६०९. **श्री दशरथ देब :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६ से १९५९ में अब तक त्रिपुरा में किन-किन सहकारी विपणन संस्थाओं को सरकार ने ऋण दिया ;

(ख) प्रत्येक को कितना ऋण दिया गया ;

(ग) किन-किन सहकारी विपणन संस्थाओं को अभी तक कोई ऋण नहीं दिया गया है ; और

(घ) उन्हें कोई ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :** (क) सरकार ने निम्नलिखित तीन संस्थाओं को गोदाम बनाने की लिये ऋण दिया था :—

(१) जिरानिया कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड ।

(२) कैलाशहर प्राइमरी मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ।

(३) बेलोनिया प्राइमरी मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ।

(ख) प्रत्येक को १८,७५० रुपये ।

(ग) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित तीन संस्थाओं के अतिरिक्त और किसी संस्था को अब तक कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

(घ) गोदाम बनाने के लिये सहकारी विपणन संस्थाओं को भारत सरकार से ऋण सहायता का दिया जाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम का एक भाग है । यह सहायता प्रतिवर्ष तैयार किये जाने वाले क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार दी जाती है । अभी तक भाग (क) में उल्लिखित तीन संस्थायें इस कार्यक्रम में शामिल की गई हैं । जब कभी अन्य संस्थायें स्वीकृत कार्यक्रम में शामिल की जायेंगी तब उन्हें ऋण सहायता प्राप्त होगी ।

अधिक नमक खाने का प्रभाव

†६१०. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सिद्धान्त के बारे में कोई अनुसन्धान किया गया है कि अधिक नमक खाने से अत्याततिं (हाइपरटेन्शन) और अधिक रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) होता है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का अनुसन्धान हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) सारे संसार में व्यापक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन से सामान्य लोगों में अत्याततिं (हाइपरटेन्शन) की मात्रा और नमक के उपयोग के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता । अत्याततिं (हाइपरटेन्शन) से ग्रस्त लोगों के सम्बन्ध में, नमक के अधिक उपभोग से अत्याततिं बढ़ जाती है और इसी प्रकार नमक के कम उपयोग से वह भी कम हो जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् अधिक रक्तचाप (हाइ ब्लड प्रेशर) का भार निर्धारित करने के लिये देश के विभिन्न केन्द्रों पर व्यापक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन का संचालन कर रही है। इस अध्ययन में व्यक्तियों द्वारा नमक का उपभोग शामिल है।

(ख) चूं कि अभी काम जारी है, किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना सम्भव नहीं है।

पत्तन संघों द्वारा उठाये गये मामले

†६११. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९५८ में हड़ताल करते समय पत्तन संघों ने जो स्थानीय प्रश्न उठाये थे उन में से कितने प्रत्येक बड़े पत्तन पर, कर्मचारियों को दिये गये आश्वासन के अनुसार, मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपे गये ;

(ख) इस प्रकार सौंपे गये कौन-कौन से प्रश्न हैं ; और

(ग) ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो इस प्रकार सौंपे नहीं गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). हड़ताल समझौते में दिये गये सरकारी आश्वासन में केवल वही स्थानीय और दलीय मांगें हैं जो पत्तन संघों से हड़ताल की सूचना प्राप्त होने से ठीक पहले शेष थीं।

२. कोचीन, विजगापट्टम् और कांडला बन्दरगाहों पर ऐसे कोई स्थानीय प्रश्न नहीं थे जो मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपे जाते।

३. कलकत्ते में दो विचाराधीन प्रश्न न्याय निर्णयन के लिये सौंपे गये। बचे हुए अधिकतर मामले संबंधित संघों के साथ बातचीत के जरिये निबटाये गये। ज्ञात हुआ है कि कलकत्ता पत्तन श्रमिक संघ मध्यस्थ निर्णय अथवा न्यायनिर्णयन की अपेक्षा बातचीत के जरिये निबटारा अधिक पसन्द करता है। अतः इस बन्दरगाह पर कोई प्रश्न मध्यस्थ निर्णय के लिये नहीं सौंपा जायगा।

४. बम्बई और मद्रास बन्दरगाहों पर पत्तन प्रशासनों ने सम्बन्धित संघों के साथ बातचीत की है किन्तु औद्योगिक विवाद एक्ट, १९४७ की धारा १०क के अधीन अभी तक दोनों दलों में मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने के बारे में स्थिति संयुक्त करार प्राप्त होने के बाद ही स्पष्ट होगी। मोटे तौर पर, निम्नलिखित दशाओं में कोई प्रश्न मध्यस्थ निर्णय के लिय नहीं सौंपे जायेंगे यदि वे प्रश्न

(एक) वास्तव में स्थानीय रूप के न हों;

(दो) श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल की सूचना दिये जाने के पूर्व विचाराधीन न पड़े हों, अथवा

(तीन) उन मांगों से सम्बन्धित हों जो २० जुलाई, १९५८ के सरकारी संकल्प द्वारा अथवा उस समय लागू औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पंचाटों द्वारा निबटायी गयी हों या उन बातों से सम्बन्धित हों जो पहले ही विधि के अन्तर्गत आ गयी हों या निर्णयाधीन हों; अथवा

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अर्थ में 'औद्योगिक विवाद' की परिभाषा के क्षेत्र में न आते हों और जब तक कि दोनों दलों द्वारा उस अधिनियम की धारा १० के अर्थ में उन्हें स्वेच्छापूर्ण मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने के हेतु संयुक्त करार पर हस्ताक्षर न किये गये हों।

नेपाल द्वारा काठमांडू-कलकत्ता विमान सेवा

†६१२. **श्री प्र० गं० देब** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत द्वारा चालू की गयी असैनिक उड्डयन योजना के अन्तर्गत काठमांडू-कलकत्ता विमान सेवा चलाने के लिये नेपाल ने भारत से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** :(क) और (ख). काठमांडू और कलकत्ता के बीच एक विमान सेवा चलाने के लिये रायल नेपाल एअरलाइन्स को अनुमति दिये जाने के लिये एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी। यह विषय दोनों सरकारों के बीच चर्चा के अधीन होने के कारण इस दशा में सभा में इस पर चर्चा करना लोक हित में नहीं होगा।

दिल्ली में दूध संभरण योजना

†६१३. **श्री प्र० गं० देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई १९५९ तक दिल्ली दूध संभरण योजना को न्यूजीलैंड सरकार ने कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : न्यूजीलैंड की सरकार ने दिल्ली दूध संभरण योजना को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ८००,००० पाउंड (अर्थात् १०६ लाख रुपये) की वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है। सारी राशि मिल गई है।

पशुओं के लिये नमक

†६१४. **श्री प्र० के० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पशुओं को चारे के साथ नमक देना आवश्यक होता है;

(ख) प्रति वर्ष पशुओं को खिलाने में कितने नमक की खपत होती है; और

(ग) पशुओं के चारे में नमक का प्रयोग प्रचलित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :(क) जी हां, इसलिये कि पशुओं को भूख लगे उन के बाल कड़े न हों, उन की सामान्य स्थिति शीघ्र खराब न हो और दूध कम न हो।

टेलीफोन के कनेक्शन

†६१५. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर में १९५७ से जुलाई, १९५९ तक कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनक्शनों के लिये प्रार्थनापत्र दिये:

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक कितने कनेक्शन दिये गये; और

(ग) अब तक कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) उन्हत्तर ।

(ख) पचास ।

(ग) कोई नहीं । अन्य मांगें रद्द कर दी गई हैं ।

भारत-तिब्बत राष्ट्रीय राजपथ

†६१६. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष की वर्षा में भारत-तिब्बत राष्ट्रीय राजपथ का लगभग मील का टुकड़ा बह गया है और बीस मील से कुछ अधिक लम्बा टुकड़ा बुरी तरह टूट गया और

(ख) यदि हां, तो लगभग कितनी हानि हुई और इस के पुनर्निर्माण पर कितने व्यय की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) नहीं श्रीमान् । किन्तु पता लगा है कि मटियाना और रामपुर के बीच कुछ स्थानों पर राजपथ टूट गया है । कुछ स्थानों पर थोड़ी-थोड़ी सड़क टूट गई है । टूटी हुई सड़क कुल मिला कर लगभग छः मील होगी ।

(ख) क्योंकि वर्षा निरन्तर हो रही है अतः अब भी सड़क टूट रही है । अनुमित हानि और पुनर्निर्माण के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं और वर्षा के पश्चात तैयार हो जायेंगे ।

सिंचाई तथा विद्युत् के लिये निधियों का प्रयोग

†६१७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सिंचाई और विद्युत के लिये नियत की गई धन राशि में कितने प्रतिशत राशि केन्द्र और राज्यों ने विशेष रूप से पंजाब में व्यय की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई और विद्युत के लिये पुनः किया गया उपबन्ध लगभग ७८५.१९ करोड़ रुपये का है जिस में से पंजाब के लिये लगभग ६९.४९ रुपय की राशि नियत है । वर्ष १९५६-५७, १९५७-५८ का वास्तविक व्यय और १९५८-५९ के पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल दी राशि का ५८.८५ प्रतिशत है । पंजाब सरकार ने अपनी नियत राशि का लगभग ६९.४ प्रतिशत इन वर्षों में व्यय किया है ।

रेलवे कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां

†६१८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्य संचालन में दक्षता बढ़ाने के लिये रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्तियां दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). सुझावों अथवा अनुसन्धानों या दुर्घटनायें आदि रोकने के लिये उचित समय पर की गई सेवा के लिये निम्नलिखित रूप में नगद पुरस्कार दिय जाते हैं :--

१. नगद पुरस्कार :

२. कर्मचारी के सेवा सम्बन्धी पत्रों में अभिलेख ।

३. पेशगी वतन वृद्धि ।

४. अध्ययन के लिये छुट्टि देने में प्राथमिकता :

५. अतिरिक्त रेलवे पास ।

६. रेलव कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्तियां ।

७. सामूहिक पुरस्कार--कर्मचारियों के सामूहिक कल्याण के लिये व्यय की जाने वाली राशि ।

३१-३-१९५९ को समाप्त होन वाले वर्ष में कुल १०८० रुपय की चार छात्र वृत्तियां कर्मचारियों के बच्चों को उन कर्मचारियों को अच्छा सेवा के कारण दी गई थीं ।

प्रोत्साहन के पहलू के अतिरिक्त रेलवे में कर्मचारियों के कल्याण के साधन के रूप में एक योजना है जिस के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों के प्रविधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को १५ रुपये से ५० रुपये प्रति मास तक की छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष दी जाती हैं । यह योजना १९५६-५७ में आरम्भ की गई थी और उस वर्ष ९९८ छात्रवृत्तियां दी गईं जिन पर २.९५ लाख रुपये का व्यय हुआ । १९५७-५८ में पूर्व वर्ष की ६२८ छात्रवृत्तियों को जारी रखा गया और ९१२ नई छात्रवृत्तियां दी गई । कुल व्यय ४ लाख रुपये से कुछ अधिक था ।

सहकारी समितियों द्वारा ऋण

†६१९. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ९ अप्रैल १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतानें की कृपा करेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों, रक्षित बैंक, राज्य बैंक और योजना आयोग द्वारा सहकारी समितियों द्वारा ऋण के बारे में किये गये प्रतिवेदन की सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : सहकार विषयक नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये मोटे-मोटे निर्णयों

---

†मूल अंग्रजी में

को बताने वाले भारत सरकार के दिनांक ११ मई, १९५९ के पत्र संख्या एक १-१२-५९ को आप-आई की प्रति टेबल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]

कलकत्ता में जल संभरण

†६२०. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संघ के दल द्वारा योजना बनाने तक के लिये वृहत्तर कलकत्ता में जल सभरण में सुधार के लिये कोई अन्तरिक उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां,

(ख) वृहत्तर कलकत्ता के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल संभरण और सफाई कार्य क्रम के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं की एक प्रति टेबल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]

दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनों का पुनरीक्षण

†६२१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री दिनांक २३ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों के वेतनों की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण करने के हेतु नियुक्त की गई छः सदस्यों की जांच समिति के कार्य में क्या प्रगति की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** जानकारी देने वाला एक विवरण सलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]

रेलवे के सामान की खरीद

†६२२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री केशव : }

क्या **रेलवे** मंत्री एक विवरण पटल पर रखेंगे जिस में निम्नलिखित दर्शाया गया हो :

(क) वर्ष १९५८-५९ में रेलवे के लिये भारत में और विदेश में अलग-अलग कितने मूल्य का सामान खरीदा गया ; और

(ख) १९५७-५८ की तुलना में ये आंकड़े क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

(क) तथा (ख).

जिस प्रकार का सामान खरीदा गया	१९५७-५८		१९५८-५९	
	मूल्य	प्रतिशत	मूल्य	प्रतिशत
(१) आयात सामान				
(एक) विदेश से सीधे खरीदा गया	२,७१,०१७		५,८०,४५९	
(दो) भारत में अभिकर्ताओं द्वारा खरीदा गया	३,६५,२३३		३,३८,०००	
कुल	६,३६,१५०	२८.५	९,१८,४५९	४०.३
(२) देशी सामान	१५,८८,५६०	७१.५	१३,५६,९८५	५९.७
कुल जोड़	२२,२४,८१०		२२,७५,४४३	

†ये आंकड़े अस्थायी हैं और इन का पुनरीक्षण किया जाना है।

टिप्पण : १९५७-५८ की तुलना में १९५८-५९ में कुल खरीद किये गये समान की अपेक्षा आयात किये गये सामान की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि का कारण यह है कि इस्पात और रेलवे लाइन के सामान का बहुत आयात किया गया था।

खतरे की जंजीर

†६२३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में अब तक भारतीय रेलवे में प्रतिमास खंडानुसार जंजीर खींचने की कितनी घटनायें हुईं ;

(ख) उन में से कितनी घटनायों में अनुचित रूप से जंजीर खींची गई (प्रतिमास खंडानुसार) ;

(ग) इसी काल अवधि में कितने मामलों में अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया और दंड दिया गया ;

(घ) क्या १९५८ के इसी काल की तुलना में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

(घ) जी हां।

(ङ) इन घटनाओं में वृद्धि का यह कारण है कि यात्री लोग सहयोग नहीं देते और नहीं बताते की किस ने जंजीर खीची है जिस से रेलवे कर्मचारी अपराधियों पर मुकदमा नहीं चला सकते और इस कारण अपराधियों को ऐसा करने का और अधिक प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा कारण यह भी था कि अपराधियों को यह बुराई करने से रोकने के लिये विधि के वर्तमान उपबंध अपर्याप्त थे, किन्तु अब विधि में संशोधन कर दिया गया है और उसे २-५-५९ से लागू किया गया है और यह आशा है कि इस से यथासमय ऐसी घटनायें कम करने में सहायता मिलेगी।

सहकारिता विकास का लक्ष्य

†६२४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिये बढ़ाये गये सहकारिता सम्बन्धी लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिये योजनायें राज्यों से प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) क्या उनका परीक्षण करके उन्हें मंजूर कर दिया गया है ;

(ग) इन योजनायों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) वर्तमान सहकारी संस्थाओं को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ङ) सहकारी विकास के विभिन्न पहलुओं के लिये विभिन्न राज्यों की कितनी मिली राशियां स्वीकृत की गई हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) से (घ). बम्बई, मद्रास, मैसूर, केरल और जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त शेष सभी राज्यों से १९५९-६० की शेष अवधि के लिये सहकारिता विकास के बढ़ाये गये लक्ष्यों की कार्यान्वित करने के लिये अनुपूरक योजनायें प्राप्त हो गई हैं, अगस्त, १९५९ की समाप्ति तक राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इन योजनाओं पर विचार करके उसे अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है। इन योजनाओं की विशेष बातें ये हैं:—

(क) नई सेवा सहकारी संस्थाओं का आयोजन

(ख) वर्तमान सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ सेवा सहकारी संस्थायें बनाना

(ग) प्रारम्भिक विपणन संस्थाओं की संख्या बढ़ाना और वर्तमान ज़िला संस्थाओं और शीर्ष विपणन संस्थाओं के पूंजी ढांचे को मजबूत बनाना ;

(घ) विपणन संस्थाओं के लिये और गोदाम बनाना;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) विभागीय तथा संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधायें बढ़ाना;

(च) सदस्यों को सहकारिता के सिद्धान्तों और प्रक्रिया के बारे में शिक्षा देने वाले यूनिटों की संख्या बढ़ाना ; और

(छ) नई नीति को कार्यान्वित करने के लिये विभागीय तथा संस्थाओं के लिये और कर्मचारी नियुक्त करना ।

वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये जो तरीके सुझाये गये हैं वे स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। योजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय होने के बाद खर्च का अनुमान लगाया जायेगा ।

गोदी श्रमिकों की नौकरियों का वर्गीकरण

†६२५. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २३ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिकों की नौकरियों के वर्गीकरण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक

†६२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक की कई लोगों पर बहुत बड़ी बड़ी राशियां देनी हैं ;

(ख) यदि हां, तो देय राशियों का कुल योग क्या है ; और

(ग) इन्हें वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी हां ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५८ को १३/८९,७५६ रुपय ३ नये पैसे ।

(ग) प्रशासन ने बैंक को हिदायतें जारी की हैं कि देय राशियां जल्दी वसुल की जायें। यदि आवश्यकता महसूस हो तो ऋण न चुकाने वालों पर मुकदमे भी चलाय जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थायें

†६२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सी सहकारी संस्थाओं की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सहकारी संस्थाओं को बड़े एककों में मिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) लगभग ८२ सहकारी संस्थाओं (मोटे तौर पर १० प्रतिशत) के बारे में प्रशासन का यह विचार है कि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है ।

(ख) कुछ एक संस्थाओं का काम नहीं चल रहा है और उन्हें शीघ्र ही समाप्त करने का विचार किया जा रहा है । जहां कहीं सम्भव है प्रशासन संस्थाओं की आर्थिक हालत सुधारने का प्रयत्न कर रहा है । उन्हें बड़े एककों में मिलाना सम्भव नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई सर्वेक्षण

†६२८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पाओंटा घाटी (हिमाचल प्रदेश की) में उपजाऊ भूमि के लिये सिंचाई की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिये सर्वेक्षण की योजना तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) पाओंटा घाटी (हिमाचल प्रदेश में) सर्वेक्षण की किसी योजना पर विचार अथवा कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रादेशिक कार्यालय की इमारत

†६२९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रादेशिक कार्यालय के लिये जो इमारत बन रही थी उसके निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : प्रारम्भिक नक्शे तथा प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं और ३०,३२,३०० रुपये का प्राक्कलन मंजूर किया जा चुका है । प्राक्कलन का पुनः परीक्षण किया जा रहा है ताकि इमारत पर होने वाला खर्च कम किया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी के कारखाने

†६३०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत चीनी के कारखानों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने और कौन-कौन से (राज्यवार) कारखानों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) उन चीनी के कारखानों का ब्यौरा नीचे बताया जाता है जिनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]**

नार्वे से सहायता

†६३१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे की संसद् ने इसके पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में केरल की मत्स्य सामुदायिक विकास परियोजना के लिये सहायता देने के मामले पर विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) नार्वे की संसद् ने १९५९ में अल्प विकसित देशों की आर्थिक सहायता प्रतिष्ठान के लिये ५० लाख क्रोनर (लगभग ३३.३३ लाख रुपये) की मंजूरी दी । सूचना मिली है कि प्रतिष्ठान यह राशि केरल में मत्स्यपालन भारत-नार्वे परियोजना पर खर्च करेगा ।

'बुल्हर ग्रेन डिस्चार्जिंग प्लांट'[1]

†६३२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बुल्हर ग्रेन डिस्चार्जिंग प्लांट को बम्बई से किसी अन्य स्थान पर ले जाने के बारे में क्या तय हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस प्लांट को कांडला पत्तन में ले जाने का निश्चय किया गया है और स्थानान्तरण का काम प्रगति पर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bulhar Grain Discharging Plant.

परिवार नियोजन

†६३३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ मार्च १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टरों को 'वैसेक्टमी'' आप्रेशन का प्रशिक्षण दिलाने की प्रस्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : वैसेक्टामी आप्रेशन के लिये एक अग्रिम केन्द्र खोलने और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में डाक्टरों को इस आप्रेशन का प्रशिक्षण देने की मंजूरी दी जा रही है ।

दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर

†६३४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर को पश्चिम बंगाल में हुबली से मिलाने वाली नौवहन नहर तैयार हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नहर में नौवहन आरम्भ हो गया है ; और

(ग) नौवहन के लिये इस नहर को अब कितने गैर-सरकारी समवाय प्रयोग कर रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नौवहन नहर लगभग तैयार हो चुकी है अब उसमें कुन्ती स्थान पर केवल 'लाक गेट' और 'टेल ऐक्स्केवेशन' की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) अभी कोई नहीं ।

तपेदिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र

†६३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् सरकार ने यह पता लगा लिया है कि तपेदिक का काम करने के लिये कितने डाक्टर उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो संख्या क्या है ; और

(ग) किन-किन स्थानों पर तपेदिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने वाले हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

(ग) अतिरिक्त तपेदिक प्रदर्शन केन्द्रों के स्थान अभी निश्चित नहीं किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

†६३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक रीतिसे जांच करने के लिये नियुक्त किये गये विशेष स्क्वाड ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या बम्बई पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, जो दिल्ली पर भी लागू किये जाने थे, के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (घ). १६ जून, १९५८ से १५ जून, १९५९ तक के एक वर्ष में मोटर गाड़ी दुर्घटनाओं के बारे में इस स्क्वाड द्वारा दिये गये तथ्यों सम्बन्धी अवलोकन में से एक उद्धरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३**]

(ग) जी नहीं, अभी उन पर विचार किया जा रहा है।

गंगा बन्ध परियोजना

†६३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री साधन गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ६ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के पश्चात् गंगा बन्ध परियोजना तैयार कर के उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) गंगा बन्ध परियोजना तैयार की जा चुकी है परन्तु अभी उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) योजना की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

(१) फरक्का स्थान पर गंगा नदी पर एक बन्ध बनाना ;

(२) दाहिने किनारे पर एक सहायक नहर बनाना जो जंगीपुर स्थान पर भागीरथी नदी में डाली जायेगी ; और

(३) सहायक नहर के संगम के स्थान से ऊपरी भागीरथी नदी पर जंगीपुर स्थान पर एक बन्ध बनाना।

---

†मूल अंग्रेजी में

"खरीफ आन्दोलन"

†६३८. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य की उपज बढ़ाने के हेतु चलाये गये "खरीफ आन्दोलन" के लिये १९५९-६० में विभिन्न राज्यों को कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : चालू खरीफ आन्दोलन के सम्बन्ध में राज्यों को दी गई आर्थिक सहायता का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**

आगरा के निकट छलेश्वर में भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम

†६३९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने आगरा के निकट छलेश्वर में भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम प्रयोगात्मक रूप से आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम रहा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां। भारत सरकार ने आगरा के निकट छलेश्वर स्थान पर २०० एकड़ के एक फार्म में भूमि संरक्षण गवेषणा प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है जिस के उद्देश्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]**

पूना-ढोंड के बीच दोहरी लाइन

†६४०. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य रेलवे में पूना-ढोंड लाइन को दोहरा करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी नहीं, अभी इस योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जालना-बीर-उस्मानाबाद-शोलापुर रेलवे लाइन

†६४१. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालना-बीर-उस्मानाबाद-शोलापुर रेलवे लाइन के निर्माण के लिये बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश के लोगों ने कई बार अभ्यावेदन किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या फल रहा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, कुछ अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने जो निर्माण कार्यक्रम अनुमोदित किया था उस में यह लाइन शामिल नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बरौनी से गाड़ियों का बेवक्त चलना

६४२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बरौनी स्टेशन से गाड़ियों के बेवक्त छूटने और आने से यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि बरौनी स्टेशन पर गाड़ियों के बेवक्त पहुंचने और छूटने से मुकामा पुल से यात्रियों को मिलने वाली सुविधायें निरर्थक हो गई हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान बिहार के समाचार-पत्रों में मई के महीने में इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख), शायद माननीय सदस्य का मतलब राजेन्द्र पुल (गंगा पुल) खुलने के बाद बरौनी जं० पर बड़ी और मीटर लाइनों की गाड़ियों में ठीक मेल न होने से है ।

जब राजेन्द्र पुल (गंगा पुल) सवारी गाड़ियों के लिये खुला और २-५-५९ से नई समय-सारणी लागू हुई, उस के बाद ही मई, १९५९ के शुरू में इस पुल से हो कर बरौनी आने-जाने वाली गाड़ियों की व्यवस्था बिगड़ गई जिस की वजह से बरौनी जं० पर बड़ी और मीटर लाइनों की गाड़ियों में मेल न हो पाता था और यात्री इस बात की शिकायत करने लगे ।

गाड़ियों में मेल न हो सकने के कई कारण थे, जैसे सिगनलों और कांटों में खराबी, यात्रियों द्वारा खतरे की जंजीर का बहुत अधिक खींचा जाना और बरौनी स्टेशन पर ताला लगाने की व्यवस्था । एक गाड़ी के लेट होने से दूसरी गाड़ी लेट हुई और इस तरह गाड़ियां लेट होती रहीं । इन्हें हम प्रारम्भिक कठिनाइयां कह सकते हैं । बड़ी और मीटर लाइनों की गाड़ियों में मेल के लिये समय भी बहुत कम रखा गया था जिस की वजह से भी इन में मेल नहीं होता था ।

(ग) जी हां ।

(घ) स्थिति में सुधार के लिये जो विशेष कारंवाई की गई, उस से बड़ी और मीटर लाइनों की गाड़ियों के मेल में सुधार हुआ है जो नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है :—

किस अवधि तक	कितने प्रतिशत गाड़ियों का मेल हुआ
१०–५–५९	४३.७
२०–५–५९	७९.४
३१–५–५९	८७.३
१०–६–५९	९०.५
२०–६–५९	८६.२
३०–६–५९	८७.०
१०–७–५९	९०.०
२०–७–५९	९०.८
३१–७–५९	९२.३

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में चावल और धान की वसूली

†६४३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार १९५९ की वसूली की अवधि में चावल और धान की वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख) गत खरीफ ऋतु के प्रारम्भ में उड़ीसा सरकार का अनुमान था कि लगभग ४ लाख टन की वसूली की जा सकेगी परन्तु बाद में पता चला कि फालतू मात्रा ३ लाख टन से अधिक नहीं होगी । अभी तक १,२१,००० टन चावल और ५७,००० टन धान खरीदा जा चुका है और अभी खरीदा जा रहा है ।

कटक में सिटी बुकिंग आफिस

†६४४. **श्री पाणिग्रही** :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक में सिटी बुकिंग आफ़िसर खोलने के बारे में निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह बुकिंग आफ़िस कब खोला जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : १०-६-१९५९ से कटक में एक सिटी बुकिंग आफ़िस खोल दिया गया है ।

लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज और अस्पताल

†६४५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज और अस्पताल के प्रसूत कक्षों में इतनी भीड़ हो गई है कि रोगियों के बिस्तर फर्श पर लगाये गये हैं और बीच में कोई जगह नहीं बची है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भीड़ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) यह सही है कि रोगियों की बहुत भीड़ हो गई है । यह आदेश दिया गया है कि जहां तक संभव हो फर्श पर बिस्तर न लगाये जायें ।

(ख) यथासम्भव शीघ्र बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । हाल ही में इस वार्ड में ३० बिस्तर बढ़ाये गये हैं । इस वर्ष की समाप्ति तक ४८ बिस्तर और बढ़ा दिये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मानसिक स्वास्थ्य सेवायें

†६४६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का विकास करने और इस क्षेत्र में राज्य सरकारों की गतिविधियों में समन्वय करने के लिये जो मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रीय परिषद् स्थापित करने की प्रस्थापना थी उस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अगली बैठक में प्रस्थापना प्रस्तुत की जायेगी ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†६४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पताल सुविधाओं के अपर्याप्त होने के कारण अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण में अड़चन पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). संस्था द्वारा अपेक्षित अस्पताल सुविधायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कर दी गई हैं । अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के डायरेक्टर ने प्रत्येक वर्ष के छात्रों को क्लिनीकल शिक्षण के लिये जो प्रति छात्र दो शय्याओं की मांग की थी उसकी स्थिति विवरण में बताई गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

रुपया मुद्रा में जहाज का भाड़ा चुकाना

†६४८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जहाज़ी समवायों ने भारत से जहाज़ का भाड़ा रुपये मुद्रा में लेना स्वीकार कर लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** अब तक उपलब्ध हुई जानकारी से पता चलता है कि निम्नलिखित व्यापार में भाग लेने वाली जहाजी कम्पनियों और उनके संघों ने भारत में जहाज़ का भाड़ा रुपये मुद्रा में लेना स्वीकार कर लिया है :—

(१) जापान/भारत व्यापार
(२) फारस की खाड़ी/भारत व्यापार
(३) आस्ट्रेलिया/भारत व्यापार
(४) पश्चिम अफरीका/भारत व्यापार
(५) ब्रिटेन तथा योरुप/बम्बई व्यापार
(६) फारस की खाड़ी/बम्बई
(७) पूर्व और दक्षिण अफरीका/भारत
(८) ब्रिटेन और योरुप/कलकत्ता व्यापार

†मूल अंग्रेजी में

(९) अमरीका-अटलाकिट, खाड़ी पत्तन/भारत व्यापार

(१०) काला सागर पत्तन, लेवान्त, बलगारिया और रुमानिया/भारत व्यापार

(११) ब्रिटेन/योरुप/कोचीन व्यापार

(१२) कनाडा का पूर्वी तट/भारत व्यापार

(१३) लाल सागर/भारत व्यापार

चम्बा में लकड़ी और इमारती लकड़ी का सर्वेक्षण

६४९. **श्री सरजू पांडे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ९ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बा ज़िला (हिमाचल प्रदेश) में लकड़ी और इमारती लकड़ी के सर्वेक्षण के लिये नियुक्त की गयी इमारती लकड़ी की मांग (स्थानीय) सम्बन्धी जांच समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). इमारती लकड़ी की मांग (स्थानीय) सम्बन्धी जांच समिति ने, जो चम्बा और मण्डी के ज़िलों में लकड़ी और इमारती लकड़ी का सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त की गई थी, इन ज़िलों में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है । परन्तु मण्डी ज़िले के कुछ लोगों की ओर से लगातार प्रार्थनायें आने के कारण जो अधिक गवाही देना चाहते हैं, समिति उस ज़िले में शीघ्र ही दोबारा जाने वाली है ।

पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनें

६५०. **श्री सरजू पांडे :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार उन क्षेत्रों में, जो पिछड़े हुए हैं और जहां पर खनिज निक्षेपों की बहुतायत है, और अधिक रेलवे लाइनें बनाई जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों और संसद् सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे गये हैं; और

( ) क्या प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात से लाइनें बनाई जायेंगी ।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जब बनाने के लिये नयी रेलवे लाइनें चुनी जाती हैं, तो उन क्षेत्रों पर समुचित रूप से विचार किया जाता है जो पिछड़े हुए हैं और जिन में खनिज पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं । लेकिन, नयी लाइनों का चुनाव इस बात पर निर्भर है कि इस काम के लिये कितनी रकम रखी गयी है और कितना सामान उपलब्ध है। इसके अलावा पूरे देश की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) नयी रेलवे लाइनें राज्यों की आबादी के आधार पर नहीं बनायी जातीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पशु नस्ल विकास

†६५१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने १९५९-६० में पशु नस्ल विकास के लिये कई राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र० जैन)** :(क) और (ख). १९५९-६० में पशु पालन विकास के लिये राज्यों को कुल ११३.५९ लाख रुपये (६.४५ लाख रुपये ऋण और १०७.१४ लाख रुपये अनुदान के तौर पर) दिये गये हैं। इस राशि में पशु पालन के लिये केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। पशु पालन पर किये जाने वाले व्यय का निश्चय राज्य सरकारों को ही करना होगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां

†६५२. **श्री तंगामणि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५७ में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के साधारण कर्मचारी वर्ग में चतुर्थ श्रेणी के और कितने स्थान उत्पन्न किये गये;

(ख) इन स्थानों पर मासिक तौर पर रखे गये व्यक्तियों में से कितने लिये गये;

(ग) अप्रैल, १९५७ के पश्चात् चतुर्थ श्रेणी के कितने स्थान उत्पन्न किये गये;

(घ) क्या इन रिक्त स्थानों के लिये मासिक आधार पर रखे गये कर्मचारियों को नियुक्त करने के बारे में विचार किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ४ ।

(ख) कोई नहीं।

(ग) १९३ ।

(घ) जी हां वे सब जो निर्धारित अर्हतायें और अनुभव रखते थे।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां

†६५३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के विभिन्न विभागों के प्रत्येक केन्द्र के अनुसार चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के वर्ग कौन-कौन से हैं;

(ख) प्रत्येक वर्ग में कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) प्रत्येक वर्ग में स्थायी स्थान कितने हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७**]

बंदोबस्त मंत्रणा समिति,[1] मनीपुर

†६५४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंदोबस्त मंत्रणा समिति, मनीपुर के सदस्य गैर-सरकारी व्यक्ति हैं;

(ख) समिति के कुल कितने सदस्य हैं और उन में कांग्रेस दल के कितने सदस्य हैं; और

(ग) १९५७-५८ और १९५८-५९ में समिति की कितनी बैठकें हुई हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां। डिप्टी कमिश्नर के अतिरिक्त जो सभापति है।

(ख) समिति के आठ सदस्य हैं जिन में से पांच कांग्रेसी सदस्य हैं।

(ग) १९५७-५८ में एक और १९५८-५९ में दो।

बंदोबस्त मंत्रणा समिति, मनीपुर

†६५५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में समुसंग स्थान पर हाथियों की चरागाह के निकट लीतांग ग्रास महल की ३५ पारिस भूमि अरक्षित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, क्या इस बारे में बन्दोबस्त मंत्रणा समिति से परामर्श किया गया था?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

होटलों में शराब पीना

†६५६. **श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार होटलों में शराब पीने सम्बन्धी विधियों को कुछ ढीला करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में होटल उद्योग की ओर से अनेक अभ्यावेदन किये गये थे?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). चूंकि मद्यनिषेध राज्य का विषय है, अतः भारत सरकार स्वयं अपनी ओर से होटल में शराब पीने सम्बन्धी विधियों में छूट देने पर विचार नहीं कर सकती। समय-समय पर संबधित राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि जहां तक विदेशी पर्यटकों का सम्बन्ध है उन्हें मद्यनिषेध सम्बन्धी विधियों के मामले में यथासम्भव विधि के अन्तर्गत छूट दी जाय।

(ख) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Land Settlement Advisory Committee.

दिल्ली-बम्बई जनता गाड़ी में पंखे

६५७. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-बम्बई जनता गाड़ी के यात्रियों को गाड़ियों में पंखे न होने के कारण गर्मियों में बड़ी परेशानी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). दिल्ली-बम्बई जनता एक्सप्रेस में जो ३३ सवारी डिब्बे इस्तेमाल किये जाते हैं उन में से ८ में अभी पंखे नहीं लगे हैं। आशा है इन आठ डिब्बों में भी जल्द पंखे लग जायेंगे।

बमनिया रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

†**६५८. श्री अमर सिंह डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बमनिया रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक पूरा होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) 'अप और 'डाउन' यात्री प्लेटफार्मों को मिलाने वाला पैदल जाने वालों के लिये ऊपरी पुल बमनिया रेलवे स्टेशन पर पहले से ही बनाया जा रहा है।

(ख) कार्य के दो मास में पूरे हो जाने की आशा की जाती है।

मटर, चना और दालों के भावों का बढ़ना

†**६५९. श्री केशव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावों को बढ़ने से रोकने और मटर, चना, दाल एवं अन्य ऐसे ही अनाजों के संग्रह को रोकने के लिये कोई कार्रवाई की गई है; और

(ख) क्या इन पदार्थों के भावों पर नियंत्रण रखने के लिये कोई कार्रवाई की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). दालों और चने का भाव, जो १९५७-५८ की फसल खराब हो जाने के कारण बढ़ गया था, १९५८-५९ की फसल अच्छी हो जाने के कारण अब कम हो गया है। संग्रह और सट्टे के कारण बढ़ने वाले मूल्य को रोकने के लिये चने और दालों के स्टाक के बदले बैंक के अग्रिमों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। चने और अन्य दालों के वायदा बाजार पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

डाक तथा तार भवन, बर्दवान

†**६६०. श्री सुबिमन घोष :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्दवान (पश्चिम बंगाल) के रेलवे डाक सेवा कार्यालय को स्थानाभाव के कारण बर्दवान रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर ले जाये जाने का विचार है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये रेलवे द्वारा एक इमारत बनवाई गई थी जिसका नक्शा पश्चिम बंगाल के पोस्टमास्टर जनरल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया;

(ग) इमारत के बनने पर कितनी राशि व्यय हुई थी; और

(घ) बर्दवान रेलवे डाक सेवा के इस भवन में अथवा अन्य किसी अधिक स्थान वाले भवन में इसके कब तक चले जाने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां ।

(ख) मार्च, १९५९ में पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा व्यक्तिगत रूप से नये नमूने के बने भवन के निरीक्षण के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे डाक कार्यालय के वह स्थान पर्याप्त अथवा सुरक्षित नहीं है और उसे उपयुक्त बनाने के लिये उस में कुछ और स्थान की व्यवस्था करने और कुछ हेर-फेर करने की इच्छा प्रकट की ।

(ग) रेलवे प्राधिकारियों द्वारा बताया गया है कि और स्थान बनवाने अथवा उस में हेर-फेर करने में अनुमानतः ५९,७७० रुपये और खर्च करने होंगे ।

(घ) रेलवे प्राधिकारियों का विचार है कि उस में और अधिक स्थान की व्यवस्था करने का काम १९६१-६२ में किया जाये । उन से इसी वर्ष इस काम को पूरा करने के लिये कहा जा रहा है ।

सरकारी प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें

†**६६१. श्री त्रिविक्रम कुमार चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने व्यापार के द्वारा गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं में लगे वैज्ञानिक कर्मचारियों तथा सरकारी प्रयोग शालाओं के गैर-सरकारी भेषज एवं औषधि निर्माताओं को सुविधाएं देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से कार्यान्वित की गई है;

(ग) कितने गैर-सरकारी निर्माता ऐसे हैं जिन्होंने इस अवसर से लाभ उठाने का निश्चय किया है; और

(घ) योजना की प्रमुख बातें क्या-क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना १९५३ में कार्यान्वित की गई थी ।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८**]

दिल्ली की अजमेरी गेट की गन्दी बस्ती की सफाई सम्बन्धी योजना

†**६६२. श्री वाजपेयी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अजमेरी गेट की गन्दी बस्ती की सफाई सम्बन्धी योजना पर पुनर्विचार किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना पर पुनर्विचार करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में नई इमारतें बनवाने का काम रोक दिया गया है; और

(घ) पुनरीक्षित योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नियोजना का पुनरीक्षण नगर योजना संगठन द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) पुनरीक्षण की आवश्यकता क्षेत्र की बदली हुई सामाजिक और भौतिक परिस्थितियां हैं । मूल योजना पहले वाले दिल्ली सुधार न्यास द्वारा तैयार की गई थी जिसमें खराब बने मकान आदि और इंजीनियरिंग सम्बन्धी कार्य में बाधक मकानों आदि को गिरा देने का उपबन्ध था । सुधार शुल्क लगने पर कुछ सम्पत्ति छोड़ दी गई थी और जो भूमि प्राप्त की गई उसे प्रतिद्वन्दात्मक भावों पर बेचने का विचार किया गया । जिन लोगों के मकान ले लिये गये थे उन्हें बसाने की बात मूल योजना में नहीं थी । इस समय जो योजना तैयार की जा रही है उस में उन व्यक्तियों को जो मकान रहित हो जायेंगे उनको यथासम्भव उसी क्षेत्र में बसाने की व्यवस्था है और जो कद्यतन आंकड़ों पर आधारित हैं जिनका संकलन किया जा रहा है ।

(ग) क्षेत्र में इमारत बनाने पर नियंत्रण रखना दिल्ली नगर निगम के हाथों में है तथा जब तक पुनरीक्षित योजना बन कर तैयार नहीं हो जाती तब तक मकान बनाने पर नियंत्रण लगा रहेगा ।

(घ) योजना के तैयार हो जाने के बाद ही उसकी मुख्य-मुख्य बातें बताई जा सकेंगी ।

सीता रामपुर जंक्शन

†६६३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीतारामपुर जंक्शन स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर इस लाइन के घूम कर जाने के कारण सेंट्रल केबिल से ३ से ८ तक लाइनें नहीं दिखाई देती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कथित केबिन में ट्रैक सिस्टम नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन खराबियों को दूर करने के लिये कई बार अभ्यावदेन किया गया है क्योंकि यह यात्रियों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिये बड़ा खतरनाक है; और

(घ) यदि ऐसा है, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां । सेंट्रल केबिन से ३ से ८ तक लाइनों का कुछ भाग नहीं दिखाई देता है ।

(ख) जी नहीं । लाइन संख्या १ और २ के लिये इस केबिन में ट्रैक सर्किटिंग की कमियां हैं किन्तु ३ से ८ लाइनों के लिये ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) स्टेशन कार्यपद्धति नियमों में सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिये पर्याप्त उपाय किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई-पूना सेक्शन पर गाड़ियों का विलम्ब से चलना

†६६४. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और पूना के बीच चलने वाली सभी प्रमुख गाड़ियां १७ मई, १९५९ को चार से लेकर पांच घंट लेट थीं;

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस लाइन पर ऐसा बहुधा हुआ करता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). १७-५-५९ को कल्याण और पूना के बीच का ऊपरी बिजलीघर भारी तूफान और वर्षा के कारण खराब हो गया था जिस के परिणामस्वरूप बम्बई-पूना सेक्शन पर रेलों का चलना बन्द हो गया था । निम्न गाड़ियां विलम्ब से चली थीं :—

१. ३०६ अप पूना-बम्बई एक्सप्रेस पूना से २ घंटे २० मिनट विलम्ब से छुटी थी ।

२. ११ डाउन मद्रास-बम्बई एक्स प्रेस ठाकुरवाड़ी और खण्डाला के बीच ४ घंटे ४० मिनट रोक ली गई थी ।

३. ३०३ डाउन बम्बई-पूना मेल करजाट से ४ घंटे १७ मिनट लेट छूटी थी ।

४. ३०९ डाउन बम्बई-पूना जनता एक्प्रेस करजाट से ५ घंटे २९ मिनट लेट छूटी थी ।

५. ३०१ डाउन डक्कन क्वीन करजाट के लिये बम्बई से १ घंटा २४ मिनट लेट छूटी थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ)

†६६५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा यूनिसेफ को जनवरी, १९५८ से जुलाई, १९५९ तक कितनी राशि का अंशदान दिया गया ; और

(ख) उक्त काल में विभिन्न रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५८ में भारत ने यूनिसेफ सामान्य निधि को १८,००,००० रुपये का अंशदान दिया । इस के अलावा भारत सरकार ने क्षेत्रीय कार्यालय पर व्यय के रूप में ३,००,००० रुपये का सहायतानुदान दिया । १९५९ में १६,००,००० रुपयों का आयव्ययक में उपबन्ध यूनिसेफ सामान्य निधि के लिये किया गया है किन्तु उस का भुगतान अभी नहीं किया गया है । इस के अलावा जुलाई, १९५९ तक उस के क्षेत्रीय कार्यालय पर व्यय के रूप में यूनिसेफ को २.५ लाख रुपये का अंशदान किया जा चुका है और १९५९ के शेष काल में २.५ लाख रुपये की राशि अभी और दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस काल में कितनी राशि प्राप्त हुई इस का पता नहीं है। इस काल का कुल आवंटन ६,१५२,२०० डालर है। इस का विस्तृत ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**

रूरकेला में डाक कर्मचारी

†६६६. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सर्किल रूरकेला के डाक कर्मचारियों को आवास सम्बन्धी कमी के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिस इमारत में डाकखाना है वह बहुत छोटी है ;

(ग) क्या उड़ीसा सर्किल के डाक तथा तार निदेशक १९५८-५९ में वहां गये थे ;

(घ) क्या उपर्युक्त असुविधा की जानकारी उन्हें कराई गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) इमारत में बड़ी भीड़-भाड़ है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) हिन्दुस्तान स्टील प्लांट लिमिटेड से उन की भूमि में पर्याप्त संख्या में शीघ्र ही क्वाटर बनाने तथा उन्हें डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को किराये पर उठाने के बारे में वार्ता चल रही है।

आयुर्वेद पद्धति के अनुसार चिकित्सा

६६७. **श्री पद्म देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार अपना इलाज करवाते हैं, स्वस्थ हो जाने पर सरकार से औषधियों का खर्च नहीं मिलता, जबकि एलोपैथिक औषधियों पर किया गया खर्च मिल जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेद-भाव को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। खर्च वापस करने के अभिप्राय से सरकार ने केवल आधुनिक दवा पद्धति को ही मान्यता दी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्राधिकृत चिकित्सक राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों की डाक्टरी जांच अथवा चिकित्सा के अभिप्राय से आधुनिक दवा पद्धति के चिकित्सक के सिवाय किसी अन्य पद्धति के चिकित्सक को मान्यता प्रदान करने के लिये अब तक किसी राज्य सरकार द्वारा सिफारिश नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में जल संभरण

†६६८. **श्री हाल्दर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ जून, १९५९ के स्टेटसमैन में नई दिल्ली में गन्दे जल के संभरण के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तथ्य की जांच की है; और

(ग) उस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जी हां ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में की गई जांचों से पता लगा है कि कर्जन रोड पर जल संभरण की मुख्य लाइन का एक वाल्व काम नहीं कर रहा था । मरम्मत की गई और मिट्टी मे लग जाने के कारण कुछ मिनट तक गन्दा पानी आता रहा ।

हिमाचल प्रदेश में भूमि की चकबन्दी

६६९. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन ज़िलों तथा कितने ग्रामों में भूमि की चकबन्दी का काम १९५८ में किया गया है ; और

(ख) उक्त अवधि में भूमि की चकबन्दी के विरुद्ध सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क)

जिले का नाम	गांवों की संख्या	क्षेत्र एकड़ों में
१. महासू	३५	६१८२
२. मन्डी	४०	३९९४
३. सिरमूर	१५	६४७१
४. बिलासपुर	२६	६२८०
कुल	११६	२२९२७

(ख) १९५८ में चकन्दी के विरुद्ध प्रशासन को कोई आवेदन पत्र नहीं मिले हैं :

परमनी-लतूर रेल सम्पर्क

†६७०. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के परमनी और लतूर के बीच एक छोटी लाइन रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिये उस का यातायात तथा इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह कब आरम्भ किया जायेगा ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). परभनी से पुरली-वैजनाथ का पहले से ही छोटी रेलवे लाइन के द्वारा सम्पर्क स्थापित है। उसे लतूर तक और आगे बढ़ाने की जांच कुर्दुवाड़ी-मिराज-लतूर संकरी लाइन को बड़ी लाइन अथवा छोटी लाइन में बदलने की दृष्टि से की जा रही है ।

सुल्तानपुर परियोजना

†६७१. **पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सैं० अ० मेहदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य में तालाब व कुओं योजना जो सुल्तानपुर परियोजना कहलाती है और जिस का निर्माण कार्य हो रहा है उस की कैसी प्रगति है ;

(ख) इस परियोजना पर कितना व्यय होगा और उस से कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकेगी ;

(ग) क्या हमारे देश में अथवा विदेश में इस योजना का सफल प्रयोग किया गया है ; और

(घ) इस योजना में श्रमदान कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) संभवतः माननीय सदस्य एक बड़े भारी कच्चे सिंचाई के कुएं के निर्माण का उल्लेख कर रहे हैं जो दिल्ली प्रशासन द्वारा सुल्तानपुर में प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है । कार्य की प्रगति यह है कि अब तक ४,२०० रुपये के अनुमानित व्यय पर १,९१,००० वर्ग फुट मिट्टी खोदी जा चुकी है ।

(ख) परियोजना का प्राक्कलित व्यय ४०,००० रुपये होगा और यह दावा किया जाता है कि इस से २०० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी ।

(ग) पश्चिमी बंगाल के बांकुरा ज़िले में यह प्रयोग दिल्ली की भांति इसी डिज़ाइन के दो कुओं पर पिछले वर्ष किया गया था । प्रयोग का परिणाम सन्तोषजनक नहीं निकला । इस मंत्रालय को इस डिज़ाइन के कुएं पर विदेश में किये गये प्रयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) इस योजना पर अब तक प्राप्त श्रमदान का अंश लगभग २०५ रुपये है ।

कृष्णपुरम् हवाई अड्डा

†६७२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णपुरम् हवाई अड्डा (कुड्डापा) पूरा बन कर तैयार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). कृष्णपुरम् (कुड्डापा) में अच्छे मौसम में काम आने वाला कच्चा मार्ग पहले से ही विद्यमान है जिसका विकास एक पक्का धवन

---

†मूल अंग्रेजी में

मार्ग बना कर किया जा रहा है। वहां ४·९ लाख रुपये के कुल अनुमानित व्यय पर एक छोटी सी आखिरी इमारत तथा विद्युत् संभरण की प्रमुख लाइन बनाई जायेगी। इनमें से पहले दो काम पूरे होने वाले हैं और तीसरा पहले से ही पूरा हो चुका है।

पंजाब में खोले गये डाकघर

†६७३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के गांवों में (जिलेवार) १९५९ में अब तक कितने डाकघर खोले गये; और

(ख) अवशिष्ट द्वितीय योजना काल में कितने और डाकघर खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५**]

पूर्वोत्तर रेलवे पर बिना टिकट यात्रा

†६७४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के भूतपूर्व ओ० टी० आर० सेक्शन पर बिना टिकट यात्रा बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) १ जनवरी, १९५९ से ३० जून, १९५९ तक कितने व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पाये गये; और

(घ) उनसे उक्त काल में कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) जी नहीं।

(ख) बढ़ती का सामना करने के लिये विशेष कार्रवाई करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। किन्तु सामान्य रोक जारी है और बढ़ाई जा रही है।

(ग) ३,६४,५१५।

(घ) ७,४०,७५६ रुपये।

नागार्जुन सागर नियंत्रण बोर्ड

†६७५. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर नियन्त्रण बोर्ड की विकास समिति ने परियोजना क्षेत्र के विकास के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने सिंचाई वाले क्षेत्रों का विकास करने के लिये रैयत को कुछ वित्तीय सहायता दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । कुछ प्रस्ताव नागार्जुनसागर नियन्त्रण बोर्ड को प्रस्तुत किये जा चुके हैं जो कार्यान्वित किये जाने वाले हैं । इन प्रस्तावों की विशद रूप रेखा बताने के लिये एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]**

छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

†६७६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोकामा घाट पर गंगा नदी के ऊपर पुल बनाने की दृष्टि से उस स्थान से लेकर लखनऊ तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी :)** : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन

६७७. **श्री सरजू पांडे** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८ और २९ जुलाई, १९५९ को मैसूर में राज्यों के सहकार मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन की सिफारिशों की एक प्रतिलिपि शीघ्र ही सभा पटल पर रखी जायेगी ।

त्रिपुरा में सिंचाई की छोटी योजनायें

†६७८. **श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के विभिन्न डिवीजनों में इस समय सिंचाई की कितनी छोटी-छोटी योजनाओं की जांच त्रिपुरा प्रशासन द्वारा की जा रही है ;

(ख) सिंचाई सम्बन्धी छोटे-छोटे कार्यों के रूप में बांध बनाने के काम में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सिंचाई की छोटी योजनाओं को शीघ्र निष्पादित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) त्रिपुरा के विभिन्न उप-डिवीजनों में निम्न सिंचाई योजनाओं की फिलहाल जांच की जा रही है ;

१. सदर उप-डिवीजन

(१) करमछरा में पानी की सतह को ऊंचा करने के लिये बांध बनाने की योजना ।

(२) देवदाधारा पर पानी की सतह को ऊंचा करने के लिये बांध बनाना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. कैलाशहर उप-डिवीजन

सतारा मिया हाओर में पानी की सतह को ऊंचा करने के लिये बांध बनाना ।

३. कोवाई उप-डिवीजन

(१) इछाईछारा, सरवनछारा और गौगांवछारा पर पानी की सतह को ऊंचा करने के लिये बांध बनाना ।

(२) उदोव दास वैष्णव के मकान के पास एक बांध बनाना ।

४. कमलापुर उप-डिवीजन

लुतमोछारा और कुलाईछारा में पानी की सतह को ऊंचा करने के लिये बांध बनाना ।

५. उदयपुर उप-डिवीजन

सिंगरी द्वारा और कमरांगतली के ऊपर स्लुइस गेट बनाना ।

(ख) विलम्ब का कारण अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है ।

(ग) त्रिपुरा में, उपयुक्त टैक्निकल व्यक्तियों सहित एक छोटा सिंचाई डिवीजन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

स्टेट कोआपरेटिव बैंक, त्रिपुरा

†६७९. **श्री दशरथ देब** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के स्टेट कोआपरेटिव बैंक द्वारा सहकारी समितियों के खेतिहर हिस्सेदारों को फसल ऋण दिलाने के लिये १९५६, १९५७ और १९५८ में क्या आय कर रखा गया था ;

(ख) क्या किसी भेद-भावपूर्ण नीति का पता लगा था ; और

(ग) यदि हां, तो भेद-भावपूर्ण नीति अपनाने के क्या कारण थे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति)** : (क) त्रिपुरा का स्टेट कोआपरेटिव बैंक, सामान्य ऋण विवरण के आधार पर, जो उसने बनाया है, ऋण मंजूर करता है । सामान्य ऋण विवरण तैयार करने में कृषि कार्यों के लिये सदस्यों की आवश्यकताओं एवं वापस लौटाने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है । वैयक्तिक मदस्यों को सोसाइटी के पास प्रस्त अंश पूंजी का अधिक से अधिक १० गुना ऋण दिया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तथा तार भवन, जम्मू तथा काश्मीर

†६८०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार जम्मू तथा काश्मीर राज्य में डाक तथा तार विभाग और स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिये एक बहुमंजिली इमारत बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). श्रीनगर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिये ७·२५ लाख रुपये की लागत पर एक इमारत बनाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। यह कार्य चालू वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में शामिल है और इस वर्ष निर्माण कार्य आरम्भ कर देने की आशा की जाती है। फिलहाल और कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान सरकार पर बकाया रेडियो लाइसेंस शुल्क

†६८१. **श्री हाल्दर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग ने राज्य सरकार से फरवरी-मार्च, १९५९ में राजस्थान विकास आयुक्त द्वारा खरीदे गये रेडियो सेट का लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर देने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक विभाग को इन सारे सेटों का लाइसेंस शुल्क प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) १९५९ में राजस्थान के विकास आयुक्त ने कोई भी रेडियो सेट नहीं खरीदा, अतः रेडियो सेट के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिये राज्य सरकार से कहने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पत्तन मजदूर

†६८२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाजों पर चढ़ाने और उतारने वाले माल के लिये तथा स्टाक के लिये बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तनों में जो मजदूर काम में लगे हैं, उन्हें काम में लगाने का क्या तरीका है ;

(ख) क्या विभिन्न पत्तनों में काम पर लगे मजदूरों के लिये एक सी वर्दी निर्धारित करने का सरकार का कोई विचार है ; और

(ग) क्या मद्रास पत्तन में इन का कोई मान्यताप्राप्त संघ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास पत्तनों में सामान को चढ़ाने और उतारने का काम जहाज पर काम करने वाले मजदूरों द्वारा किया जाता है। उन के नियोजन का विनियमन संबंधित संविहित गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) योजनाओं के अधीन किया जाता है जो पत्तन कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, १९४८ के अधीन बनाई जाती हैं।

समुद्र तट पर सामान को उठाने धरने का काम सामान्यतः तट के मजदूरों द्वारा किया जाता है जिन की नियुक्ति पत्तन प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष की जाती है। किन्तु मद्रास और बम्बई में कुछ भारी सामान उठाने-धरने का काम ठेकेदार करते हैं जबकि मद्रास में निर्यात किये जाने वाले सामान का उठाना और रखना भी ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। मद्रास पत्तन न्यास ने पहले से ही

†मूल अंग्रेजी में

भारी सामान के अलावा निर्यात किये जाने वाले सामान को उठाने धरने का काम अपने ऊपर लेने का निर्णय कर लिया है और निर्णय शीघ्र ही लागू किया जाने वाला है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मद्रास न्याम कर्मचारी संघ को मद्रास पत्तन न्यास से मान्यता मिली हुई है ।

मनीपुर म पुल

†६८३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में पुरानी कछार सड़क के लीमताक और जिराग नदियों पर रस्से के पुल[1] जून १९५९ में बाढ़ के पानी में बह गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो परिवहन तथा संचार व्यवस्था की पुनः स्थापना के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). युद्ध-काल में लीमताक नदी का एक पुराना रस्से का पुल नष्ट हो गया था । तार की रस्सियों और बांस से एक अस्थायी पुल बनाया गया था । जून १९५९ में तार की रस्सियां भूमि खिसकने से दब गईं । आजकल गाड़ियां पैदल यात्रियों को पार उतारने के लिये बांस के बेड़े का प्रयोग किया जाता है । एक अस्थायी पुल बनाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है ।

इरांग नदी पर एक रस्सी का पुल है जिसे जून १९५९ की बाढ़ से कोई हानि नहीं पहुंची ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को डाकियों के रूप में भर्ती करना

†६८४. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में दिल्ली क्षेत्र के डाक सेवा निदेशक ने डाकियों की भर्ती के लिये जो परीक्षा ली थी उस का परिणाम कब तक घोषित होने की आशा है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) इस परीक्षा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के कितने परीक्षार्थी थे और वास्तव में रिक्त स्थान कितने हैं ;

(ग) क्या रक्षित कोटा का विद्यमान अन्तर समाप्त करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई विशेष कोटा रक्षित किया गया है ; और

(घ) इस परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों की भर्ती होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) परीक्षाफल अप्रैल, १९५९ में घोषित किया गया था । परीक्षा में ४५०० से अधिक परीक्षार्थी बैठे और इसी कारण परीक्षा-फल की घोषणा में कुछ विलम्ब हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Suspension Bridges.

(ख) परीक्षा में ५९० परीक्षार्थी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के थे एवं परीक्षा १०५ रिक्त स्थानों को भरने के लिये की गई थी ।

(ग) ४२ रिक्त स्थान (पहिले वर्षों की न भरी गई रक्षित खाली जगहों सहित) उन के लिये रक्षित थे ।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ३८ उम्मीदवार चुने गये हैं ।

गंगटाक सड़क

†६८५. **श्री विनेश सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगटाक सड़क पर सिलिगुरी और रंगपो के बीच भारी मोटर ठेले नहीं चल सकते जबकि वे रंगपो और गंगटोक के बीच चल सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस भाग में कुछ पुराने पुल व पुलियां हैं जो कमज़ोर हैं ।

त्रिपुरा में बाढ़

†६८६. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४६ के पहिले त्रिपुरा राज्य में बहुत ही कम बाढ़ आती थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तदोपरान्त त्रिपुरा में बाढ़ का आना सामान्य हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और कोई निरोधात्मक कार्य किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). उत्तर नकारात्मक है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रसंकर मक्का[1]

†६८७. **श्री क० स० रामस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन वृद्धि के लिये प्रसंकर मक्का का आरम्भ करने के लिये सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ;

(ख) यह अन्न किन-किन राज्यों में उत्पन्न होता है ; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hybrid Maize.

बड़ौदा स्टेशन के "डी" केबिन के पास स्थित खम्भा

६८८. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा स्टेशन यार्ड में "डी" केबिन के पास एक खम्भा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस खम्भे के कारण अब तक १७ व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस खम्भे को हटाने की मांग कई स्थानीय निकायों तथा जनता द्वारा की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस खम्भे को अब तक न हटाने के क्या कारण हैं और यह कब तक हटा दिया जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । बड़ौदा डी० केबिन के पास सिगनल के कई खम्भे हैं ।

(ख) जी नहीं, यह बात सच नहीं है कि किसी खम्भे की वजह से १७ आदमी मर गये । सच बात यह है कि १७ दुर्घटनायें हुई हैं जिन में कुछ यात्री किसी न किसी खम्भे से टकरा गये हैं । इन सब दुर्घटनाओं में कुल पांच आदमी मरे ।

(ग) जी हां ।

(घ) हालांकि कोई सिगनल मानक आयाम के प्रतिकूल नहीं था, फिर भी यह सोच कर कि इस सेक्शन ५९ चलने वाली बहुत सी गाड़ियों के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं और बहुत से लोगों को फुट बोर्ड पर खड़े होने की और स्टेशन पास आने पर बाहर की ओर झांकने की आदत है, इस क्षेत्र के सिगनल के खम्भे पीछे हटा दिये गये हैं ताकि वहां अधिक जगह हो जाय ।

रासायनिक उर्वरक

†६८९. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ के पूर्वार्ध में भारत में कितना रासायनिक उर्वरक का आयात किया गया ;

(ख) इस काल में देश में कितना उर्वरक बनाया गया और उस का लागत मूल्य क्या था ;

(ग) आयात किये गये उर्वरक का मूल्य क्या था ; और

(घ) कृषकों को उर्वरक किस मूल्य पर दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३]**

विदेशों के लिये डाक-शुल्क में वृद्धि

†६९०. **श्री आचर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय डाक अभिसमय के अनुसार १ अप्रैल १९५९ से विदेशों को जाने वाले पत्रों व पार्सलों के शुल्क में पर्याप्त वृद्धि हो गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इंगलिस्तान और अमरीका जैसे देशों ने भी अपने डाक-शुल्क बढ़ा दिये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) पत्र-डाक की वस्तुओं पर अर्थात्, पत्रों, पोस्टकार्डों और छपे पत्रों, आदि पर शुल्क बढ़ाना हमारे लिये अनिवार्य हो गया था क्योंकि शुल्क विश्व डाक संघ ओटावा कांफ्रेंस, १९५७ द्वारा संशोधित विश्व डाक अभिसमय में ग्राह्य न्यूनतम शुल्क से भी कम थे। पुनरीक्षण के पूर्व व उपरांत भारत में इन वस्तुओं के प्रचलित विदेशी डाक शुल्क दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। जहां तक पार्सल पर डाक शुल्क का संबंध है वे विभिन्न देशों में विभिन्न हैं और पार्सल डाक अभिसमय के अनुसार हैं तथा अधिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों में द्वि-पक्षीय करारों के अनुसार हैं। समस्त विदेशों में यह शुल्क नहीं बढ़े हैं। कुछ देशों के शुल्क का पुनरीक्षण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) कुछ देशों ने पत्र-डाक पर अपने डाक-शुल्क बढ़ा दिये हैं जब कि अन्य देशों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसका कारण प्रत्यक्ष है कि वे शुल्क पुनरीक्षित अभिसमय में ग्राह्य न्यूनतम शुल्कों से कम न थे। एक विवरण जिसमें १-४-१९५४ के पहिले और बाद के कुछ देशों में प्रचलित पत्र-डाक के शुल्क दिये हैं नत्थी है। पार्सल डाक शुल्क के संबंध में, पार्सल डाक करार पर हस्ताक्षरकर्त्ता इंगलिस्तान ने अपना पार्सल डाक-शुल्क बढ़ा दिया है। अमरीका ने, जिसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, अपना शुल्क नहीं बढ़ाया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]**

जहाज मालिकों द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड को भुगतान करने में विलम्ब

†**६९१. श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाजों के मालिक प्रायः किस्त का भुगतान करने में विलम्ब कर देते हैं जिसके कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड को वित्तीय कठिनाई होती है ;

(ख) आजकल जहाज मालिकों से कुल कितना धन प्राप्य है; और

(ग) स्थिति के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां; कदाचित कुछ जहाज मालिक शिपयार्ड को देय किस्तों का भुगतान शीघ्र कर सकते थे।

(ख) ८·२० लाख रु०।

(ग) शिपयार्ड प्रत्येक मामले में संबंधित मालिकों से विलम्बित भुगतानों के प्रश्न पर जोरदार बात करता रहा है एवं यह निश्चित करने के लिये कि किस्तों के भुगतान में न्यूनतम विलम्ब हो जहाजरानी के महानिदेशक और परिवहन मंत्रालय की सहायता मांगता रहा है। अधिकतर मामलों में इसका फल सन्तोषजनक रहा है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में चल क्रेन का बन्द होना

†**६९२. श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्थ १ और २ के बीच बनी ४५-टन की चल क्रेन के बन्द होने से हिन्दुस्तान शिपयार्ड के उत्पादन पर भारी प्रभाव पडा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इसके बन्द होने का कारण जानने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां।

(ख) तथा (ग). हां। क्रेन के बंद होने का मुख्य कारण पाइवट बियरिंग रोलर्स का टूट जाना था। संभरणकर्त्ताओं ने अपने व्यय पर, जिसमें हालैंड से विमान द्वारा पुर्जों के आने का व्यय और मरम्मत व पुन: चालू होने के लिये भेजे गये 'इरेक्टर' का मूल्य भी सम्मिलित है, टूटे हुये पुर्जे बदल दिये हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†६९३. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने बी० सी १२०, बी० सी० १२१ और बी० सी० १३५ के निर्माण के लिये सरकार से ९६,६२,३८६ रु० की सहायता मांगी है ; और

(ख) इस सहायता की गणना कैसे की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां।

(ख) शिपयार्ड की वर्तमान नीति यह है कि वह यार्ड में बने जहाज जहाजमालिकों को उस मूल्य पर विक्रय करता है जो जहाजमालिक यू० के० शिपयार्ड के बने वैसे ही जहाजों के लिये देते। यह मूल्य 'इंगलिस्तान समार्हता मूल्य'[1] कहलाता है। जहाजों के निर्माण पर शिपयार्ड का हुआ वास्तविक व्यय तथा 'इंगलिस्तान समार्हता मूल्य' का अन्तर का भुगतान सरकार सहायता रूप में करती है।

हिन्दी तार सेवा

†६९४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या देश में हिन्दी तार सेवा के विकास के लिये कोई एकक स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) इस कार्य के लिये कोई पृथक एकक स्थापित नहीं किया गया है, परन्तु हिन्दी तार की जानकारी रखने वाला एक कर्मचारी डाक तथा तार निदेशालय में कार्य कर रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये नये प्राथमिक स्कूल

†६९५. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में रेलवे मंत्रालय रेलवे कर्मचारियों व मजदूरों के बच्चों के लिये कितने प्राथमिक स्कूल खोलेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]U. K. Parity Price.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : चालू वर्ष में रेलों पर विभिन्न स्थानों में एक अध्यापक वाले ५१० नये प्राथमिक स्कूल खोलने का विचार है। इनमें से अधिक खुल चुके हैं और चल रहे हैं।

दादरी रजवहा[1]

†**६९६. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुमोदन तथा स्वीकृति के लिये पंजाब सरकार से पंजाब में पश्चिमी यमुना नहर का दादरी रजवहा की पूर्ति के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख). यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). दादरी रजवहा के पुनरीक्षित प्राक्कलन हाल में ही केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को प्राप्त हुये हैं और उनकी जांच हो रही है।

उच्च स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम

†**६९७. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम आरम्भ करने की योजना को अन्तिम निश्चय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था तथा निम्न वर्गोन्नत चिकित्सा संस्थाओं में आरम्भ हो चुका है।

(१) इंस्टीट्यूट आफ आबस्टेट्रिक्स एंड गायनाकालौजी, सरकारी महिला तथा बाल अस्पताल, मद्रास ।

(२) इंस्टीट्यूट आफ विनरालाजी, सरकारी अस्पताल, मद्रास ।

(३) शरीर विज्ञान संस्था, स्टेनले चिकित्सा कालिज, मद्रास ।

(४) बर्नर्ड इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलाजी, सरकारी अस्पताल, मद्रास ।

(५) अपग्रेडेड डिपार्टमेंट आफ पैडियाट्रिक्स, मद्रास चिकित्सा कालिज, मद्रास ।

(६) अपग्रेडेड डिपार्टमेंट आफ पैथालाजी, आंध्र चिकित्सा कालिज, विशाखापटनम् ।

(७) चिकित्सा कालिज, नागपुर में अपग्रेडेड डिपार्टमेंट आफ प्लास्टिक एंड मैक्सिलो-फेसियल सर्जरी ।

(८) आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैंटल हैल्थ, बैंगलोर ।

(९) भारतीय कैंसर गवेषणा केन्द्र, बम्बई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dadri Distributary.

(१०) बल्लभभाई पटेल वक्ष संस्था, दिल्ली ।

(११) थोरेसिक सर्जरी यूनिट, सी० एम० कालिज, बेलोर ।

इनके अतिरिक्त ३२ चिकित्सा संस्थायें राज्य सरकारों के अधीन हैं और उनमें भी स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम हैं ।

नर्सिग कालिज

†६९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के शेष काल में (राज्यवार) कितने नर्सिग कालिज खोले जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मध्य प्रदेश सरकार का विचार इन्दौर में एक नर्सिग कालिज खोलने का है ।

चिकित्सा कालिज

†६९९. **श्री सं० प्र० मेहदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ में कितने चिकित्सा कालिज थे ;

(ख) १९४८ में इन कालिजों में कितने विद्यार्थी थे और कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये ; और

(ग) १९५८ तक भारत में कितने कालिज खोले गये और चिकित्सा कालिजों में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) २८ ।

(ख) १९४८ में कुल ११,०११ विद्यार्थी थे और १९४८ में १,१७० विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये ।

(ग) १९४८ के उपरांत, १९५८ के अन्त तक २३ नये चिकित्सा कालिज खोले गये । १९५८ में इनके विद्यार्थियों की ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है परन्तु अनुमान है कि उस वर्ष इन कालिजों में लगभग २०,००० विद्यार्थी थे ।

गोदावरी पर रेलवे पुल की मरम्मत

†७००. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में विजवाड़ा और वाल्टेयर के बीच हाल की भारी वर्षा के कारण राजामुन्दरी के समीप गोदावरी नदी पर रेलवे पुल की मरम्मत का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान् । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि हाल की बाढ़ से पुलों को कोई हानि नहीं पहुंची है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास कान्फ्रेंस

†७०१. श्री प्र० गं० देब :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री आसर :
श्री सिदय्या :
श्री हेम राज :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९५९ में अन्तिम सप्ताह में मैसूर में विभिन्न राज्यों के विकास आयुक्तों की कोई कान्फ्रेंस हुई थी ; और

(ख) क्या किये गये निश्चयों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) हां ।

(ख) इस कान्फ्रेंस के मुख्य निश्चय व सिफारिशें शीघ्र ही संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध होंगी ।

रेल डिब्बा कारखाना, पैराम्बूर

†७०२. श्री तंगामणि :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैराम्बूर के रेल डिब्बा कारखाने में रेल डिब्बा का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) १९५९–६० में कितने रेल-डिब्बे बनाये जायेंगे ;

(ग) क्या १९५९–६० में कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि होगी ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग में कितनी वृद्धि होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

(१) दूसरी पाली आरम्भ होना ।

(२) कार्यानुसार भुगतान प्रणाली का लागू होना ।

(ख) लगभग ४४० ।

(ग) हां ।

(घ) कुल लगभग ५८६ कर्मचारी, प्रत्येक वर्ग में लगभग संख्या निम्न है :

देखभाल करने वाले	३९
दक्ष दस्तकार	२४९
अर्ध-दक्ष दस्तकार	१५१
दस्तकार	५०
विविध	९७
कुल	५८६

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण रेलवे पर रेलगाड़ी का लाइन से उतरना

†७०३. { **श्री तंगामणि :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ जुलाई, १९५९ को दक्षिण रेलवे पर तिरमन्नामलाई और विलूपुरम के बीच एक मालगाड़ी लाइन से उतर गई और परिणामस्वरूप ११ माल डिब्बे टूट गये ;

(ख) यात्री यातायात कितने समय तक रुक गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में गाड़ियों का लाइन से उतरना बड़ी सामान्य बात है ;

(घ) क्या जून में भी कोई गाड़ी लाइन से उतरी थी ; और

(ङ) इस क्षेत्र में गाड़ियों के लाइन से उतरने को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १ जुलाई, १९५९ को लगभग २३.२३ बजे (३ जुलाई, १९५९ को नहीं) जब कि रेलगाड़ी नं० २१२३ माल दक्षिण रेलवे के विलूपुरम-तिरुवन्नामली लाइन पर अधिचचासूर और पिरुकोइलूर स्टेशनों के बीच जा रही थी, ११ डिब्बे उलट गये और ५ डिब्बे लाइन से उतर गये ।

(ख) सीधी जाने वाली गाड़ियां १८ घंटे के लिये रुक गयीं ।

(ग) नहीं ।

(घ) नहीं ।

(ङ) दुर्घटनाओं की पुनरावर्ति रोकने के लिये सामान्य उपयुक्त निरोधात्मक कार्यवाही हो रही है ।

मदुरै में रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

†७०४. { **श्री तंगामणि :**
श्री त० ब० विट्ठल राव ।

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ जुलाई, १९५९ को दक्षिण रेलवे पर मदुरै जंकशन पर मालगाड़ी का इंजन और पांच अन्य डिब्बे लाइन से उतर गये ;

(ख) क्या इंजन पूर्णतया उतर गया था और परिणामस्वरूप उसे कुछ क्षति पहुंची ;

(ग) धक्के के फलस्वरूप कितने मालडिब्बों को क्षति पहुंची ;

(घ) दुर्घटना का कारण क्या है ;

(ङ) क्या यह सच है कि एक पाइन्टमैन और तीन रेलवे कर्मचारियों को चोट आई; और

(च) रेलवे जंकशनों पर ऐसी घटनाओं की पुनरावर्ति रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). २६ जुलाई, १९५९ को जब कि डिंडीगुल से मदुरै के बीच चलने वाली रेलगाड़ी नं० २६०५ डाउन दैनिक सड़क गाड़ी माल मदुरै जंकशन के मालयार्ड में प्रवेश कर रही थी, इंजन और अन्य पांच डिब्बे लाइन से उतर गये। इंजन को थोड़ी क्षति पहुंची।

(ग) पांच भरे हुये माल डिब्बे और एक ब्रेक डिब्बा।

(घ) दुर्घटना के कारण की जांच हो रही है।

(ङ) पांच रेलवे कर्मचारियों को थोड़ी चोट आई।

(च) जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि आवश्यक हुआ तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं के लिये राज्यों को दिये गये केन्द्रीय ऋणों की वसूली

†**७०५. श्री सैं० अ० मेहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं के लिये राज्यों को दिये गये केन्द्रीय ऋणों की वसूली में क्या प्रगति हुई ;

(ख) कितना ऋण (राज्यवार) वसूल किया गया ;

(ग) क्या किस राज्य ने ब्याज या ऋण को परिहार करने या घटाने की प्रार्थना की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कौन कौन परियोजनायें सम्मिलित हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ऋण अभी वसूली के लिये प्राप्य नहीं हुये हैं। स्थिति स्पष्ट करने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तथा (घ). राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने चम्बल परियोजना के लिये दिये गये ऋणों के ब्याज में परिवर्तन का सुझाव दिया है। उनकी प्रार्थना विचाराधीन है।

समुद्री घास से खाद्य उत्पादन

†**७०६. श्री प्र० के० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आलगे' समुद्री घास से खाद्य के उत्पादन के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कोई गवेषणा-कार्य आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) इस खाद्य में प्रोटीन, कारबोहाइड्रेट और विटामिन कितना होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान। मन्दापम् स्थित केन्द्रीय सागर मीन क्षेत्र गवेषणा केन्द्र में प्रारम्भिक कार्य हो चुका है और आगे गवेषणा हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) साधारणतया समुद्री घासों में प्रोटीन कम होता है क्योंकि सूखी होने पर भी इसका भार कभी ही १५ प्रतिशत से अधिक होता है। कारबोहाइड्रेट ५० से ६० प्रतिशत होता है। समुद्री घासों में अधिकतर विटामिन होते हैं। कुछ समुद्री घासों में बी १२ तथा सी विटामिन का प्रतिशत बहुत अधिक होता है।

लाहौल घाटी में मेवा अनुसंधान केन्द्र

†७०७. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेवा उगाने की संभावना का अध्ययन करने के लिये कृषि विभाग के उद्यान उपविभाग ने पंजाब की लाहौल घाटी में कीलांग में एक मेवा अनुसंधान केन्द्र खोला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लाहौल घाटी की ऊंचाई १०,००० फुट से अधिक होने के कारण वहां वर्षा बहुत कम होती है तथा सिंचाई के लिये पानी केवल गर्मियों में बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रदेश में सूखा फल उद्योग के विकास तथा सिंचाई के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितना धन मंजूर किया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पंजाब की लाहौल घाटी में कीलांग में एक फल पौधा वाटिका स्थापित की गई है जहां आगे जांच के लिये सूखे फलों के पौदे उगाये जा रहे हैं।

(ख) हां। लाहौल घाटी में वर्षा बहुत थोड़ी होती है परन्तु सिंचाई के लिये पानी कूल्हों से प्राप्त हीता है जिनमें गर्मियों में बर्फ पिघलने से पानी आता है।

(ग) कीलांग में एक फल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना है तथा इसे सारा वित्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से प्राप्त होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने यह योजना पांच वर्षों के लिये स्वीकार की है और इस पर कुल ८४,१८० रू० व्यय होंगे जिसमें से १९,८१० रु० १९५९-६० में यह योजना आरम्भ करने के लिये दे दिये गये हैं।

(घ) क्योंकि इस वर्ष अनुसन्धान योजना आरम्भ हो रही है, अभी कोई परिणाम नहीं बताया जा सकता।

स्थगन प्रस्ताव

पश्चिमी बंगाल में चावल का मूल्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसका विषय है : "पश्चिमी बंगाल में चावल के ऊंचे बढ़ते हुये मूल्य तथा राशन की दुकानों पर सप्ताह में तीन-चार दिनों चावल न मिलना, जिसके परिणाम स्वरूप जनता को कष्ट व कठिनाई।"

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि इस विषय पर शीघ्र ही सभा में चर्चा होने वाली है।

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सभा के १३ या १४ सदस्यों द्वारा दी गई एक सूचना पर, जिसमें माननीय सदस्या श्रीमती रेणुचक्रवर्त्ती का भी नाम है, हमखाद्य स्थिति पर और विशेषतया पश्चिमी बंगाल की खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये सहमत हो चुके हैं। यह चर्चा २१ तारीख को होने वाली है।

†**श्री मोहम्मद इलियास** (हावड़ा) २१ तारीख तो अभी काफी आगे है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट): मेरे स्थगन प्रस्ताव का मतलब यह है कि मिदनापुर, हुगली आदि में चावल ३२ रु० मन बिक रहा है और वह भी बहुत थोड़ी मात्रा में तथा हफ्ते में ३ या ४ दिन तो मिलता भी नहीं। सरकार ने बताया था कि वहां चावल पर्याप्त मात्रा म और लगभग २५ रु० मन मिल रहा है। यह बहुत अविलम्बनीय विषय है और इस पर तुरन्त चर्चा होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर २१ तारीख से पूर्व चर्चा हो सकना संभव नहीं है। फिर यहां केवल चर्चा करने से चावल के मूल्य कम नहीं होंगे। सरकार का ध्यान इस ओर दिला ही दिया गया है और वह समुचित व्यवस्था करेगी। जहां तक इस स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता।

लंका पुलिस द्वारा बेटन चार्ज

†**उपाध्यक्ष महोदय :** एक और स्थगन प्रस्ताव है, जिस की सूचना श्री हेम बरूआ ने दी है।

> "कोलम्बो में भारतीय उच्चायुक्त के अहाते के भीतर १० अगस्त, १९५९ को केरल सम्बन्धी राष्ट्रपति की उद्घोषणा के विरोध में प्रदर्शन करने वाले मलायाली लोगों पर लंका की पुलिस द्वारा बेटन चार्ज से उत्पन्न गंभीर स्थिति जिसमें १४ व्यक्तियों को भारी चोटें आईं और ६ की हालत काफी खराब है"।

मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि क्या यह केन्द्रीय सरकार गा उत्तरदायित्व है, जिसको निभाने में वह विफल रही है ?

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : जिन लोगों पर बेटन चार्ज हुआ है वे मलायाली हैं। वे भारतीय हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे लंका स्थित उच्चायुक्त ने लंका की पुलिस की सहायता मांगी थी या बिना सहायता मांगे ही लंका की पुलिस उच्चायुक्त के अहाते में घुस आई और उसने उन प्रदर्शनकारियों पर बेटन चार्ज किया। यदि बिना सहायता मांगे, वहां की पुलिस ने ऐसा किया है तो क्या यह कृत्य राजनयिक अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के विरुद्ध नहीं है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसी विषय पर श्री साधन गुप्त, श्री गोपालन, श्री नारायणन् कुट्टि मेनन, श्री पुन्नूस तथा श्री ईश्वर अय्यर के स्थगन प्रस्ताव हैं। श्री साधन गुप्त भी थोड़े में शब्दों में यह बतायें कि केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मेदारी किस हद तक है। उसके बाद मैं अपना निर्णय करूंगा

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस सम्बन्ध में वहां के उच्चायुक्त से हमें जो कुछ जानकारी मिली है, उसे मैं बताना चाहता हूं। उच्चायुक्त ने हमें सूचित किया है कि ९ अगस्त की शाम को उन्हें पता लगा कि अगले दिन सुबह उनके कार्यालय के सामने एक प्रदर्शन होने वाला है। हमारे उच्चायुक्त ने लंका सरकार के वैदेशिक कार्य मंत्रालय को इसके बारे में सूचना दे दी और यह कहा कि उन्हें नहीं पता कि प्रदर्शन क्या रूप धारण करेगा। शायद प्रदर्शनकारी उन्हें कोई ज्ञापन दें जिसे वह प्राप्त करके अपनी सरकार को भेज देंगे।

बाद में, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस ने हमारे उच्चायुक्त को टेलीफोन किया—जानकारी प्राप्त करने के लिये। उच्चायुक्त ने सब बातें बता दीं और यह भी कहा कि किसी गंभीर बात की आशंका नहीं है। अतः पुलिस वगैरह बुला कर बल प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। डी० आई० जी० पुलिस ने कहा कि वह दूतावास तथा चान्सरी की देखभाल के लिये समुचित प्रबन्ध कर देंगे।

१० अगस्त को लगभग साढ़े १० बजे लगभग २०० प्रदर्शनकारी, जो झंडे आदि लिये हुये थे और नारे लगा रहे थे, चान्सरी के एक दरवाजे से अन्दर घुसे। जैसी कि पहले से व्यवस्था थी उपउच्चायुक्त तथा अन्य पदाधिकारी चान्सरी भवन के दरवाजे पर गये और प्रदर्शन कारियों से मिले और उन्होंने कुछ उपद्रवी प्रदर्शनकारियों को शान्त करने की भी कोशिश की। उपउच्चायुक्त इस बात पर भी राजी हो गये कि वह उनके ५ या ६ प्रतिनिधियों को उच्चायुक्त से मिलवा देंगे। इसी बीच लगभग आधे दर्जन प्रदर्शनकारी भवन के दरवाजे की ओर झपटे। प्रदर्शन कारियों को ऐसा करते देख कर पुलिस चान्सरी के दूसरे दरवाजे से भीतर घुस आई और उसने प्रदर्शनकारियों को बेटनों से पीटना शुरू किया। भीड़ तितर बितर हो गयी और जिस दरवाजे से प्रदर्शनकारी आये थे, उसी दरवाजे से बाहर भागने लगे। एक व्यक्ति के सिर में भारी चोट आई और ४ या ५ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं। पुलिस के इस आकस्मिक आक्रमण से हमारे उच्चायुक्त को बहुत आश्चर्य हुआ और वह तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे जहां उनके अन्य पदाधिकारी पुलिस को मना कर रहे थे कि चान्सरी की सीमा के भीतर वे प्रदर्शनकारियों को न मारें। घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल पहुंचा दिया गया।

उसके बाद उच्चायुक्त ने सात प्रदर्शनकारियों से, जो चान्सरी के अहाते में मौजूद थे, उनसे आकर बात करने के लिये कहा। पर उन्होंने कहा कि सब से पहले वे उच्चायुक्त के इस आचरण का विरोध करते हैं कि उसने शान्तिप्रिय प्रदर्शकारियों को पिटवाने के लिये पुलिस बुलवाई। उच्चायुक्त ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी चान्सरी की सीमा में ऐसी दुर्घटना हुई। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि उन्होंने पुलिस को बुलाया नहीं था क्योंकि वह प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से बात करने को तैयार थे।

उच्चायुक्त ने बार बार कहा कि यह सोचना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने या उनके पदाधिकारियों ने पुलिस को बुलाया था और यह सब नाटक पहले से ही सोच लिया गया था। उसके बाद प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों ने उच्चायुक्त को एक विरोधपत्र दिया जो यहां वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को डाक के ज़रिये भेजा जा रहा है।

उसके तुरन्त बाद हमारे उच्चायुक्त ने लंका सरकार के स्थायी सचिव को टेलीफोन किया और उन्हें सारी बात बताने के बाद कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि पुलिस ने भीतर घुस कर

---

†मूल अंग्रेजी में

मामले में हस्तक्षेप किया जब कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। स्थायी सचिव ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें इस बात का खेद है कि हमारे दूतावास में ऐसी घटना हुई।

उच्चायुक्त ने हमें लिखा है कि यह बात बिल्कुल पक्की है कि उनकी ओर से किसीने भी पुलिस नहीं बुलाई थी। ऐसा मालूम होता है कि एक पुलिस इन्सपेक्टर ने चान्सरी भवन की ओर कुछ लोगों को झपटते हुये देखकर उसकी रक्षा के लिये ऐसी कार्यवाही की।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—पूर्व) लंका की पुलिस द्वारा हमारे उच्चायुक्त की आज्ञा के बिना चान्सरी की सीमा के भीतर घुसना राजनयिक विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। हम यह कैसे मान लें कि वहां की पुलिस ने सदाशयता की भावना से ऐसा कार्य किया है। ज़ाहिर है कि यह काम लंका सरकार ने अपनी कम्युनिस्ट-विरोधी भावनाओं के कारण किया है। लंका की पुलिस भारतीय कम्युनिस्टों को सबक सिखाना चाहती थी। मैं जानना चाहता हूं कि जब पुलिस प्रदर्शन-कारियों को पीट रही थी क्या उस समय हमारी ओर से लंका के अधिकारियों से मांग की गई थी कि वे पुलिस वहां से हटालें। दूसरे मैं पूछता हूं कि क्या हमारी सरकार ने लंका सरकार के पास विरोध पत्र भेज दिया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सभी तथ्य हमारे सामने आ गये हैं। मैं समझता हूं कि सरकार वह सब करने में असफल नहीं रही है जो वह कर सकती थी। इस स्थगन प्रस्ताव में मुझे कुछ परस्पर-विरोधी बातें भी दिखाई देती हैं। यदि सरकार अपने कर्त्तव्य में विफल रही है और उस कर्त्तव्य के पालन का समय बीत गया है, तो स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने की क्या आवश्यकता है। साथ ही यदि अभी विरोध पत्र देने का समय है तो कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार विफल रही है। अतः मैं नहीं समझता कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना आवश्यक है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** चूंकि एक विदेशी सरकार का प्रश्न आया है, अतः यदि आप आज्ञा दें तो मैं गलतफहमी दूर करने के लिये एक दो बातें कहूं। मैं बता चुका हूं कि इस दुर्घटना के बाद तुरन्त उच्चायुक्त ने लंका सरकार से सम्पर्क स्थापित किया और उसका ध्यान इस घटना की ओर आकृष्ट करते हुये कहा कि यह बड़े खेद की बात है। लंका सरकार के प्रतिनिधि ने उस पर खेद प्रकट किया। तथ्यों से पता लगता है कि यह घटना किसी पूर्व योजना के आधार पर नहीं थी। यह तो किसी छोटे-मोटे पुलिस पदाधिकारी की वेवकूफी थी। चान्सरी भवन की ओर भीड़ को झपटते देख कर उसने सोचा कि हम चान्सरी भवन की रक्षा करनी चाहिये। यह ऐसी बात नहीं है कि भारतीय राज्य क्षेत्र पर लंका ने आक्रमण कर दिया हो। पुलिस के उस आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिये था। वैसे उसने चान्सरी की रक्षा के लिये ही यह कदम उठाया था। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि जब यह सब हो रहा था, क्या उस समय कोई विरोध किया गया था ? इसका उत्तर यह है कि यह सब कुछ लगभग २ मिनट में हो चुका था। मैं नहीं समझता कि हमारे उच्चायुक्त ऐसी स्थिति में और क्या करते और अब हम क्या कर सकते हैं। एक छोटे पुलिस कर्मचारी के ऐसे कृत्य को लेकर लंका सरकार को मामले में घसीटना ठीक नहीं होगा जब कि मैं समझता हूं कि उसने जो कुछ भी किया वह अच्छी नीयत से ही किया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना आवश्यक नहीं समझता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचना

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिनांक १ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १७०९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १५१५/५९]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्री करमरकर** : श्री मो० वें० कृष्णप्पा की ओर से मैं वर्ष १९५५-५६ के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १५१४/५९]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १६ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८३७

(दो) दिनांक २३ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८७४

(तीन) दिनांक २७ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८७७ जिस में चीनी (यातायात नियन्त्रण) आदेश १९५९ ।

(चार) चावल और धान (आन्ध्र प्रदेश) दूसरे मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १ अगस्त, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८९३ ।

(पांच) अन्तर्खण्डीय गेंहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ८ अगस्त, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ९२५ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १५१६/५९]

अनुदानों की मांगें (रेलवे) के ज्ञापन का उत्तर

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: मैं अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५९-६० के संबंध में एक सदस्य से प्राप्त स्थापन के उत्तर के वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १५१७/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने तथा संकल्प तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री दातार** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब डा० बे० गोपाल रेड्डी द्वारा ११ अगस्त, १९५९ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर विचार करेगी :—

"कि भारत के राज्य बैंक के सहायक बैंकों के रूप में कुछ सरकारी अथवा सरकार से सम्बद्ध बैंकों के निर्माण की, तथा इस प्रकार बने सहायक बैंकों की रचना, प्रबन्ध और नियंत्रण की तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये "

माननीय मंत्री यदि कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : सभा ने सामान्य रूप से इस विधेयक का स्वागत किया है। संयुक्त समिति ने इस विधेयक पर विस्तार से विचार किया था। यह आपत्ति उठाई गई थी कि सहायक बैंक बनाने के स्थान पर इनको राज्य बैंक में क्यों नहीं मिला दिया जाता है। इस प्रश्न पर संयुक्त समिति ने और कल की चर्चा में भी सदस्यों ने पर्याप्त विचार किया ।

निसंदेह ग्रामीण ऋण समिति ने कुछ समय पूर्व इनके विलयन की सिफारिश की थी। तथापि सरकार इस निश्चय पर पहुंची कि इनके विलय करने से अधिक अच्छा यह है कि वे इस योजना को स्वीकार करें। हमें इस बात से प्रसन्नता है कि सौराष्ट्र, पटियाला और हैदराबाद को छोड़कर ये पांचों बैंकों के निदेशक और अंश धारियों ने यह योजना स्वीकार कर ली है। इनकी शर्तों तथा प्रतिकर के संबंध में वार्ता बाद में की जायेगी। इस प्रकार केवल बातचीत द्वारा एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति हुई है ।

प्रारम्भ में कुछ राज्य सरकारें यह चाहती थीं कि वे भी इस योजना की भागीदार रहें। मैंने सभा को पहिले भी यह बताया था कि केरल सरकार और पंजाब सरकार ने यह मांग की थी कि नकद प्रतिकर देने के स्थान में इन बैंकों में उनकी अंशपूंजी रहने दी जाय। इन बैंकों का सीधे विलय करने

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

से यह बात संभव नहीं हो सकती थी। हमारा भी यह मत था कि बैंक स्थानीय हालातों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वहां के स्थानीय व्यक्ति बैंक के निदेशक इत्यादि के रूप में बैंकों को काफी लाभ पहुंचा सकते हैं और यह बात विलय से संभव नहीं हो सकती थी। राज्य बैंक अखिल भारतीय बैंक होने के नाते व्यापक प्रश्नों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। इस के साथ ही प्रबन्ध में मितव्ययता होगी। ४५ प्रतिशत अंशधारियों के अंश सहायक बैंकों में बने रहेंगे। अंशधारियों के रूप में उनको उचित लाभ प्राप्त होगा लेकिन यदि अकस्मात प्रबन्ध बहुत अधिक खर्चीला हो गया हो तो उनके लाभांश में पर्याप्त कमी आ जायेगी। इन सहायक बैंकों में ७००० कर्मचारी काम करते हैं और पिछले वर्ष वेतन के रूप में इनके कर्मचारियों को १५० लाख रुपया दिया गया। जब कि उन्हें पिछले वर्ष ८५ लाख का लाभ हुआ। यदि उन कर्मचारियों को राज्य बैंक के हिसाब से वेतन दिया जाने लगेगा तो उसी मात्रा में उनका लाभ कम हो जायगा। फल यह होगा कि उन ४५ प्रतिशत अंश धारियों को वहां पूंजी लगाने में कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

पेशगी देने के संबंध में राज्य बैंक में कई प्रतिबंध लगाये गये हैं। राज्य बैंक होने के नाते वह कई मामलों में पेशगी रुपया नहीं दे सकता है। जब कि एक व्यवसायिक बैंक और सहायक बैंक किसी विशेष मामले में ऋण दे सकता है। राज्य बैंक के अपने नियम पेशगी देने के मामले में बाधक हो जाते हैं। इस प्रकार ये सहायक बैंक अधिक पेशगी रुपया देने में समर्थ होंगे। इन बातों का ध्यान रख कर सहायक बैंकों को राज्य बैंकों में विलय करने के स्थान पर सहायक बैंक बनाना अधिक अच्छा था।

मुख्य प्रबन्धक तथा प्रबन्ध निदेशक के वेतन का प्रश्न भी उठाया गया है। यह कहा गया है कि उन्हें काफी ऊंची तन्खवाहें दी जा रही हैं और सहायक बैंक बनाने के कारण उन्हें ये वेतन दिये जाते रहेंगे। इस अधिनियम के अधीन एक विशेष दिन उन सबकी पदावधि समाप्त हो जायेगी। वे राज्य बैंक की सहमति से ही महाप्रबन्धक रह सकेंगे। उनकी सेवायें या तो जारी रखी जायेंगी अथवा कुछ प्रतिकर देकर समाप्त कर दी जायेंगी। और उनको नये वेतन क्रम से वेतन दिया जायेगा।

यह प्रश्न भी उठाया गया था कि किसी विशेष स्थान पर इन सहायक बैंक तथा राज्य बैंक दोनों की शाखायें हो सकती हैं और इस प्रकार एक ही कार्य को दो बैंकों द्वारा किया जायेगा। इस प्रश्न पर राज्य बैंक विचार करेगा। अधिकांश ये बैंक (भाग ख) राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। एक दो विशेष स्थानों में राज्य बैंक की शाखायें भी रह सकती हैं लेकिन अधिकांश स्थानों में इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि एक ही कार्य को दोनों बैंक न करें। यदि राज्य बैंक चाहे तो अपनी शाखा बन्द कर सहायक बैंक को शाखा खोलने को कह सकता है। मेरे विचार से यह एक अधिक विस्तृत प्रश्न है तथापि राज्य बैंक सहायक बैंक के निदेशकों के परामर्श से एक नीति बना कर ऐसा काम कर सकता है कि जिस से यह कार्य दोनों बैंकों को न करना पड़े।

निसंदेह राजस्थान बैंक की वर्तमान अवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है। ज्यों ज्यों नई शाखायें खुलती जायेंगी राजस्थान बैंक की शाखाओं से सरकारी कार्य ले लिया जायेगा। वह राज्य संबद्ध बैंक नहीं रहेगा। तथापि इस में कुछ समय लगेगा ; क्योंकि जहां वह काम कर रहा है वहां जयपुर बैंक या बीकानेर बैंक की शाखायें खोली जायेंगी। महाराजा साहिब ने यह कहा कि आपसी झगड़े के कारण कभी कभी स्थानीय व्यक्तियों को सेवा से हटा दिया जाता है। क्या इस से कोई व्यक्ति राज्य बैंक का निदेशक होने से अनर्हत हो जायेगा। यह प्रश्न संयुक्त समिति में भी उठाया गया था। जहां हमारा यह विचार है कि जो व्यक्ति पंचायत, नगर पालिका और जिला बोर्ड का सदस्य होने योग्य नहीं है वह सहायक बैंक का निदेशक नहीं बन सकता है। हमारे देश में सुयोग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है। अतः हमें ऐसे व्यक्तियों को इन सहायक बैंकों में स्थान नहीं देना चाहिये

जिन के चरित्र के संबंध में संदेह हो। यदि कोई व्यक्ति कुछ समय पहले भ्रष्टाचार या किसी अव्यवस्था के कारण किसी पद से हटा दिया गया था तो ऐसे व्यक्ति को सहायक बैंकों के निदेशक बोर्ड में स्थान नहीं दिया जाना चाहिये ।

न्यायाधिकरण के प्रश्न पर यह कहा गया है कि आप उसमें उच्चन्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं लेकिन उन्हें सभी मसविदों को देखने का अधिकार नहीं दिया गया है । यह न्यायाधिकरण, दिये जाने वाले प्रतिकर का हिसाब लगायेगी । यदि प्रबन्धक लोग अपने गोपनीय धन की सत्यता के संबंध में न्यायाधिकरण को विश्वास नहीं दिला सकेंगे तो उन्हें हानि उठानी पड़ेगी । इससे अंशधारियों व निदेशकों दोनों को ही नुकसान होगा । अतः यह उनके हित में है कि वे न्यायाधिकरण के सम्मुख अधिक से अधिक पत्र प्रस्तुत करें जिस से न्यायाधिकरण उनके प्रतिकर का सही हिसाब लगा सके ।

यदि कोई कागज-पत्र न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा तो न्यायाधिकरण को उसका जिक्र अपने निर्णय में करना होगा जिस से वह जनता की सम्पति बन जाता है । इसलिये यदि वह किसी विशेष पत्र को नहीं दिखाते हैं तो उसके परिणामों का दायित्व उन पर होगा । अतः यह बात हम उनकी इच्छा पर छोड़ देते हैं यदि वे अधिक प्रतिकर चाहते हैं तो उन्हें अधिक पत्र दिखाने होंगे । अतः हमें इस गोपनीयता संबंधी खंड पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये ।

श्री नथवानी ने यह आपत्ति की है कि राज्य बैंक के अधिनियम तथा इस अधिनियम में प्रतिकर के सभी सिद्धान्तों की व्यवस्था नहीं है । प्रतिकर के सिद्धान्तों को विस्तार से देने की आवश्यकता तब होती है जब वलात् विलयन किया जा रहा हो । यहां हम बात चीत इत्यादि करने के उपरांत एक समझौते पर पहुंचे हैं । इस लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि सिद्धान्तों को विस्तार से न लिखने पर हमने कोई संविधान के विरुद्ध कार्य किया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है तो प्रतिकर के सिद्धांतों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिये ।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) **:** मेरे विचार से भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन किसी भी उपक्रम की आस्तियां महासमिति की बैठक में निश्चय हो जाने के उपरांत हस्तान्तरित की जा सकती हैं, भले ही अंशधारियों को उस पर आपत्ति हो, इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बलपूर्वक ऐसा किया जा सकता है तथापि कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं किये गये हैं ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** हम ने इस प्रश्न पर विचार किया है और हम इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि वस्तुत सिद्धांत स्थिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जहां तक पटियाला बैंक का प्रश्न है वह पंजाब सरकार का एक विभागीय बैंक है इसलिये यह मामला राज्य बैंक और पंजाब सरकार के बीच का है । यदि वे चाहें तो प्रतिकर का मामला न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर सकते हैं ।

श्री मोरारका का कहना है कि संतुलन पत्र इत्यादि मांगने की बातें व्यर्थ हैं । वास्तव में इस अधिनियम का आधार बैंकिंग समवाय अधिनियम है इस अधिनियम के उपबंध बैंकिंग समवाय के उपबंधों के आधार पर बनाये गये हैं । इस अधिनियम को आधार मानना बेकार नहीं कहा जा सकता है । श्री इश्वर अय्यर ने खंड ६३ और तीसरी अनुसूची के बीच विरोधात्मक भास का आरोप लगाया है । मेरे विचार में इस में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है । तीसरी अनुसूची विवादों के निपटारे के लिये और खंड ६३ सेवा नियमों, भले ही वे विवादास्पद हों, के अध्यापित करने के लिये हैं । वस्तुतः वे इस बात से राजी हो गये हैं । यह हमारे लिये बड़े श्रेय की बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

निदेशक तथा अंशधारी भी इस योजना से सहमत हो गये हैं और अब राज्य अपनी अंश पूंजी रख सकेंगे और इनके सहायक बैंक बने रहने से स्थानीय हितों की भी रक्षा हो सकेगी।

सहायक बैंक बनने के पूर्व मैसूर तथा अन्य स्थानों में कुछ राशि इधर उधर कर दी गई। इस लिये वे सहायक बैंकों के बनाने से सहमत नहीं थे। तथापि उन्हें अंशधारियों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ फलतः उन्हें अपनी बात त्याग देनी पड़ी। अतः अंशधारी, निदेशक राज्य बैंक और रक्षित बैंक तथा सरकार सभी इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान समय में यही सब से अच्छी व्यवस्था है। और हमें राज्य बैंक के वेतन नहीं देने चाहियें। वे सहायक बैंक रहेंगे और उनके विलय की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि बैंकों का स्थानीय रूप बना रहेगा। ये बैंक सभी (ख) वर्ग के हैं। इन सभी कर्मचारियों को (ख) वर्ग के वेतन मिलेंगे। इनको एकदम "क" वर्ग का वेतन देने से इनके लाभ की मात्रा बहुत कम हो जायेगी इससे उनके विकास कार्य में बाधा पहुंचेगी। स्थानीय व्यक्तियों के हित की दृष्टि से भी यह अच्छा नहीं होगा कि बिना लाभ उठाये ही उनका वेतन बढ़ाया जाय उनकी पूंजी बढ़ने पर उन्हें स्वयं 'क' वर्ग मिल जायेगा। और तब उन्हें राज्य बैंक का वेतन क्रम मिलेगा। मेरे विचार से निकट भविष्य में उनकी पूंजी बढ़ेगी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस प्रकार स्वयं उनका वेतन क्रम बढ़ेगा मेरे विचार से इन बैंकों को राज्य बैंकों में अनावश्यक रूप में विलय करने के स्थान पर इस प्रकार की योजना बनाना सब से अच्छा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारत के राज्य बैंक के सहायक बैंकों के रूप में कुछ सरकारी अथवा सरकार से सम्बद्ध बैंकों के निर्माण की, तथा इस प्रकार बने सहायक बैंकों की रचना, प्रबन्ध और नियंत्रण की तथा तत्संबंधी अथवा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम खंडवार विचार करेंगे : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड ६ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ८ से १० विधेयक में जोड़ दिये गये

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ११—(वर्तमान बैंक के कर्मचारियों की सेवाओं का हस्तांतरण)

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं। क्लाज ११ के लिये जो मैंने यह अमेंडमेंट दिया है उसके बारे में मैंने कल ही काफी कह दिया था। आज तो मैं सिर्फ माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब से फिर अपील करता हूं कि वह इस अमेंडमेंट को जरूर मान लें। जैसाकि मैंने कल कहा, ऐसा करने से जो बैंक सबसिडियरी बैंक बनाये जा रहे हैं उनके इम्पलाईज का भी स्टेटस और उनकी सरविस की कंडीशन्स वही होंगी जो कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की हैं। इसके मुताल्लिक भी कल काफी कह चुका हूं। मेरी फिर अपील है कि इस अमेंडमेंट को कबूल कर लिया जाये।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन —रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं अपना संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत करता हूं। इस अधिनियम के द्वारा कुछ बैंक राज्य बैंक के सहायक बैंक बन जायेंगे और उक्त बैंक के नियंत्रण में आ जायेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि विलय के उपरांत उक्त बैंकों के कर्मचारियों को वही वेतन क्रम इत्यादि दिये जायें जोकि राज्य बैंक के कर्मचारियों को दिया जाता है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सहायक बैंक योजना के अधीन ट्रावनकोर राज्य बैंक भी सहायक बैंक बन जायेगा। इस बैंक में इंडो-मर्केन्टाइल बैंक विलय हुआ था, अब उस बैंक के कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दिये गये हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि उन कर्मचारियों के मामले पर राज्य सरकार सहानूभूति पूर्वक विचार करे और उन्हें ट्रावनकोर राज्य बैंक की शाखाओं में खपा लिया जाय।

†**श्री शंकरैया** (मैसूर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न बैंक जो इस योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंक बन रहे हैं उनमें कर्मचारियों के वेतन क्रम पहिले के अनुसार ही पृथक पृथक रहेंगे या एकरूप हो जायेंगे ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : नये सेवा नियम बनने तक पुराने वेतन क्रम जारी रहेंगे। उन्हें अपने वेतन और विशेषाधिकार मिलते रहेंगे। वे एकीकृत बैंक बनने नहीं जा रहे हैं। तत्काल कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। जहां तक अन्य सुविधाओं का प्रश्न है राज्य सरकार उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी तथा कर्मचारियों को किसी प्रकार असुविधा नहीं होने देगी। अधिकांश सुविधायें जारी रहेंगी। इस संबंध में आशंका करने का कोई कारण नहीं होना चाहिये। जहां तक इंडो-मर्केन्टाइल में छंटनी होने का प्रश्न है इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा। सभा द्वारा विधेयक स्वीकार किये जाने के पश्चात राज्य बैंक इस योजना में महत्वपूर्ण भाग लेगा। इस समय जो कुछ स्थिति है उस पर निसन्देह विचार किया जायेगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार की कठिनाई न पैदा हो। तत्पश्चात् कोई ऐसी बात नहीं होने पायेगी। अतः मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ और २७ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : "प्रश्न यह है कि : खण्ड ११ विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४ और १५ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १४ और १५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १६ (न्यायाधिकरण के न्यायालय जैसे अधिकार होंगे)

†**श्री कोडियान** : मैं अपना संशोधन संख्या २९ प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १८ विधयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २० से २४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड २५ (निदेशक बोर्ड का गठन)

†**श्री कोडियान** : मैं अपना संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं। इस खंड में कहा गया है कि सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड में भारत के राज्य बैंक द्वारा ५ सदस्य नियुक्त किये जायेंगे, जिसमें से तीन से अनधिक सदस्य बैंक के पदाधिकारी होंगे। मेरा निवेदन है कि "तीन से अनधिक" के बजाय "तीन से कम सदस्य उस बैंक के नहीं होंगे" शब्द कर दिये जायें। इस प्रकार स्थानीय लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जायेगा, जो कि काफी जरूरी है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : कहा गया है कि भारत के राज्य बैंक ५ सदस्य नियुक्त करेगा जिसमें से तीन से अधिक सदस्य बैंक के पदाधिकारी होंगे, इस प्रकार हम चाहते हैं कि कम-से-कम दो गैर-सरकारी सदस्य हों। अतः मैं संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३१ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २६ से ३९ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ४० (लाभ का निबटारा) :

†**श्री कोडियान :** मैं अपना संशोधन संख्या ३३ प्रस्तुत करता हूं। खंड ४० में लाभ के निबटारे का उपबन्ध है। लाभांश की घोषणा का उपबन्ध है पर लाभांश की घोषणा के पूर्व कर्मचारियों को बोनस देने का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। अतः मुझे आशा है कि कर्मचारियों को बोनस देने के लिये माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन सभा के सामने है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** खंड में कहा गया है कि "अन्य सभी मामलों में जिनके लिये उपबन्ध आवश्यक होगा", अतः मैं समझता हूं कि बोनस का अलग से उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४१ से ४८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ४९ (विद्यमान पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये विशेष उपबन्ध)

†**श्री कोडियान :** मैं अपने संशोधन संख्या ३४ और ३५ प्रस्तुत करता हूं।

यदि बैंकों ने खंड ४९, उपखंड (१) में उल्लिखित तिथि से पहले ऐसा कोई करार किया होगा, जिससे कर्मचारियों को लाभ हो सकता होगा, तो अब इस खंड के पारित हो जाने के बाद वह लाभ नहीं होगा। अतः मेरा निवेदन है कि ५०० रु० से कम वेतन पाने वालों पर यह खंड लागू न हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन सभा के सामने है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** यहां ५०० से कम या अधिक वेतन पाने वालों में भेद करना ठीक नहीं। जो भी नियम है, वे सबके लिये हैं। अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३४ और ३५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ४९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५० से ६२ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ६३ (विनियम बनाने के लिये राज्य बैंक को अधिकार)

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं अपना संशोधन संख्या ४२ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभातकार]

खंड ६३ के उपखंड (२) में कहा गया है कि कर्मचारियों के वेतन, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों के बारे में राज्य बैंक को विनियम बनाने का अधिकार होगा। क्या इसका मतलब यह है कि सहायक बैंकों के कर्मचारी जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन आते हैं, वे अपने मामलों का न्याय निर्णयन नहीं करा सकेंगे ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : कल यही प्रश्न श्री ईश्वर अय्यर ने भी उठाया था। मेरा निवेदन है कि अनुसूची तथा खंड ६३ में कोई विरोधाभास नहीं है। बहुत से मामले अनुसूची के अधीन आयेंगे और बहुत से औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन। मैं यह नहीं चाहता कि कर्मचारियों के अधिकार छीन लिये जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह नहीं कर रहे हैं।

†**श्री प्रभात कार** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ६३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६४ तथा ६५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

पहली, दूसरी तथा तीसरी अनुसूचियां, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्रभात कार** : मैं इस समय यह कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों ने बैंकों के इस संयोजन के लिये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा की है। बीकानेर के बैंक के कर्मचारियों ने इस मामले में बड़ा श्लाघनीय परिश्रम किया है। अतः माननीय मंत्री को चाहिये कि वे कर्मचारियों के काम और उनकी सेवाओं को अवश्य देखें।

उनका विचार यह था कि यदि बैंकों को राज्य बैंक के आधीन लाया जाता है तो आर्थिक स्थिति की युक्तियुक्त प्रगति जारी रह सकती है। इसी के साथ उन्हें यह आशा भी थी कि पुनर्गठन के उपरांत उनकी सेवा की शर्तें भी अच्छी हो जायेंगी। किन्तु माननीय मंत्री ने कहा है कि यही संभव नहीं है। हमें यह तो विश्वास है कि इन बैंकों के संयोजन से इनका काम बढ़ेगा। इनकी स्थिति अच्छी होगी और फिर यह लोग अपने कर्मचारियों को ज्यादा वेतन आदि देने में समर्थ हो जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस समय कुछ कर्मचारियों को कुछेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अतः सरकार को यह देखना चाहिये कि संयोजन के फलस्वरूप किसी भी कर्मचारी को कोई हानि न पहुंचे।

इसके पश्चात मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि कर्मचारी भी सरकार के साथ पूरा पूरा सहयोग करेंगे।

†**श्री शंकरैय्या** : यद्यपि यह विधेयक लाभदायक है तथापि मैं एक बात तो अवश्य कहना चाहता हूं और वह यह कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कर्मचारियों पर कोई वज्राघात न हो। ज्यादा अफसरशाही न चलने पाये। जो सुविधायें लोगों अथवा कर्मचारियों को इस समय प्राप्त हैं, वे भविष्य में भी रहनी चाहियें।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : राज्य बैंक के कार्य के अनुभव से किसी को भी ऐसी घबराहट अपने मन में न लानी चाहिये कि यहां जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये कोई कसर उठा रखी जायगी। राज्य बैंक तथा सहायक बैंक लोगों से जितना गहरा संबंध बनायेंगे उतना ही उनके लिये लाभदायक होगा। यह तो ठीक है मगर शायद भविष्य में कुछ विवेकहीन लोगों को सहायता न मिल सके--पहले तो ऐसे लोग बैंकों से स्वार्थ के लिये ऋण ले लिया करते थे।

पहले तो व्यापारियों और निदेशकों की बात होती थी और कुछ व्यापारियों का प्रभाव निदेशकों पर भी होता था। किन्तु अब यह संभव न हो सके। अब तो वे सब लोग जनता के साथ सहयोग करके ही चलेंगे। दो गैर-सरकारी व्यक्ति, यह जरूरी नहीं, राज्य बैंक के लोगों का ही पक्ष लें। गैर-सरकारी सदस्य तो बहुत से हैं और उनमें से सब के सब राज्य बैंक का पक्ष तो नहीं ले रहे। वे जनता के हितों को देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के प्रकाशन से जो अनिश्चितता उत्पन्न हो गयी थी वह भी अब दूर हो गयी है। यह सारे क्षेत्र अविकसित हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् तुरन्त ही नया काम आने लगेगा। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि इससे बैंकों की साख बढ़ेगी और ज्यादा प्रगति होगी। इससे अविकसित क्षेत्रों की स्थिति में अत्याधिक सुधार हो जायेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सभा के सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन किया है।

इसी के साथ मैं कर्मचारियों के कार्य की भी सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है कि बीकानेर बैंक के कर्मचारियों ने संयोजन के पक्ष में नैतिक दबाव डाला। यदि यह ठीक है तो उन कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आशा है कि वे सब भविष्य में भी सरकार के साथ सहयोग करेंगे और व्यर्थ के विवाद खड़े नहीं करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।

संयुक्त समिति ने विधेयक में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किये हैं । अतः मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता, जो मैंने विधेयक को मूल रूप में प्रस्तुत करते समय कही थीं । मैं केवल उन दो तीन परिवर्तनों के संबंध में ही कुछ कहुंगा, जो कि समिति ने किये हैं, और जिन के लिये कुछ कारण देने की जरूरत है ।

इस अधिनियम की दृष्टि से समिति ने ब्रांच (शाखा) की परिभाषा में कुछ तबदीली की है । हमने इसे मूल विधेयक में सम्मिलित कर लिया है, हालांकि भारतीय बैंक संघ ने इसका विरोध किया था । फिर भी हमने इस परिवर्तन को सम्मिलित कर लिया है । अपने विचार को स्पष्ट करने के उद्देश्य से कि किसी भी बैंकिंग समवाय के कार्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है, पर नये कार्यालय स्थापित करने के लिये अनुमति प्राप्त करने में जो समय लगता है, उसे हटा दिया जाये । परन्तु इसमें शर्त यह है कि किसी स्थान पर रुपये का वास्तविक लेन देन न होना हो ।

इसके बाद मैं मूल अधिनियम की धारा १० के एक संशोधन का उल्लेख करूंगा । माननीय सदस्य जानते ही हैं कि समवाय अधिनियम में कुछ अनर्हताओं का उपबन्ध है । इनके अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वालों निकायों में कुछ विशेष व्यक्तियों को नहीं रखा जा सकता । इन उपबन्धों को किन परिस्थितियों में लागू किया जायेगा इसका बिल्कुल नपातुला उल्लेख किया गया है फिर भी बैंकों जैसे वित्तीय निकायों को देखते हुये, औद्योगिक और व्यापारिक समवायों के संबंध में ये उपबन्ध सन्तोषजनक नहीं हैं। बैंकों का काम मुख्यतः लोगों का रुपया अपने पास जमा रखना होता है । अतः कुव्यवस्था अथवा कुव्यवस्था के भय से कठिनाइयां पैदा होने की आशंका हमेशा बनी रहती है ।

अतः हमने उचित समझा कि एक नया उपबन्ध इसमें जोड़ दिया जाय, जिसके अनुसार रक्षित बैंक को यह अधिकार दे दिया जाये कि वह उस व्यक्ति को पद से हटा दे जो कि किसी बैंकिंग समवाय के सभापति, निदेशक, मैनेजर, अथवा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी इत्यादि पदों पर आसीन होते हुये इस अधिनियम के उपबन्धों को भंग करता हुआ पाया जाये । उस अवस्था में भी उसे हटा देना चाहिये जबकि रक्षित बैंक को इस बात का पूरा विश्वास हो जाये कि उस व्यक्ति का बैंकिंग समवाय के साथ संबंध रहना बैंक अथवा उसके निक्षेपकों के हितों के विरुद्ध होगा या अन्यथा अनुचित होगा । इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि इस प्रकार के अधिकारों का मनमाना उपयोग न हो । रक्षित बैंक को कोई कार्यवाही करने से पूर्व तथ्यों के आधार पर पूरी छानबीन करके अपना समाधान करना आवश्यक होगा । जहां भी संभव होगा, संबद्ध व्यक्ति को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का भी अवसर दिया जायेगा । मुझे विश्वास है कि बैंक उद्योग के महान हितों को दृष्टि में रखते हुये सभा इस उपबन्ध का स्वागत करेगा ।

दूसरा मुख्य परिवर्तन जो कि समिति द्वारा किया गया है, मूल अधिनियम की धारा १५ के संबंध में है । यह धारा लाभांश घोषित करने के बारे में है । इस संबंध में मैं एक बार पहले भी बता चुका हुं कि सरकार की इच्छा है कि प्रत्येक बैंकिंग सरकार को लाभांश घोषित करने से पूर्व कुछ

†मूल अंग्रेजी में

दायित्व पूरे करने चाहियें। यहां हमने इन दायित्वों को विस्तार से स्पष्ट कर दिया है। बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को लेने के फलस्वरूप जो कुछ अवमूल्यन होता है, उसके संबंध में विधेयक में उपबन्ध कर दिया गया था। बैंक सरकारी विनियोजनों के अंशों की खरीद में उतना धन नहीं लगाते जितना सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद में। यदि बैंक की व्यवस्था ठीक हो, तो बैंक की किसी रकम को कोई खतरा नहीं होता। परन्तु यदि अंशों या अग्रिम धनों में लगाई गई राशियों के कारण कुछ घाटा हो तो इस बात की व्यवस्था की गई है कि बैंक उस घाटे को पूरा करने के बाद ही लाभांश की घोषणा कर सकेगा। लेखा परीक्षक इस बात को देखेंगे कि इन उपबन्धों को ठीक प्रकार से और सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया जाये।

इसके अतिरिक्त जो अन्य परिवर्तन संयुक्त समिति ने किये हैं, वे सब प्रारूप की अदला-बदली संबंधी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य कई एक मामलों को स्पष्ट करना है।

मैं, अब विमति-टिप्पण का उल्लेख करना चाहता हूं। ठेकेदार और बैंकरों को समवायों का निदेशक नियुक्त करने संम्बधी विमति टिप्पण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ये मामले बहुत महत्व के नहीं हैं और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हमने इस संबंध में आवश्यक उपबन्ध किये हैं। इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं है अतः इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती।

अन्य बात यह है कि बैंक के कर्मचारियों को भूतलक्षी अवधि से १९५६ तक के समय का लाभांश दिया जाये। जब इस प्रकार के लाभांश देने संबंधी स्पष्टीकरण करने वाले संशोधन को अधिनियम में सम्मिलित किया गया था, तो कहा गया था कि लाभांशों से अंश खरीदा जाना बन्द कर दिया जाये। बैंकिंग समवायों पर लाभांश की अधिकतम सीमा की रोक लगानी चाहिये। इसके लिये संविहित उपबन्ध की व्यवस्था की जाये। उसका प्रयोग आम होना चाहिये ताकि बैंकिंग समवाय दिवालिया होने के बजाय विलय कर लें। सरकार के लिये इनमें से किसी भी प्रस्थापना को स्वीकार करना संभव नहीं है।

अधिनियम की धारा १० के भूतलक्षी संशोधन के सुझाव के संबंध में मेरा निवेदन है कि पिछले वर्षों का लाभांश देने वाली बात के संबंध में उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय हो चुका है। यह मांग न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभाव कर देगी। पुराने विवादों को पुनर्जीवित करना मैं ठीक नहीं समझता।

अन्य सुझावों पर सरकार द्वारा अतिरिक्त अधिकार प्राप्त करने की बात कही गयी है। परन्तु सरकार बैंकिंग उद्योग की दृष्टि से इसे उचित अथवा आवश्यक नहीं समझती। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के दूरलक्ष्यी अधिकार इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते।

इस विधेयक के समक्ष सीमित लक्ष्य ह। मुख्यतः वर्तमान नियंत्रण योजना में इसका काम स्पष्टीकरण करना मात्र है। व्यापक रूप से यह नियंत्रण योजना कुछ असन्तोषजनक नहीं है। यह विधेयक इस दृष्टिकोण से बड़ा लाभदायक है। इससे बैंकिंग समवायों के निरीक्षण और नियंत्रण की दृष्टि से अधिनियम का प्रशासन सुविधा पूर्ण ढंग से हो सकेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वे० प० नायर** (क्विलोन) : मैं इस अवसर पर केवल कुछ सामान्य बातों की चर्चा ही करूंगा। सरकार ने बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अभी तक कोई विशेष संशोधन नहीं किया है। हमारी आपत्ति यह है कि जिस प्रकार सरकार को इस विधेयक द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

करना चाहिये था, वह किया नहीं गया। १९४९ में जो हालात थे, वे आज काफी बदल गये हैं। जो कुछ हमने अब विमति-टिप्पण में कहा है, लगभग वही बातें १९४९ में कुछ प्रमुख सदस्यों ने इसी सभा में कहीं थीं। हमने कुछ ऐसी बातें भी अपने विमति-टिप्पण में कहीं हैं जो १९४९ में आज के अध्यक्ष महोदय द्वारा कही गयी थीं।

१९४९ में सरकार के समक्ष समाजवादी लक्ष्य नहीं था और आज उस लक्ष्य को समक्ष रखते हुये भी १९५९ में हम अधिनियम में विशेष परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जब कि पूंजीवादी समाज और समाजवादी समाज की बैंकिंग व्यवस्था में आकाश पाताल का अन्तर है। इस दिशा में सरकार ने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया है। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके विभिन्न उपबन्धों से, समाजवादी समाज के निर्माण की ओर बढ़ने की कोई गुंजाइश दृष्टिगोचर नहीं होती।

१९४९ में विवाद बड़ा मनोरंजक था, श्री ति० त० कृष्णमाचारी तथा श्री अ० चं० गुह ने (उस समय वे मंत्री नहीं थे) उस समय वही बातें कहीं थीं जो मैं कह रहा हूं। परन्तु मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने पर वे अपनी बात को कार्यान्वित न कर सके। मंत्री महोदय ने कहा है कि विमति-टिप्पण में कोई महत्व की बात नहीं है। परन्तु हम उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर आज बैंक १४, १५ अथवा १६ प्रतिशत तक लाभांश की घोषणा करते हैं परन्तु मूल रूप में जब हमने १९४९ में इस विधेयक पर चर्चा की थी तो अवस्था यह नहीं थी, परन्तु फिर भी श्री अनन्तशयनम् अय्यंगार, श्री कृष्णमाचारी और श्री के० टी० शाह प्रभृति महानुभावों ने आवाज उठाई थी कि सरकार का यह कर्तव्य है कि लाभांश की सीमा निर्धारित की जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं यह बात उस समय कही थी कि ६ से ८ प्रतिशत ही मुनासिब समझा जा सकता है। अब उपबन्धों में संशोधन किया जा रहा है परन्तु लाभांश पर रोक लगाने के लिये कोई बात नहीं की जा रही है। ध्यान रहे लाभांशों की अधिकतम सीमा हमारे भावी दायित्वों की दृष्टि से परम आवश्यक बात है।

सरकार चाहे कितना रोकती रहे, शीघ्र ही एक दिन ऐसा आयेगा जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। उस समय यह रोक बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। परन्तु इस विधेयक द्वारा तो बैंकों के इस अधिकार को मान्यता दी जा रही है कि वे लाभांश से अंश खरीद सकें। ऐसा करने से बैंक अपने पास केवल दो तीन प्रतिशत पूंजी ही लगाता है और बाकी सारा काम निक्षेपकों की पूंजी से ही चलाया जाता है। फिर भी दो तीन प्रतिशत धन देने वालों को लाभांश दिया जाता है। विमति टिप्पण में यही बात कही गई है परन्तु सरकार स्थिति की ओर ध्यान देना नहीं चाहती। हमने इसी बात पर जोर दिया है कि सरकार को दो बातों का ध्यान रखकर ही इस समस्या पर विचार करना चाहिये। प्रथम यह कि हमारा अन्तिम लक्ष्य समाजवादी समाज की रचना है और दूसरा यह कि निकट भविष्य में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है। समय बदल गया है लोग बदल गये हैं परन्तु इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण नहीं बदला। उसे बदलना चाहिये। बैंकिंग पद्धति के नियंत्रण के लिये जो बातें अपेक्षित हैं, उन्हें करके सरकार को दूरदर्शिता अवश्य प्रकट करनी चाहिये। देश की बैंकिंग पद्धति का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।

इस संशोधन विधेयक के कुछ उपबन्धों पर सदन को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। जैसे कि खंड ३ है। इसमें जो व्यवस्था की गई है, वह नितान्त अनावश्यक है। हमने इस पर संयुक्त समिति में काफी चर्चा की है। मंत्री महोदय का कहना है कि कुछ परिवर्तन बड़े आवश्यक हैं। कर्मचारियों को कुछ देने की बात आती है, तो मंत्री महोदय यह कह कर बात समाप्त कर देते

है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय इस बारे में अपना निर्णय दे चुका है, अतः हम उसके विपरीत नहीं जा सकते। परन्तु सभा के पास तो सब प्रकार के अधिकार हैं। मंत्री महोदय इस विषय पर विचार करना भी आवश्यक नहीं समझते। मैं चाहता हूं कि वह यह बात समझें कि बैंकों को निदेशक नहीं, कर्मचारी ही चलाते हैं, अतः लाभांश में उनका भाग भी होना चाहिये। परन्तु सरकार उनके प्रति बड़ा उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यदि केवल कर्मचारियों के हित की दृष्टि से ही बात न करके, इस दृष्टि से बात करें कि यदि लाभांश कम हो जाने पर सभी प्रकार के लोगों को कम दर में रुपया उपलब्ध हो सकेगा, तो उन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त होगा।

†**श्री वें० प० नायर** : आपकी बात बिलकुल ठीक है। कहा जाता रहा है कि कर्मचारियों को अधिक देने के लिये बैंकों को ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा। परन्तु यह बात गलत है। वे कर्मचारियों को दे कर भी ब्याज दर कम रख सकते हैं। परन्तु हम तो उन अंशदारों को बहुत लाभ दे रहे हैं, जिनकी पूंजी का विनियोजन दो तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसी प्रकार खण्ड ६ द्वारा धारा १० के संशोधन के बारे में मंत्री महोदय का कहना है कि इसमें कोई सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है, परन्तु मेरा मत सर्वथा इसके विपरीत है। इसमें निश्चित रूप से सिद्धान्त का प्रश्न है।

१९४९ में यह आवश्यक माना गया था कि एक व्यक्ति को दो समवायों का निदेशक नहीं बनने देना चाहिये। इसमें भी तो कोई सिद्धान्त था। उस समय बैंकिंग उद्योग पर जो संकट था उसको दृष्टि में रखते हुये ऐसा करना परम आवश्यक था। इसके साथ ही, समवाय अधिनियम के अनुसार कोई समवाय केवल इसलिये ही निर्माण नहीं किया जा सकता कि वह लाभांश वितरण करेगा। लाभांश वितरण होगा परन्तु विज्ञान, साहित्य अथवा संस्कृति को प्रोत्साहन देना होता है। अतः इसमें सिद्धान्त का प्रश्न है और माननीय मंत्री को यह खंड छोड़ देना चाहिये। इसी प्रकार उप-खंड (३) के अनुसार यदि कोई दंडित व्यक्ति पुनः किसी समवाय में आ जाये, तो उसे रोकने की इसमें कोई व्यवस्था नहीं। अभी हाल ही में एक व्यक्ति पर विदेशी विनिमय के गलत उपयोग का आरोप था, परन्तु वह त्यागपत्र दे कर चला गया। अब यदि वह पुनः इसी उद्योग में प्रवेश करे तो उसे रोकने के लिये कोई अनर्हता की व्यवस्था नहीं है।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने संयुक्त समिति के सामने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था और उसमें यह सुझाव दिया था कि अधिक लाभांश पर नियंत्रण किया जाये। मैंने भी कुछ समय हुआ इस बात पर जोर दिया था। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह इसे क्यों आवश्यक नहीं समझते।

मंत्री महोदय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण भूतलक्षी काल से कुछ देना सम्भव नहीं है, परन्तु अवस्था यह है कि खण्ड २५ में यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या १३ पर मामला बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर भी विचार करे कि क्या हम लोग अपनी विधायिनी शक्तियों का प्रयोग करके उच्च न्यायालय को यह आदेश दें कि यदि रक्षित बैंक आपके पास आवेदन पत्र प्रस्तुत करे, तो वह कोई आदेश न दे। उस हालत में जब कि मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप में इस बात के विरुद्ध हों कि कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से कोई लाभ न दिया जाय। मैं चाहता हूं कि सभा सारी बातों की तुलना करके इस मामले में अपना निर्णय दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे बैंकों को कुछ सुविधायें देने के सम्बन्ध में भी विधेयक में कुछ उपबन्ध अपेक्षित थे। नये बैंकों के खोलने पर भी कुछ रोक लगाने की आवश्यकता थी। छोटे-छोटे बैंकों के मुकाबले में बड़े बैंकों की शाखायें नहीं खोली जानी चाहियें और सरकार को छोटे बैंकों के हितों की रक्षा करनी चाहिये। बड़े बैंकों को एकाधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। छोटे बैंकों का जो इनसे मुकाबला है, उसे रोकने का वैधानिक प्रयत्न किया जाना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो छोटे-छोटे बैंक समाप्त हो जायेंगे।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस मौजूदा बिल के जरिये जो कि ज्वायंट कमेटी से मर्ज हुआ है और जिसके कि जरिय १९४९ के बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट को एमेंड किया जा रहा है यह बिल बहुत एम्पार्टेंट और नौन कंट्रोवर्शियल है क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि इस एक्ट को अमेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी।

जहां तक मैं समझता हूं बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट जो कि सन् १९४९ में बनाया गया था और उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिये, एडमिनिस्टर करने में जो डिफिकलटीज़ आईं उनको इस अमेंडिंग बिल के जरिये दूर किया जा हा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल के पास होने के बाद वह डिफिकलैटीज़ काफ़ी से ज्यादा दूर हो जायेंगी।

दूसरे मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो ओरीजनल बिल था वह इतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि यह अमेंडिंग बिल जो कि मौजूदा ज्वायंट कमेटी से मर्ज हुआ है, इफेक्टिव है। इसके लिये मैं दो, तीन मिसालें भी पेश करना चाहता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब ओरीजनल बिल पेश हुआ था उसके अन्दर कोई इस किस्म का क्लाज नहीं था जिससे कि बैंक्स के डाइरेक्टर्स वगैरह, चेयरमैन या जो दूसरे आफिसर्स हैं उनके बारे में रिजर्व बैंक कोई एक्शन ले सकें लेकिन इस अमेंडमेंट बिल के अन्दर एक नया क्लाज शामिल किया गया है जिसको कि मैं बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं।

मैं समझता हूं कि इस किस्म के कंट्रोल की खास तौर पर बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज-कल हम क्या देखते हैं कि इस किस्म की बहुत सी शिकायतें होती हैं कि आज बैंक्स बन जाते हैं, उनके जो आफिसर्स हैं चेअरमैन वगैरह वह कितनी ही इस किस्म की इररैगुलरटीज़ या एक्टिविटीज करते हैं जिनसे कि बैंकिंग बिजनस को और तमाम देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लाँज़ से यह चीजें काफी हद तक दूर हो जायेंगी और उन अशखास के खिलाफ़ जो कि इस किस्म की कार्यवाही करेंगे, हम उनके खिलाफ़ इफेक्टिव एक्शन ले सकेंगे।

इसके अलावा बिल के पेज १६ पर जो क्लाँज़ है वह भी बहुत ज्यादा अहम है। क्लाज़ ३३ ओरीजनल बिल के अन्दर इस ऐक्ट के तहत जो प्राविजंस हैं उनको कंट्रावीन करने के लिये जो सजा मुकर्रर की गई थी वह बहुत कम थी। सिलेक्ट कमेटी ने इस बात पर विचार किया और उसको और ज्यादा सख्त कर दिया। यह बड़ा अच्छा कदम था और इसका रिजल्ट यह होगा कि बैंकिंग कम्पनियों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ जायेगा। यह जो क्लाज अमेंड किया गया है उसमें यह कहा गया है :

> "पांच सौ रुपये" के स्थान पर "दो हज़ार रुपये" और "पचास रुपये" के स्थान पर "एक सौ रुपये" शब्द रख दिये जायें।

मेरी इस बारे में थोड़ी सी इतनी राय जरूर है कि अगर इसके साथ साथ थोड़ी बहुत सजा भी मुकर्रर कर दी जाती तो और भी ज्यादा अच्छा होता क्योंकि बहुत से ऑफेंसेज इस किस्म के हैं जिनके कि लिये सजा का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिये मैंने छोटी सा अमेंडमेंट भी पेश किया है और इसके अलावा जो उसके नीचे नया सेक्शन ऐड किया गया है वह भी जरूरी है और मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर सबसे ज्यादा एम्पार्टेंट सैक्शन यही है। मैं महसूस करता हूं कि इस सैक्शन के जरिये बकिंग कम्पनीज़ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा होजायगा।

मैं महसूस करता हूं कि ज्वायंट कमेटी ने जो यह क्लाज इसके अन्दर ऐड किया है यह बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि इससे गवर्नमेंट का किंग बैंकम्पनीज़ पर कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ जायगा और वह उन मैलप्रैक्टिसेज को रोकने में कामयाब होंगें।

इसके अलावा मैं दो, तीन बातें जरूरी समझता हूं और गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। इस बिल के अन्दर उन चीजों का कोई जिक्र नहीं है। मैं इस बात की बहुत जरूरत महसूस करता हूं कि इन दो, तीन बातों को भी इस बिल में लाने के बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिय मैं दो, तीन तजवीज़ें हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

इस बारे में मेरी सबसे पहली तजवीज यह है कि इस बिल के अन्दर एक क्लाज़ २५ है। क्लाज २५ में साफ तौर पर प्रोसीज्योर का जिक्र किया गया है जिसके कि जरिये बैंक को वाइंड अप किया जायगा या लिक्विडेट किया जायगा। मैं महसूस करता हूं कि लिक्विडेशन और वाइंडिग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से सबसे ज्यादा नुक्सान किस का होता है? जो बैंक को कंट्रोल करता है जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स है उनका उतना नुक्सान नहीं होता जितना ज्यादा नुकसान कि छोटे छोटे शयरहोल्डर्स और अल्टीमेटली डिपाजिटर्स का होता है। इसके बारे में मेरी अपनी राय यह है कि अगर इस किस्म का कोई बैंक हो जो कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया या स्टेट बैंक आफ इंडिया की राय में ठीक काम नहीं करता और जिनका कि इंतजाम खराब हो, तो बजाय इसके कि हम ऐसे बैंकों को वाइंड अप करें या लिक्विडेट करें, अगर उनको स्टेट बैंक आफ इंडिया में मर्ज कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने से उन डिपाजिटर्स का फायदा होगा जिनका कि ९० फीसदी या ७०, ८० फीसदी के करीब रुपया उन बैंकों में होता है और इससे अल्टीमेटली पबलिक को फायदा होगा। इसलिये मैं चाहता था कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाता और इस वाइंडिग प्रौसेस को और ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि छोटे छोटे बैंकों को बड़े बड़े बैंकों में मर्ज कर दिया जाय। अगर बैंकिंग की पिछली हिस्ट्री भी मैं आपके सामन रक्खूं तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत से बैंक्स फेल हो गये उनको लिक्विडट किया गया। उसका क्या नतीजा हुआ? हज़ारों लोग जो कि गरीब थे जिन्होंने कि एक एक पाई इकट्ठा करके बैंकों में जमा किया था उनकी वह तमाम रकम खतरे में पड़ गई।

इसके लिये मैं सिर्फ एक ही मिसाल रखना चाहता हूं जो कि बहुत अहम है गोकि पुरानी जरूर है। लाहौर के पीपुल बैंक का मामला आपको पता ही होगा कि उसके फेल हो जाने से पंजाब के कितने ज्यादा लोग बर्बाद हो गये और कितना अधिक उनको नुकसान हुआ। इसलिये मेरी यह अपील है कि हमें लिक्विडेशन के बजाय मर्जर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा दूसरी मेरी यह राय है कि इस बिल के अन्दर कोई इस किस्म का भी क्लाज नहीं है जिससे कि बैंक्स के रेकार्ड्स या एकाउन्ट्स वगैरह को अच्छे तरीके से किसी एनक्वायरी के वक्त देखा जा सके या रिजर्व बैंक आफ इंडिया उनको जैसे चाहे देख सके। एकाउंट्स वगैरह को सिक्रेट समझा जाता है।

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

मैं समझता हूं कि इस बात की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर इस किस्म का अख्तियार रिजर्व बैंक को दिया गया तो आज जो मैल प्रैक्टिसेज होती हैं, एकाउंट वगैरह जो फेबरिकेट किये जाते हैं और जो इस तरह से रूल्स को वायलेट किया जाता है यह चीज़ बन्द हो जायगी। उनके खिलाफ अगर कोई एन्क्वायरी होती है तो वह इसलिये कामयाब नहीं होती कि गवर्नमेंट के पास कोई एसी पावर नहीं है जिससे कि वह उनके तमाम इनर एकाउंट्स को देख सके और नतीजा यह होता है कि एनक्वायरी फेल हो जाती है। इसलिये मेरी यह अपील है कि इस बिल में एक ऐसा भी प्रावीजन होना चाहिये था जिससे एकाउंट्स वगैह को आसानी से देखा जा सकता और कब्जे में किया जा सकता। इससे दूसरा फायदा आपको और भी होगा। इनकम टैक्स वगैरह जो इवेड किया जाता है उसकी चोरी भी कम होगी। आप कहेंगे कि यह कैसे। इसके लिये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों से टैक्स वसूल करना है या इनवैस्टीगेशन कमीशन के तहत जितने भी केसेज हैं उनमें ज्यादातर वह लोग इनवाल्वड होते हैं जो कि इन बड़े बड़े बैंकों को कंट्रोल करते हैं। अगर कानून में कोई ऐसा क्लाज होता या ऐसी पावर होती तो उनके एकाउंट वरगैह को आसानी से देखा जा सकता था। इससे वह टैक्स की चोरी जो कि काफी होती है बन्द हो जायगी। बहुत से लोग बड़े बड़े बैंकों में अपना रुपया रखते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि डबल एकाउंट रखते हैं। अगर कानून में गवर्नमेंट को उनका एकाउंट देखने की पावर होगी तो इस चीज़ को कम करने भी भी बहुत मदद मिलेगी।

अमरीका में, जो कि एक कैपीटलिस्ट मुल्क है, बैंकिंग सिस्टम में ऐसा कानून है जिसके जरिये इनकम टैक्स या किसी भी काम के लिये एनक्वायरी हो तो उनके एकांउट को आसानी से चैक किया जा सकता है। देखा जा सकता है।

इसलिे मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इन्हीं दो तजवीज़ों की तरफ दिलवाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा; सबसे पहली मेरी जतवीज़ यह है कि लिक्विडेशन कम होना चाहिये; मरजर की तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिये। दूसरे उनके एकाउंट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिये भी गवर्नमेंट को पावर अपने हाथ में लेनी चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन दोनों बातों की तरफ ध्यान दिया गया तो यह बिल जो पास किया जा रहा है इसका मतलब बहुत ज्यादा पूरा होगा और बैंकिंग बिजनेस को जो हमने आज नहीं कल परसों किसी न किसी स्टेज पर नेशनलाइज जरूर करना है, उसमें हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।

मुझे इस सिलसिले में इतना ही कहना है और इतना कहने के बाद मैं इस बिल को फिर वैलकम करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि गो इसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर है लेकिन फिर भी यह एक प्रोग्रेसिव बिल है और इसके पास होने से बैंकिंग बिजनेस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी से ज्यादा बढ़ जायगा जो कि देश के मफाद के लिय बहुत जरूरी है।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : मैं इस बात से सहमत हूं कि संयुक्त समिति ने बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक में कुछ अच्छे परिवर्तन किये हैं। किन्तु उसकी कुछ अन्य सिफारिशों से मैं सहमत नहीं हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

शाखाओं की परिभाषा बहुत सीमित की जा रही है। यह व्यवस्था की जा रही है कि कोई कार्यालय अथवा उप-कार्यालय जिसमें रुपया जमा होता है, अथवा जो चैक भुनाता है, अथवा रुपया उधार देता है केवल वही शाखा कार्यालय हो सकता है। मेरा निवेदन है कि अब वह समय आ गया है जबकि प्रत्येक संस्थान, चाहे वह लिमीटड निगम है अथवा नहीं; जो चाहे किसी भी प्रकार का बैंकिंग ब्यापार करता हो बैंकिंग समवाय अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत आना चाहिये। कुछ भागीदार संस्थानों को, केवल इसी दृष्टि से कि विधि की निगाह में वे भागीदार संस्थान है, इसके क्षेत्र के अधीन नहीं रखा गया है। हालांकि ये बैंकिग का कार्य करती हैं। अब समय आ गया है कि जब इनके बारे में भी नीति निर्धारित कर लेनी चाहिये। यह कहा जा सकता है इस प्रकार की सार्थे बहुत होंगी और उनपर नियंत्रण करना कठिन हो जायगा उसका उपाय तो यह है कि यह सीमा निश्चित कर दी जाय इतनी राशी का कार्य करने वाली सार्थे इसके अन्तर्गत आयेंगी।

एक नया तथा वांछनीय सिद्धान्त निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार संयुक्त समिति ने रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को अवांछनीय संचालकों अथवा मुख्य प्रबन्धकों को निकालने का अधिकार दिया है। इसके अनुसार यदि किसी संचालक, अथवा प्रबन्धक ने विधि के उपबन्धों के विरुद्ध कार्य किया है अथवा उसका उस सार्थ में रहना ठीक नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये अधिकार दिये जायें। अतः मेरा निवेदन है कि उपखंड (४) नैतिक दुष्टता की बात रख देनी चाहिये। चाहे निर्णय फौजदारी अदालत का हो अथवा अन्य किसी अदालत का।

अब मैं खंड १० का उल्लेख करता हूं जिसके अनुसार धारा १५ में संशोधन किया गया है। धारा १५ के स्वस्थ उपबन्धों को संयुक्त समिति ने मिला दिया है। समिति का कहना है कि कुछ मामलों में लाभांश की घोषणा की जा सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि वे परिस्थितियां कौन सी हैं जिनके अन्तर्गत यह लाभांश घोषित किया जा सकता है। अवक्षयण को रद्द करने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस सार्थ विशेष मे किस प्रकार के अवक्षयण को रद्द करने की आवश्यकता है। उदाहरणतः परिवहन समवायों में अवक्षयण बहुत अधिक मात्रा में होता है। इस परिस्थिति विशेष में भी जब कि अवक्षयण धीरे-धीरे न हो कर अचानक ही होता है, स्टॉक एक्सचेंज आयात होने पर जो अधिक समय तक नहीं चलता इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि लाभांश की घोषणा करने से पूर्व अवक्षयण को अलग से निकाल देना चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि यह प्रतिगामी संशोधन है।

अशोध्य ऋणों के बारे में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने केवल यह उपबन्ध किया है कि ऐसे मामलों में अवक्षयण उस बैंकिग समवाय के लेखा-निरीक्षक को सन्तुष्ट करने की सीमा तक होना चाहिये। लेखा निरीक्षक को एक स्वन्त्र प्राधिकारी माना गया है किन्तु वह भी एक मानव है और उसकी स्वतन्त्रता की भी एक सीमा होती है वह इतना स्वतंत्र नहीं हो सकता कि यह कह सके कि संचालक मंडल भूल कर रहा है। अतः यह सुरक्षात्मक उपबन्ध भ्रान्तिजनक है। ऐसी परिस्थितियों में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि कोई लाभांश घोषित नहीं किया जायेगा। अतः इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

[श्री नौशीर भरूचा]

संयुक्त समिति ने यह पग ठीक ही उठाया है कि निक्षेपकों के हितों को ध्यान में रख कर बैंकों द्वारा कार्य करने तथा कार्य जारी रखने में कठोरता से कार्य लिया जाये।

सभी प्रकार की बैंकिंग शाखाओं, चाहे वह भारत में हैं अथवा भारत से बाहर, की जांच की व्यवस्था करना भी एक सही कदम है। लेकिन यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि अधिनियम की धारा ३५ में जिस निरीक्षण की व्यवस्था की गई है वह सामान्य प्रकार का है अथवा ऐसी स्थिति में ही यह निरीक्षण किया जायेगा जब कि इस बात का संदेह हो जाये कि समवाय का प्रबन्ध ठीक से नहीं हो रहा है। अतः प्रशासकीय दृष्टि से यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि चाहे समवाय का प्रबन्ध अच्छा है अथवा बुरा निरीक्षण किया जायगा। इस प्रकार सभी बैंक सचेत रहेंगे।

संचालकों की भूलों के लिये दंड की जो व्यवस्था की गई है उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

अंत में मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का उद्देश्य न तो बैंकिंग समवायों के लाभांश की अधिकतम सीमा निर्धारित करना है और न बैंकिंग समवायों का राष्ट्रीयकरण करना। मेरे विचार से यह विधेयक काफ़ी स्वस्थ परिवर्तन करने वाला है। और सही मार्ग की ओर ले जाने वाला है। आज हमारा कर्तव्य यह है कि हम इस बात को देखें कि ये समवाय सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। और मेरा विचार है कि यह विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।

ले० अवौ० सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : यह विधेयक बैंकिंग समवाय अधिनियम १९४९ का दूसरा संशोधन विधेयक है। संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पढ़ने के पश्चात ज्ञात होता है कि इस में बहुत से विवादास्पद खंड हैं। हांलाकि यह विधेयक बैंकिंग समवायों पर विस्तृत अथवा व्यापक नियंत्रण करने के लिये रिजर्व बैंक को काफ़ी अधिकार देना है फिर भी यह विधेयक पूर्णतः अपर्याप्त है और देश में बैंकिंग उद्योग को नियंत्रित करने तथा विनियमित करने के लिये काफ़ी प्रभावी नहीं है।

इस संशोधन विधेयक के द्वारा रिजर्व बैंक को न केवल भारतीय समवायों की विदेशी शाखाओं की जांच करने का अधिकार दिया गया है अपितु बल्कि यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि भारतीय समवाय विदेशों में अपनी सहायक शाखायें खोलना चाहती हैं तो वे अनुज्ञप्ति लें।

सामान्य तथा खाली समय में काम करने वाले बैंक के संचालकों के पारिश्रमिक को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है।

पहला उपबन्ध अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस से सरकार तथा रिजर्व बैंक को इस बात का पता चल जायेगा कि कौन-कौन व्यक्ति अनधिकृत रूप से विदेशों में धन जमा कर रहे हैं तथा हमारे विदेशी विनिमय की स्थिति सुधारने से भी इस से सहायता मिलेगी।

एक संशोधन किया गया है कि जिस के द्वारा बैंकिंग समवायों को बंद करने की व्यवस्था की गई है। विधेयक के खंड २६ के द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि इस प्रकार के समवायों को बंद करने के मामले को वह अदालत तक ले जायें। लेकिन इस प्रयोजन के लिये यह व्यवस्था अपर्याप्त है। रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञप्ति वापस ले लेने पर बैंक अवश्य ही बंद हो जायेगा। विमति टिप्पणी में यह सुझाव दिया गया है कि असंतोषजनक रूप से कार्य करने वाले बैंको को अनिवार्य

[मूल अंग्रेजी में

हमें रूप से मिलाने के लिये रिजर्व बैंक को संविहित अधिकार दिये जाने चाहिये। इस में यह भी कहा गया है कि बैंकों की स्थिति और नहीं गिरने देना चाहिये ताकि इनको बंद करने की स्थिति न उत्पन्न हो। यह बहुत अच्छा सुझाव है और इसी के द्वारा बैंकों की असफलता को हम रोक सकते हैं।

विधेयक का खंड १० अपलेखन किये बिना लाभांश की घोषणा करने के बारे में है। मेरा निवेदन है कि यह उपबंध प्रतिगामी है। यह उपबंध बैंकिंग समवायों को लाभांश तथा बोनस शेयर्स बांटने के लिये और भी व्यापक क्षेत्र देता है। यह बात भी ठीक नहीं है। खंड ६ के अनुसार बैंक के मुख्य प्रबंधक पदाधिकारी को अथवा उस व्यक्ति को जो बैंक के कार्य की देखभाल करता हो बैंक का संचालक बनने का अधिकार दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि इस से तो बैंकों की स्थिति और भी जटिल हो जायेगी। इसलिये इस उपबंध को निकाल देना चाहिये।

इस विधेयक में नई शाखाऐं खोलने के लिए उचित नियम की व्यवस्था नहीं की गई है हमारे यहां अधिक महत्व शहरों को दिया जाता है। लेकिन जब तक सारे देश में शाखाएं नहीं खोली जायेंगी तब तक बैंकिंग व्यवसाय की उन्नति नहीं हो सकती। ऐसे स्थानों पर जहां बैंको की शाखाएं नहीं ह, शाखाएं खोलने के लिये प्राथमिकता देनी चाहिये।

अविकसित क्षेत्रों में बड़े-बड़े बैंकों तथा छोटे-छोटे बैंकों की शाखाओं में अनुचित प्रतिस्पर्द्धा चलती है। इस से छोटे छोटे बैंको को बड़ा आघात पहुंचता है। इसलिये इन छोटे बैंकों को संरक्षण देना चाहिये। मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े शहरों में ही बैंक खोलने पर अधिक ध्यान देना अब बंद कर देना चाहिये। अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्द्धा तथा छोटी-छोटी संस्थाओं को अवांछनीय ढंग से हटाने को रोकना चाहिये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा १५ में छूट देने की क्या आवश्यकता थी। पिछले १० वर्षों में किसी भी बैंक के सामने ऐसी स्थिति नहीं आई कि उसका कार्य करना कठिन हो गया हो। इस दौरान में बैंक लाभांश भी अधिक से अधिक दे रहे थे। वैसे देखा जाय तो लाभांश का बैंक के स्थायित्व के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। लाभांश बैंक के विकास का द्योतक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे व्यावहारिक कठिनाइयां क्या थी जिनके कारण इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

इस विधेयक के अनुसार मूल अधिनियम की धारा १७ तथा १८ के स्थान पर नई धाराएं रख दी गई हैं। सामान्यतः अधिनियम के उपबंधों की अवहेलना करने के लिये दंड देने की व्यवस्था की जाती है लेकिन आप आज ऐसा नियम बनाते हैं कि जिस के द्वारा भूतकाल में दिये गये सभी अपराधों को नियमित किया जा रहा है। आप कुछ धाराओं को भूतलक्षी प्रभाव नहीं देना चाहते। क्यों कि वे कर्मचारियों को कुछ धन पाने में सहायता करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा यदि भूतकाल में कुछ अनियमिताएं हुई हैं तो आप उन्हें भी नियमित बना रहे हैं। ये वर्तमान उपबन्ध पिछले दस वर्षों से चले आ रहे हैं। बैंकिंग समवायों के सामने ऐसी कौन सी कठिनाई आई है जिस के लिये सरकार ने इस संशोधन की आवश्यकता समझी है।

विदेशी शाखाओं के निरीक्षण तथा अध्यक्ष अथवा संचालक आदि के विरुद्ध जांच करने के उपबंधों का मैं स्वागत करता हूं।

धारा १० के अधीन जहां तक कि खजांची--ठेकेदार का प्रश्न है यह अभिभावी व्यवस्था नहीं है। यह किसी भी प्रकार से उद्योग को सहायक नहीं है। यह न तो रोकड़ विभाग को किसी प्रकार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भात कार]

सहायता पहुंचाता है और न किसी प्रकार कम खर्चीला ही है। उपखंड (ख) दलाल, खजांची--ठेकेदार समाशोधन तथा अग्रेषण अभिकर्ताओं की दलाली के बारे में है। ये लोग बैंक के कर्मचारी नहीं हो सकते । खजांची ठेकेदार की दलाली भी नियमित कर देनी चाहिये। यह पुरानी प्रथा है। आजकल अधिकांशत: बैंकों में रोकड़ विभाग स्वत: बैंकों द्वारा ही चलाया जाता है । अत: खजांची ठेकेदार को फिर से जारी करना एक नया सुझाव है।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : ऐसा लगता है कि मानो लाभांश संबंधी वाद-विवाद बड़े-बड़े वाणिज्यिक बैंकों की दृष्टि से ही किया गया हो। अगर आप बैंकों का पिछला इतिहास देखें जब कि ये सन १९२० या १९३० में छोटी-छोटी राशि से चलाये गये थे। तो लाभांश का वाद-विवाद आज न हुआ होता । शुरू में ये बैंक थोड़ी सी राशि एवं छोटे छोटे व्यक्तियों द्वारा चलाये गये थे। उन्होंने बड़े त्याग से कार्य किया था । उन्हें लाभांश की इच्छा नहीं थी। अत: ऐसी स्थिति में लाभांश की चर्चा करना कि उन्हें लाभांश नहीं दिया था अथवा लाभांश पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये अच्छी बात नहीं है । लेकिन यह बात उन व्यावसायिक बड़े बैंकों के साथ लागू नहीं होती जो बड़ा लाभ कमा रहेहैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार उन के बारे में हस्पतक्षेप न करे। उन पर नियंत्रण होना चाहिये। लेकिन सभी बैंकों के साथ एक सा बर्ताव करना अन्याय होगा। बहुत से जिलों में बैंकों ने त्याग कर के अपना अस्तित्व बनाया है उनके भागीदारों को बहुत से वर्षों तक कोई लाभांश नहीं मिला है । फिर अब क्यों अधिक लाभांश मिले। वाद-विवाद पर दृष्टि पात करने से यह प्रकट होता है कि यह वाद-विवाद बड़े-बड़े बैंकों की दृष्टि से हो रहा है । मेरा निवेदन तो है कि लाभांश पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व इन पुराने बैंकों का जो १९२० अथवा १९३० में चालू किये थे और जिनका आधार त्याग है, भी ध्यान रखा जाये।

मैं देखता हूं कि कृषि के लिये उधार देने के मामले में भी अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अत: सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक शाखाएं खोली जाएं और कृषि को अधिक से अधिक उधार देने की व्यवस्था की जाये। स्टेट बैंक भी इस दिशा में कुछ अधिक नहीं कर सका है । अन्त में मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में सरकार अधिक कार्य करे।

†**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के ज़रिये सरकार बैंकिंग व्यवसाय के लिए एक नई नीति निर्धारित कर रही है। खास तौर पर उन आदमियों के लिए, जो बैंकों को चलाते हैं, उन का इन्तजाम करते हैं, जो कदम उठाया जा रहा है, वह एक सराहनीय कदम है। आज से कुछ दिन पहले इस सदन के सामने माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि हमारे पास या रज़र्व बैंक के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि अगर कोई बैंक का इन्तज़ाम करने वाला कोई गलती करे, तो हम किस तरह से उसको ठीक रास्ते पर ला सकें या उस को हटा सकें । उस कमी को पूरा करने के लिये यह बिल ख़ासा आगे जायेगा। मैं यह कहे वगैर नहीं रह सकता कि अब भी हम इस कानून के ज़रिये रिज़र्व बैंक को जो अधिकार दे रहे हैं, वह बड़ी झिझक के साथ दे रहे हैं। अभी मेरे साथी ने ज़िक्र किया बैंकों के चलाने वालों के बारे में और शेयर-होलडर्ज की सिम्पथी के सम्बन्ध में, लेकिन कौन नहीं जानता कि कोई भी बैंक, चाहे वह कितना ही बड़ा बैंक क्यों न हो, चल नहीं सकता, अगर रिज़र्व बैंक उस को जरूरत के वक्त पूरा सहारा न दे। दूसरे मायनों में हम कह सकते हैं कि जबसे हमारे देश के रिज़र्व बैंक ने पुख्ता तौर पर यह नीति निर्धारित की कि जितने भी बैंक इस देश में चलते हैं, जब भी बुरा वक्त आयगा, हम उनको सहारा देंगे, तब से बहुत

†मूल अंग्रेजी में

कम बैंक फ़ेल होते हैं। हम कह सकते हैं कि उनके चलने में, उन के मुनाफ़े में रिज़र्व बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा है और रिज़र्व बैंक चन्द आदमियों का बैंक नहीं है—वह सारे हिन्दुस्तान का बैंक है और चालीस करोड़ आदमियों का बैंक है। वह बैंक, जिस में चालीस करोड़ आदमियों का साझा हो, अगर उन बैंकों को सहारा दे, जो कि कुछ आदमियों के मफ़ाद के लिए चलें, तो हम को सोचना होगा कि रिज़र्व बैंक के पास पूरी रोक-थाम करने और यह देखने का पूरा अख्तियार है या नहीं कि वे बैंक ठीक रास्ते पर, देश के लिए चल रहे हैं या नहीं।

इसमें जिक्र किया गया है कि अगर ट्रीब्यूनल फ़ैसला दे कि किसी मैनेजर, डाइरेक्टर, मैनेजिंग डाइरेक्टर या किसी और काम चलाने वाले ने ग़लती की है और रिजर्व बैंक को तसल्ली हो कि उसको वहां से हटाना जरूरी है, तो उसको हटाया जा सकता है और बगैर जवाब लिये हटाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह भी कम है। देश के आज के हालात को देखते हुये यह अख्तियार कम है। आप जानते हैं कि इस सदन में बहुत सारे साथी यह चाहते हैं कि देश के तमाम बैंक नैशनलाइज किये जायें। हो सकता है कि देश के बैंकों को नैशनलाइज करने के लिये अभी कुछ वक्त चाहिये। कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन इसमें तो दो रायें नहीं हो सकतीं कि उनके काम को ठीक तौर पर चलाने के लिये रिजर्व बैंक के पास पूरा अख्तियार होना चाहिये और जब हम सब की यह राय हो, तो मैं जरूरी नहीं समझता कि हम किसी ट्रीब्यूनल के फ़ैसले का इन्तजार करें। अगर रिजर्व बैंक की राय हो कि फलां डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर ने बैंक को ऐसे तरीके से चलाया है, जिससे कि समाज का नुकसान है, तो उसको हटाने का रिजर्व बैंक को अख्तियार होना चाहिये।

इस सिलसिले में मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह अजीब दुख की कथा है कि ये बैंक और उनके हिस्सेदार आज तक जो चाहे, वह मुनाफा कमाते रहे हैं और वह कमाते रहे हैं रिजर्व बैंक के सहारे पर और रिजर्व बैंक चालीस करोड़ इन्सानों का बैंक है। इन बैंकों ने चालीस करोड़ के अस्सी फ़ीसदी हिस्से के लिये जो पैसा दिया, वह एक फ़ीसदी है। इसलिये जिस शख्स के नुक्ता-ए-निगाह में अस्सी फ़ीसदी आबादी के हित सामने हैं, वह यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि ये बैंक देश के मफ़ाद के लिये नहीं चले। चन्द आदमियों के मफ़ाद के लिये चले। मैं समझता हूं कि चन्द आदमियों के मफ़ाद के लिये रिजर्व बैंक का इमदाद करना सही न होगा। आज हमारे देश में करोड़ों रुपये का अनाज बाहर से मंगाया जा रहा है और देश का हर प्लानर यह मानता है कि इस देश को अनाज की पैदावार बढ़ाना जरूरी है। इसलिये खेती की तरक्की के लिये रुपया देना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक को यह अख्तियार होना चाहिये कि वह मुकर्रर कर दे कि फ़लां बैंक कम से कम बीस फ़ीसदी, या पन्द्रह फ़ीसदी या दस फ़ीसदी शुरू में—और आखिर में यह हद बढ़ती जाय—खेती में रुपया लगायेगा और जो इस शर्त को तोड़े, इसके डायरेक्टर को हटाने का पूरा अख्तियार रिजर्व बैंक को होना चाहिये।

अभी मेरे साथी पूर्ववक्ता ने इस बात की दलील दी कि क्यों न उनको ज्यादा मुनाफ़ा दिया जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कल यह हो उस फ़ैसला करे कि इन बैंक्स को नैशनलाइज करना है, तो क्या हम उनको जो कम्पेन्सेशन देंगे, वह शेयर्स की फ़ेस वैल्यू के हिसाब से देंगे? हम उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से देंगे। उन्होंने १९२० की किस्सा-कहानी सुनाई कि १९२० में जिस हिस्से की कीमत सौ रुपये थी, वह आज बहुत बढ़ गई है। कल अगर हमने नैशनलाइज किया, तो हम उस हिस्से की कीमत तीन सौ या चार सौ अदा करेंगे क्या उनके लिये यह मुनाफा नहीं है? जब वे सौ रुपये के बदले तीन चार सौ ले लेंगे, तो उनको क्या अधिकार है कि वे हद से बाहर मुनाफ़े की तवक्की करें। आप जानते है कि हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एलान किया है कि यह को-

[श्री रणवीर सिंह]

आपरेटिव्ज को पालिसी खेती में ही नहीं रहेगी, बल्कि हम उसको बढ़ाना चाहते हैं और हम इसको इंडस्ट्री में ले जाना चाहते हैं। आज के दिन यह बिल आये और इसमें यह धारा हो कि हम उनके मुनाफ़े की तादाद को बढ़ाने की इजाजत देना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह हमारे देश की नीति के खिलाफ़ है। अगर सरकार सब बैंक्स को कुछ मजबूरियों की वजह से को-आपरेटिव नहीं बनाना चाहती, या नैशनलाइज नहीं कर सकती तो मैं चाहूंगा कि कम से कम उस प्रिंसिपल को इन बैंकों में भी लागू किया जाये, जो कि को-आपरेटिव बैंक्स में लागू होता है, यानी कुछ परसेंटेज से ज्यादा मुनाफ़ा हिस्सेदारों को नहीं मिल सकता है। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि जो मुनाफ़ा बंटे, को-आपरेटिव बैंक में अगर वह पांच परसेंट है, तो वह छः परसेंट हो जाये। १ या १/२ परसेंट ज्यादा बेशक दे दें, लेकिन यह कैसे उनको छूट मिली कि वह मुनाफ़ा इससे ज्यादा बांट सकें। मैं कहना चाहता हूं कि इतना फर्क शेअरों के डिवीडेंड में नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि यह हद हटानी नहीं चाहिये दूसरे शब्दों मे कोई न कोई हद मुकर्रर करनी चाहिये और मंत्री महोदय इस अमेंडमेंट को वापिस लें।

इसके अलावा मैं यह भी मानता हूं कि आज के दिन जब हम इस बात की तैयारी में हैं कि हम तमाम बैंकों को सरकारी बना लेंगे तब हमें इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिये कि कोई भी बैंक फेल हो। हमको आज इस बात की पूरी जिम्मेवारी ले लेनी चाहिये कि किसी बैंक को हम फेल नहीं होने देंगे क्योंकि आज तो रिजर्व बैंक के पास अख्तियार है। वह क्यों यह सोचे कि कोई बैंक फेल होगा तो कैसे उसका हिसाब-किताब चुकायेंगे और किस तरह से उसका हिसाब निपटायेंगे ? हमारे दिल के अन्दर यह चीज रहनी ही नहीं चाहिये कि कोई बैंक फेल होगा क्योंकि आज रिजर्व बैंक को अख्तियार है कि जो किसी बैंक को चलाने वाले हैं अगर वह गलत काम करें तो उनको हटा दे और उस बैंक को ले ले। हमें आज देश के लोगों के दिल में से इस बात का डर निकाल देना चाहिये कि कोई भी बैंक इस देश के अन्दर फेल हो सकता है। अगर कोई बैंक गलत काम करता है, किसी खास आदमी के मुनाफ़े के लिये चलता है तो उसको हम लोग कानून के अधीन बैंक को ले सकते हैं और उसके चलाने वाले को हटा सकते हैं।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्टेट बैंक आफ इंडिया अमेंडमेंट बिल पर बहस हो रही थी, उसको सुना। सरकार जो ज्यादा पावर मांगती है, वह जरूरी हो सकती है क्योंकि बैंकों में भारतवर्ष के हर साधारण आदमी का, मजदूर का भी और रुपये वालों का भी रुपया जमा रहता है और वह रुपया सुरक्षित रहे, यह हम सभी चाहेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि हमारे बैंकों ने इन २०, २५ वर्षों में देश की जो सेवा की है और इतनी उन्नति की है वह एक उदाहरणस्वरूप है। मुझे आश्चर्य हुआ जब श्री प्रभात कार ने कहा कि बैंक १४ परसेंट और १६ परसेंट डिविडेंड क्यों देते हैं। यह ताज्जुब की बात है कि अगर कोई संस्था काफी रुपया कमाती है, गवर्नमेंट को भी टैक्स दे दी है, रिजर्व में भी रुपया ले जाती है तो वह शेअरहोल्डरों को, उन शेअरहोल्डरों को जो गरीब आदमी हैं, साधारण आदमी हैं, ज्यादा डिविडेंड न दें। पिछले साल सर्वे हुआ था तो कई बैंक्स के ऐसे ऐसे शेअरहोल्डर निकले जिनके पास १० रु० का शेअर है, २०० रु० का शेअर है या ५०० रु० का शेअर है। अगर उनको मुनाफा अच्छा मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, जो आपकी क्या हानि है अगर वह अपने शेअरहोल्डरों को ज्यादा डिविडेंड दें। अगर कोई कम्पनी मिसमैनेजमेंट करती है, शेअरहोल्डरों को डिविडेड नहीं दे सकती है, इनकम टैक्स नहीं दे सकती तब आप कह सकते हैं कि गलत चीज है। लेकिन यह सवाल कैसे हुआ कि वह इनकम टैक्स दे, रिजर्व में भी रुपया रक्खें, फिर भी शेअर होल्डरों को कम रुपया दे ? मैं आपके सामने कुछ बैंकों के उदाहरण देता हूं। बैंक

आफ इंडिया का ३ करोड़ रु० का कैपिटल है ३ करोड़ १० लाख रु० उनके पास रिजर्व है और ८ वर्षों में उन्होंने इनकम टैक्स दिया है और शेअरहोल्डरों को उन्होंने १६ परसेंट डिविडेंड फ्री आफ टैक्स दिया है। इसी तरह से सेंट्रल बैंक है। उसका ३ करोड़ १४ लाख रु० का कैपिटल है, ३ करोड़ ५८ लाख रु० रिजर्व में लगाया गया है, ८ सालों में करीब ५ करोड़ रु० इनकम टैक्स दिया है, और शेअरहोल्डरों को बराबर डिविडेंड दे रहा है। एक नया बैंक यूनाइटेड कामर्शल बैंक, जिसके बारे में कार साहब ने कहा कि शेअरहोल्डरों को ७ $^{1}/_{2}$ परसेंट डिविडेंड देता है। उन्होंने थोड़े ही दिनों में रिजर्व १ करोड़ ३४ लाख कर लिया। उनकी यह पालिसी मेरी समझ में नहीं आई कि बैंकों में रुपया जमा हो फिर भी वह शेअरहोल्डरों को डिविडेंड न दें। चौ० रणवीर सिंह ने भी कहा कि अगर गवर्नमेंट उनको नेशनलाइज करेगी तो उसको दाम ज्यादा देना पड़ेगा। अगर कम्पनी साउंड है, उसके पास रुपया है तो इसमें गवर्नमेंट को कोई हर्ज नहीं होना चाहिये मार्केट के हिसाब से देने में। मेरा तो यह कहना है कि जो बैंक बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन पर इतनी ज्यादा कड़ाई नहीं होनी चाहिये। कानून से आप पावर लेना चाहें तो यह बात ठीक हो सकती है लेकिन इस पावर का इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिये कि बैंकों की उन्नति में कोई बाधा आये।

साथ में मुझे यह भी निवेदन करना है कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो अबतक न तो डिविडेंड दे पाये हैं और उनके शेअरों के दाम यद्यपि ५० रु० थे लेकिन अब ४५ रु० हैं और बाजार में उनका दाम सिर्फ १० रु० है। उन्होंने कुछ ऐसा कायदा बना लिया है कि १०० रु० के शेअर वैल्यू के शेअर का दाम पेड अप कीमत पर ५० रु० कर दिया गया है। जब मर्जी आये आप इसको काल करके देख सकते हैं और शेअर बाजार में लोग उनको लेते नहीं। ऐसे बैंकों के लिये मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनकी जांच की जाय। अगर कोई बैंक ऐसे हैं जिन्होंने आज तक डिविडेंड नहीं दिया है, १५ वर्षों से वे बैंक हैं, एक शेअर पर उन्होंने ५० रु० दाम रखा है लेकिन आज उनकी कीमत १० या १२ रु० है, या तो ऐसे बैंकों को खत्म किया जाय या दूसरे बैंकों में मिला दिया जाय ताकि उनके शेअरहोल्डरों को १० रु० की जगह ३५ रु० या ४० रु० मिल सके। उदाहरण के लिये मैं आपके सामने बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल बैंक सन् १९४४ में शुरू हुआ। उसने खाली १ करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया। उसके बाद कभी भी डिविडेंड नहीं दिया। उसका ५० रु० का शेअर है, लेकिन बाजार में उसका दाम १० रु० है। उसके पास कुल १ करोड़ ५० लाख का कैपिटल है। इसी तरह से हिन्दुस्तान कामर्शल बैंक है जो कि सन् १९४३ में शुरू हुआ। उसका दाम आज १३ रु० है जब कि उसका ५० रु० का शेअर है। मैं कहूंगा कि जब गवर्नमेंट आज पावर ले रही है बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के जरिये से तो ऐसे बैंकों के बारे में जरूर सोचे जो न तो डिविडेंड देते हैं और न जिनकी कोई साख है कि लोग उनमें रुपया लगा सकें। ऐसे बैंकों का रखना या चलने देना मेरी समझ में ठीक नहीं है। या तो आप उनको बड़े बैंकों में मिला दीजिये या जैसे आपने दूसरे बैंकों को लिया है उसी तरह से कोई कानून बना कर इन बैंकों को ले लें क्योंकि यह न तो शेअरहोल्डरों के हक में ही है और न गवर्नमेंट के हक में ही है कि इस तरह के बैंक चलते रहें और उनकी कोई जांच न हो। मैं तो कार साहब से कहूंगा कि वह बैंक इम्प्लायीज यूनियन से सम्बन्धित हैं, उनको उन बैंकों के लिये सिर दर्द नहीं मोल लेना चाहिये जो कि बहुत काफी कमाते हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और काफी डिविडेंड देते हैं। इसके बदले वें उन बैंकों के बारे में सोचें जो कि अच्छे नहीं चलते तो ज्यादा अच्छा होगा।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : श्रीमान्, यह संशोधन विधेयक बड़े सोच विचार के बाद तथा बैंकिंग समवायों के गत कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर यहां प्रस्तुत किया गया है इस कारण

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

मैं यह कह सकता हूं कि इस संशोधन विधेयक पर पूरी तरह विचार कर लिया गया था। इस विधेयक में रखी गई सभी बातों पर पूरी तरह से बैंकिंग एसोसियेशन, एक्सचेंज बैंक एसोसियेशन, भारत के रिजर्व बैंक भारत सरकार तथा संयुक्त समिति ने विचार किया था और तब इसको यह रूप दिया गया है ।

पहला बैंकिंग समवाय अधिनियम दस वर्ष पूर्व लागू किया गया था और इन दस वर्षों के कार्य को देखने पर पता लगता है कि रिजर्व बैंक का इन बैंकिंग समवायों पर बड़ा प्रभाव रहा है। इनका काम भी बढ़ा है और देश के औद्योगीकरण की वृद्धि में भी इन्होंने सहायता दी है। रिजर्व बैंक किसानों की सहायता के लिये भूमि बंधक बैंकों की अंश पूंजी में भी धन दे रहा है और इस उद्देश्य से भी ऋण दे रहा है जिससे किसानों को सहकारी संस्थाओं से धन की सहायता मिल सके। इस प्रकार इस संशोधन विधेयक को बड़े सोच विचार कर यहां पर लाया गया है ।

श्री नायर ने जो तीन प्रश्न उठाये हैं। उन पर संयुक्त समिति में तथा प्रस्थापना के समय सभा में विचार किया जा चुका है। १९४९ में भी इन कुछ प्रश्नों पर विचार किया गया था तथा सरकार ने उस समय भी इनको स्वीकार नहीं किया था। सदस्यों के व्यक्तिगत विचारों में अन्तर आ सकता है और संभव है कि प्रो० रंगा के उस समय जो कुछ विचार रहे हों, वह विचार अब न हों। परन्तु सरकार अपने विचार नहीं बदला करती और इसीलिये १९४९ में सरकार ने जो रवैया अपनाया था उसका १९५९ में आज भी वही रवैया है, यद्यपि सरकार ने समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का निर्णय कर लिया है। हम अपने उस आदर्श के प्रति जागरूक हैं जिसे हमने अपने सामने रखा है ।

†**एक माननीय सदस्य :** यह प्रश्न इस समय किस प्रकार उत्पन्न हो रहा है ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** उन्होंने इस प्रश्न को उठाया था। परन्तु १९४९ के बाद पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई और अब हम तीसरी योजना पर भी विचार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें हजारों करोड़ रुपये चाहिये और इसी कारण हमने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हमारे संसाधन बढ़ जायेंगे। निस्संदेह तीसरी योजना के लिये हमें संसाधन चाहिये। यह एक बहुत बड़ा काम है। हमें विदेशी मुद्रा तथा विदेशों से ऋण भी चाहिये। हम अपने आन्तरिक साधनों का भी अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं। योजना आयोग ने भी इस पर विचार किया है कि क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हमारे संसाधन बढ़ जायेंगे। परन्तु विचार के पश्चात् यही ठीक पाया गया कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना ठीक नहीं है। श्री नायर के समान कुछ व्यक्तियों के भी विचार बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हो सकते हैं। संभव है कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग ऐसे हों जिनकी ऐसी राय हो। परन्तु सरकार तीसरी चौथी अथवा पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं तक के विकास के लिये बैंकों के राष्ट्रीयकरण को ठीक नहीं समझती है ।

इस संबंध में दूसरी बात यह उठायी गई कि लाभांशों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाय और अधिलाभांश (बोनस) से शेयर खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। यह दोनों बातें भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ही संबंधित हैं। सरकार रिजर्व बैंक, बैंकिंग समवाय और उनके संगठनों ने इस प्रश्न पर भी विचार किया था कि क्या हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में लाभांशों की

---

†मूल अंग्रजी में

अधिकतम सीमा निर्धारित करना, तथा अधिलाभांश से शेयर खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। लेकिन उन्होंने इसको अनावश्यक समझा।

अधिक लाभांश पर तथा अधिलाभांश शेयरों के जारी होने पर आय-कर अधिनियम के उपबन्ध लागू हो जाते। जब भी कभी अधिक लाभांश की घोषणा होती है तभी अधिक आयकर देना होता है। उसी प्रकार जब अधिलाभांश शेयर जारी किये जाते हैं तभी विशेष उपबन्ध के अनुसार लगभग ३० प्रतिशत तक आय-कर लिया जाता है। हम नहीं चाहते कि इससे अधिक और कुछ कठिनाई उत्पन्न की जाय। यह सभी मामले विवादस्पद हैं और हम नहीं चाहते कि राष्ट्रीय-करण, लाभांशों की अधिकतम सीमा आदि के बारे में हम अनावश्यक विवाद में पड़। रिजर्व बैंक भी हमें राष्ट्रीयकरण आदि की सलाह नहीं देता है।

श्री नायर ने पुनः यह प्रश्न उठाया कि क्या एक बैंक का जनरल मैनेजर, किसी अन्य समवाय का निदेशक (डाइरेक्टर) हो सकता है। इस प्रश्न पर भी बहुत विचार किया गया। हमारा यह विचार नहीं है जो काम उसे पूरा मन लगा कर करना चाहिये उससे उसका ध्यान हटायें। जब एक व्यक्ति बैंकिंग संस्था को अपना पूरा समय दे रहा है तब अन्य समवाय के निदेशक पद को स्वीकार कराके उसका समय उसमें क्यों लगवायें? इसी कारण हमने कुछ नियंत्रण लगाये हैं। रिजर्व बैंक को इस संबंध में सन्तुष्ट किया जाना चाहिये मेरे विचार से दो दशाओं में ही एक जनरल मैनजर अन्य समवाय का निदेशक हो सकता है। एक तो तब जब बैंक के हितों की रक्षा की जानी हो। अर्थात् किसी समवाय के निदेशकों की बैठक में उसकी उपस्थिति इसलिये आवश्यक हो कि वह अपने बैंक की ओर से अपने हितों का ध्यान रखने वहां जाय। एक चीज यह हुई। दूसरी चीज़ सरकारी निगमों के बारे में है। यदि हम इस प्रकार की व्यवस्था रख देंगे कि वह किसी अन्य समवाय का निदेशक नहीं बन सकता है तो किसी अन्य संस्था, यहां तक कि सरकारी संस्था में भी हम उसके अनुभवों का लाभ नहीं उठा पायेंगे। संभव है कि एक छोटी जगह पर एक छोटा समवाय स्थापित किया जा रहा हो जिसमें उसके अनुभवों का लाभ उठाया जा सके। इसीलिये हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इन मामलों में भी बैंक का जनरल मैनजर अन्य समवाय का निदेशक बन सके। इसलिये इस संबंध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जाना चाहिये।

श्री प्रभातकार ने बार बार धारा १० के बारे में कहा है। उनका कहना है कि इस धारा को रखना आवश्यक नहीं है तथा जब हानि हो तब लाभांश की घोषणा से पूर्व उस हानि को पूरा क्यों नहीं किया जाना चाहिये। मेरे विचार से धारा १० से सरकार का विचार स्पष्ट हो जाता है। धारा १० में रखा गया है कि एक बैंकिंग समवाय स्वीकृत प्रतिभूतियों में विनियोजनों के अवमूल्यन को, ऐसे मामलों में जिनमें ऐसे अवमूल्यन को पूंजीकृत नहीं कर लिया गया हो अथवा हानि में शामिल नहीं कर लिया गया हो, बट्टे खाते डाले बिना लाभांश दे सकता है। जब बिक्री नहीं होगी तब हानि नहीं होगी। पहले इस संबंध में कुछ शंका थी कि क्या इस प्रकार की धारणा संबंधी हानि के लिय वह कोई व्यवस्था कर सकते हैं, जब वास्तव में कोई बिक्री नहीं हुई हो। परन्तु अब हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जहां कहीं स्वीकृत प्रतिभूति की बिक्री न हो इस प्रकार की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वह स्वीकृत प्रतिभूति नहीं है, और अंशों, ऋण-पत्रों और बन्ध पत्रों आदि में विनियोजन है तो उन्हें अपने लेखापरीक्षकों की संतुष्टि करते हुये व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि लेखापरीक्षक कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहेगा क्योंकि उसको अपना खतरा होगा। हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था का विनियमन हो जाय तथा अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो जाय। इसके अतिरिक्त हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं।

[डा० बे गोपाल रेड्डी]

श्री राम कृष्ण गुप्त ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि जहां तक संभव हो बैंकों को दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि बैंकों का विलीनीकरण कर दिया जाना चाहिये क्योंकि बैंकों को दिवालिया घोषित करने से पैसा जमा करने वालों, अंशधारियों आदि को बहुत हानि होती है। हम सामान्यतः इस सिद्धांत से सहमत हैं कि साधारण रूप में दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिये। रिजर्व बैंक भी अन्य बैंकों को यह परामर्श देने का प्रयत्न कर रहा है कि कठिनाई होने पर उन्हें अन्य बैंकों के साथ विलीन हो जाना चाहिये। विलीनीकरण आदि के बारे में रिजर्व बैंक ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन में पूरे ब्यौरे दिये हैं। "१९५८ वर्ष में भारत में प्रगति" नामक पुस्तिका के पृष्ठ १५ के पैरा ४१ में उन्होंने लिखा है :—

> "गत दो वर्षों में बैंकिंग पद्धति में जो विशेष विकास हुआ है वह बैंकों का आपस में विलीनीकरण है। इस वर्ष रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन नेशनल बैंक (मावेलिक्करा) के बैंक आफ न्यू इंडिया (त्रिवेन्द्रम) में मिल जाने की, हिन्द बैंक (कलकत्ता) के बैंक आफ मदुरा (मदुरै) में मिल जाने की योजनाओं को स्वीकार किया दिसम्बर १९५८ में मद्रास सिटी बैंक (कोयम्बटूर) ने अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को कोचीन कमर्शियल बैंक (कोचीन) को हस्तांतरित किया। इसके अतिरिक्त दक्षिण क्षेत्र में तीन अननुसूचित बैंक, एक अननुसूचित बैंक में मिलने का विचार कर रहे हैं। वर्ष के अन्त में दक्षिण क्षेत्र का एक अनुसूचित बैंक के दूसरे अनुसूचित बैंक में विलीनीकरण के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा था।"

इससे स्पष्ट हो जाता है कि रिजर्व बैंक प्रयत्न कर रहा है कि बैंकों का विलीनीकरण हो जाय और वह दिवालिया घोषित न हों। यह एक बड़ी ही अच्छी बात है तथा मैं चाहता हूं कि जब भी किसी बैंक को कोई कठिनाई हो, तो उस बैंक को दिवालिया घोषित होने के बजाय किसी बैंक में विलीन होने को सहमत हो जाना चाहिये।

श्री भरूचा ने पूछा कि आपने इतने अधिक अधिकार क्यों ले रखे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि जब भी दोषसिद्धि में नैतिक पतन का मामला हो, तो पद से हटाये जाने अथवा अनर्हता का उपबन्ध अवश्य लागू होना चाहिये। हमने नैतिक 'पतन' की परिभाषा जानने की कोशिश की है। जब भी प्राधिकारी फैसला देते हैं उस समय वह यह नहीं कहते हैं कि सजा नैतिक पतन के कारण दी गई है। "नैतिक पतन" बड़े व्यापक और अस्पष्ट शब्द हैं, हमने जानबूझकर इस धारा को इस प्रकार रखा है।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के अधीन नैतिक पतन के अपराध से कर्मचारी की पदच्युति हो सकती है।

डा० बे० गोपाल रेड्डी : आप उचित रवैया अपना सकते हैं। इसमें हम ऐसे अधिकार दे रहे हैं जिससे इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन को रोका जा सके। मान लीजिये एक व्यक्ति ने रेडियो लाइसेंस नहीं लिया तो उस पर जुर्माना हो सकता है, लेकिन क्या इस जुर्माने के कारण उसे भविष्य में रेडियो रखने के लिये मना कर दिया जाय? इसीलिये हमने यह कहा है कि यह कोई ऐसा काम होना चाहिये जो रिजर्व बैंक की राय में निक्षेपकों के लिये अनुचित हो। इसलिये रिजर्व बैंक को और अधिकार दिये जाने चाहिये। रिजर्व बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग यों ही बिना किसी कारण तो नहीं करेगा।

---

†मूल अंग्रजी में

बैंक की परिभाषा के बारे में श्री भरूचा ने कहा कि इसको निक्षेपों, लेन, देन, आदि से सम्बद्ध क्यों न कर दिया जाये। बैंक के पुराने अर्थ को लेते हुये बैंक उनको माना जाता है जिनमें से धन चैक से निकाला जाता है लेकिन हमने जरा यहां फर्क रखा है क्योंकि हो सकता है कि किन्हीं बैंकों में सिर्फ रुपया जमा करवाया जाता हो। जिन बैंकों में सभी प्रकार के बैंक सबंधी आदान प्रदान न होते हों हम उन्हें बैंकिंग अधिनियम के अधीन नहीं लाना चाहते हैं। हमने इन सभी बातों पर विचार किया है।

निरीक्षण के लिये बहुत अधिकार दिये गये हैं। आयकर की धारा ३७ से ३९ के अधीन प्राधिकारी अभिलेखों को मंगा सकता है तथा उनका परीक्षण कर सकता है। इसलिये कर अपवचन के लिये पर्याप्त उपबन्ध हैं।

उच्च न्यायालयों के प्रतिष्टम्भ के बारे में हमने पुराने बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ३९ तथा ४० में इसी प्रकार के उपबन्ध रखे हैं। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। जब रिजर्व बैंक ने जांच आरम्भ करनी हो तो उच्च न्यायालय बीच में नहीं आ सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्रता से काम कराने के लिये आवश्यक है कि इस प्रकार का उपबन्ध रखा जाये।

मुझे प्रसन्नता है कि सभा इन प्रस्तावों का स्वागत कर रही है तथा रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। निश्चित है कि रिजर्व बैंक इन अधिकारों का उपयोग देशहित में ही करेगा तथा व्यक्ति विशेष के लिये नहीं करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि बैंकिंग समवाय तथा सभासदों सभी ने इसका समर्थन किया है।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या माननीय मंत्री का विचार है कि खंड २७, मूल अधिनियम की धारा ३९ तथा ४० के समान ही हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** लगभग समान हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ५ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ से ५ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड ६ से ९ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"खंड १० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रजी में

खण्ड ११ (धारा १७ तथा १८ के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना)

†**श्री प्रभात कार** : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में सरकारी बैंक अथवा डाक बचत बैंक के निक्षेप को भी शामिल कर लिया जाये ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : इस संशोधन के प्रस्तुत किये जाने के बाद भी इस मामले पर विचार किया गया । मेरे विचार से 'केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई बैंक' शब्द पर्याप्त हैं । 'बचत बैंक लेखा' शब्द रखे जाने पर इस अधिनियम में रखे गये उपबन्धों के विपरीत बात हो जाती है ।

सहकारी बैंक के सम्बन्ध में एक कठिनाई है । हम नहीं चाहते कि भारत के सभी सहकारी बैंक इस वर्ग के अधीन आ जायें । इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२ से ३६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक'को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं केवल यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री कृपया मेरे प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर दें । उन्हों ने अभी कहा कि उच्च न्यायालय उस अवधि को बढ़ाने के लिये कोई आदेश नहीं देगा, जिस अवधि के लिये उस उपधारा के अधीन समवाय के विरुद्ध समस्त कार्यवाही का शुरू किया जाना या जारी रखना रोक दिया गया था । मैं समझता हूं कि हमें ऐसे शब्द नहीं रखने चाहियें जिन के कारण उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का स्पष्टतया उल्लंघन होता हो । उन्हों ने मूल अधिनियम की धारा ४० का जिक्र किया । उस में दिया है कि उच्च न्यायालय यदि संतुष्ट हो तो ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता है कि समवाय निक्षेपकों को पूरी धनराशि दें । परन्तु इस अधिनियम में आप ने संतुष्ट शब्द न रख कर एक दम यह शब्द रख दिये हैं कि उच्च न्यायालय रिजर्व बैंक के कार्यों के सम्बन्ध में अवधि नहीं बढ़ायेगा । यह बात हम बिकुल नहीं समझ पाये हैं और आशा करते हैं कि मंत्री महोदय इस को पूर्णतया स्पष्ट कर देंगे ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : श्रीमान, मैं माननीय मित्र श्री नायर की बात स्पष्ट करना चाहता । पुराने अधिनियम की धारा ३९ में दिया है कि उच्च न्यायालय द्वारा बकिंग समवाय के समाप्त किये जाने के बारे में आवेदन पत्र देने पर रिज़र्व बैंक भारत का राज्य

†मूल अंग्रजी में

बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई बैंक बैंकिंग समवाय का परिसमापक पदाधिकारी बना दिया जायेगा। इस प्रकार उच्च न्यायालय का काम इसमें कोई होता ही नहीं है। धारा ४० मुकदमे को रोकने के बारे में है। हम ने खण्ड २५ में यही व्यवस्था रखी है।

†**श्री वें० प० नायर** : इस खण्ड के शब्द ठीक नहीं हैं।

†**श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** : शब्दों पर आपत्ति है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : शब्दों से भावना अधिक महत्वपूर्ण होती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक

†**तेल और खान मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम संसाधनों के विकास और पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन व बिक्री के लिये एक आयोग की स्थापना का और तत्सम्बन्धी बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं, इस अवस्था पर, इस विधेयक के कुछ खण्डों का उल्लेख करना चाहता हूं और वर्तमान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक संविहित आयोग में बदलने के लिये इस विधेयक को यहां रखने के कारणों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

वर्तमान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना १९५६ में एक सरकारी संकल्प द्वारा की गई थी। अभी भी वह एक सरकारी विभाग है। १९५६ के बाद, मंत्रालय ने उसे कुछ और शक्तियां प्रदान कर दी थीं। लेकिन आयोग की कार्यक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से वे शक्तियां बहुत अपर्याप्त थीं। इसलिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का काम सरकारी व्यवस्था के ढांचे में और अन्तर-मंत्रालयीय नियंत्रण के नित्य-प्रति के तरीक़ों से ही चलता रहा। लेकिन अनुभव से यह पता चला कि तेल की खोज के कार्यक्रम की कुछ ऐसी खास पेचीदगियां हैं, और उस के संगठन का आकार तथा काम का फैलाव इतना बढ़ता जा रहा है कि वर्तमान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ढांचे में उसे पूरा अंजाम नहीं दिया जा सकता। फिर भी, अपनी सीमित शक्तियों से ही, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये जी-तोड़ प्रयास किया। उस के निर्धारित लक्ष्य सभी सुलभ विशेषज्ञों के परामर्श से तय किये गये थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनको पूरा नहीं किया जा सका। उस के भी कई बड़े सही और उचित कारण हैं। सब से महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि हम एक ऐसी अवस्था पर पहुंच गये थे, जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अपनी सीमाओं में रहते हुए तेल की खोज के कार्यक्रम में इतनी शीघ्रता नहीं लाई जा सकती थी, जो कि उस के लिये परम आवश्यक थी। हमने दिसम्बर १९५५ में इस काम को बिलकुल ही नया आरम्भ किया था। उस से पहले सरकार तेल अनुसंधान या इस तेल के व्यापार के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। उस समय हमारी नीति भी आज से बिल्कुल भिन्न थी। सरकार के पास कोई भी तेल संबंधी भू-तत्वीय विशेषज्ञ नहीं था और न कोई तेल सम्बन्धी टेकनीशियन ही। हमें बिल्कुल ही नया काम शुरू करना पड़ा था। उस के बाद ही सरकार ने अपनी नीति निरूपित की थी। सरकार ने सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

क्षेत्र में उसे शुरू करने के सारे कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का सारा दायित्व मंत्रालय को सौंपा था। हम ने तुरन्त ही विदेशी विशेषज्ञों, और खास तौर से सोवियत रूस और रूमानिया के तेल के भू-तत्वीय विशेषज्ञों की सहायता से प्रशिक्षण इकाइयां बना दीं और कार्यकर्ताओं का एक दल संगठित कर के एक छोटे पैमाने पर काम शुरू कर दिया था। लेकिन जल्दी ही, हम ने अनुभव किया कि हम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दायित्वों को बहुत कम कर के आंक रहे थे। इसीलिये, हम ने सरकारी नियमों और विनियमों तथा अन्तर-मंत्रालय-नियंत्रण की सीमाओं में रहते हुए ही, आयोग को जल्द ही और शक्तियां प्रदान कर दीं। हमें आशा थी कि आयोग उन के बल पर अपने लक्ष्य पूरे कर लेगा। लेकिन बहुत जल्द हम ने महसूस किर लिया कि वह सम्भव नहीं था।

तेल की खोज का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार का होता है कि उस में निश्चयात्मकता नहीं आ पाती। वर्ष भर के लिये बनाये गये आय-व्ययक या प्राक्कलनों में अक्सर घटा-बढ़ी होती रहती है। इस के अलावा, तेल के अनुसंधान के कार्यक्रम में भी, उस की योजना में भी समय-समय पर रूपभेद होते रहते हैं। जब तब किये जाने वाले प्रविधिक मूल्यांकन के फलस्वरूप उस की योजना में परिवर्तन होते रहते हैं। हम एक किसी मूल्यांकन को आधार मान कर कुछ प्राविधिक प्राक्कलन करते हैं, लेकिन अमल में देखते हैं कि सैद्धान्तिक प्रविधिक आधार पर किये गये पहले के सभी प्राक्कलन ग़लत थे। तब हमें उस की पूरी तसवीर ही बदल देनी पड़ती है। इसी अनिश्चयात्मकता को देखते हुए, हम ने महसूस किया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अपने कार्यक्रम बनाने और उसे कार्यान्वित करने के मामले में कुछ अधिक स्वतन्त्रता रहनी चाहिय, उसे कुछ अधिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये और उस पर नियंत्रण भी कुछ कम ही रखना चाहिये। सरकारी विभाग के रूप में काम करने पर यह सब मुमकिन नहीं था।

आप खुद देखिये कि आयोग के काम का फैलाओ कितना बढ़ गया है। १९५६ में, नया-नया काम शुरू करते समय, हमारे पास तेल संबंधी भू-तत्वीय विशेषज्ञ एक-दो ही थे जो भारत के 'भौगोलिक सर्वेक्षण' से हमन ले लिये थे। अब उसकी संख्या बढ़कर भारतीय विशेषज्ञों की १६९ और विदेशी भू-भौतिक विशेषज्ञों की दो तक पहुंच गई है। इस योजना की समाप्ति तक, हमारा प्रस्ताव है कि हम ५४५ भू-तत्वीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर लेंगे और काम दे देंगे। इसकी योजनायें बन चुकी हैं। यदि हम बिना साफ किये हुये तेल की निर्धारित मात्रा तक उत्पादन करन के कार्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं तो हमें इस योजना की समाप्ति तक ५४५ भू-तत्वीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर ही लेना चाहिये। यदि हमारी योजनायें पूरी होती जायेंगी, तो इस योजना की समाप्ति तक हमारे पास कुल ८९० तेल संबंधी भू-तत्वीय विशेषज्ञ हो जायेंगे। अभी हमारे पास लगभग १७६ तेल संबंधी भू-भौतिकी विशेषज्ञ हैं, हम चाहते कि तीसरी योजना की समाप्ति तक उनकी संख्या ८०० हो जाये। अभी हमारे पास छिद्रण-विशेषज्ञ और अन्य टेकनीशियनों में ३७८ भारतीय और लगभग ६० विदेशी मौजूद हैं। छिद्रण की नयी टेकनीक के कारण इस संगठन का सबसे मुश्किल काम यही है। इस योजना की समाप्ति तक, उनकी संख्या ३७८ से २,०८५ हो जायेगी और तीसरी योजना की समाप्ति तक हमारे पास ६,००० छिद्रण विशेषज्ञ हो जायेंगे।

तेल संबंधी टेकनीशियनों को ढूंढना, और पूर्व में सिबसागर, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में होशियारपुर और काश्मीर तथा दक्षिण में गोदावरी और तिरुचिरापल्ली तक फैले हुये इस विशाल भू-भाग में काम करना—यह सारी समस्या इतनी भीमकाय है, कि इसको हल करने के लिये आयोग को कुछ अधिक स्वायतता दी ही जानी चाहिये। यह तो हम सभी समझ सकते हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : यह अधिनियम काश्मीर पर लागू नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : लेकिन उनकी सहमति से, हमें वहां तेल खोजने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, यदि उसकी संभावनायें हों ।

इन तीन वर्षों में हमने कुछ थोड़ा कार्य किया है हम अधिक कुछ नहीं कर सके, इस के दो मुख्य कारण हैं । एक तो यह कि हमारे पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं । मैं पर्याप्त शक्तियों की आवश्यकता के उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं । वास्तव में, आज से ग्यारह महीने पहले, १९५८ में, जब खम्भात में तेल का पता चला था तभी हमने महसूस कर लिया था कि अब इस अवस्था पर भी यदि हमें पर्याप्त शक्तियां प्रदान न की गई तो हमारी सारी प्रगति रूक जायेगी । उस समय हमने किसी तरह कुछ अधिक शक्तियां ले ली थीं और हमारा ख्याल था कि उनसे कुछ समय तक तो काम चल जायेगा । लेकिन निराशा यह देखकर हुई कि उनके कारण कोई उत्साहजनक प्रगति नहीं हो सकी । तभी हमरे वर्तमान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक संविहित आयोग का रूप देन के प्रश्न पर विचार करना शुरू किया था, एक एसा संविहित आयोग जिसके पास शक्तियां भी अधिक व्यापक हों और जिस पर सरकारी नियंत्रण भी इतना अधिक न हो ।

वित्तीय दृष्टि से भी, हमारे कार्यक्रम का आकार देखिये । आयोग पर १९५६–५७ में लगभग ८० लाख, १९५७–५८ में २०५ लाख और १९५८–५९ में २७८ लाख रुपये व्यय किया गया । अब इस चालू, वर्ष १९५९–६० में हम ६५० लाख रुपये की व्यवस्थी कर ही चुके हैं और हमारा ख्याल है कि वर्ष के अन्त तक पूजी वस्तुओं के लिये ६०० लाख रुपय की और जरूरत पड़ेगी । अर्थात्, इस वर्ष के अन्त तक आयोग पर लगभग १२ करोड़ रुपये व्यय हो जायेंगे ।

इस प्रकार, पिछले तीन वर्षों में, वित्तीय दृष्टि से, हमारा कार्य १२ गुना बढ़ चुका है । प्राविधिक कार्यकर्त्ताओं पर होने वाला व्यय ८ गुना बढ़ चुका है ।

जब हमने काम शुरू किया था, तब हमारे पास केवल तीन गहरे छिद्र थे । अब हमारे ७ गहरे छिद्र सारे देश में फैले हुए हैं । अब छिद्रण-दल के संगठन का कार्य बहुत ही पेचीदा ढंग का हो गया है अब छिद्रण दल को कई तरह के टेकनीकल कार्यक्रमों को चलाना पड़ता है और यदि अधिकारियों को समय समय पर अपने पहले के आदेशों तथा निर्देशों को बदलने और अनुदेशों में रूपभेद करने का प्राधिकार न दिया जाये तो काम आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता । कभी-कभी तो सारे छिद्रण कार्य में ही परिवर्तन कर देना पड़ता है ।

उदाहरण के तौर पर, मैं आपको ज्वालामुखी कुंआ संख्या १ का मामला बताता हूं । हमने जब उसके छिद्रण का कार्य आरम्भ किया था तब हमारा अनुमान था उसके पूरा होने में ११ महीने लगेंगे । इसीलिये हमने अपने आय-व्ययक में ज्वालामुखी कुंआं संख्या २ के लिये एक करोड़ रुपये की राशि रखी थी । यह दूसरा कुंआं पहले कुंएं के परिणाम देखने के बाद ही शुरू किया जाना था । लेकिन पहले कुंएं में २८ महीने लग गये । जाहिर है कि तब एक करोड़ रुपये का उपयोग न हो सका और उसे वापस कर देना पड़ा । इस पर, हमारे ऊपर यह दोष लगाया गया कि हमने जरूरत से ज्यादा राशि ले ली थी मेरे सहयोगी, वित्त मंत्री न कहा था कि मैंने दूसरों का हिस्सा छीन लिया था ।

इस तरह की बातों से तभी बचा जा सकता है जबकि हमें एक निश्चित राशि दे दी जाये और उसी में अपना काम चलाने का प्राधिकार दिया जाय, जिससे कि हम काम की जरूरत के अनुसार, काम की आसानी देखते हुये, उस राशि को व्यय कर सकें । हम विभिन्न मदों पर काम की आसानी के मुताबिक राशियां व्यय कर सकें और जरूरत पड़ने पर एक मद के लिये रखी गई राशि दूसरी मद पर व्यय कर सकें । इन सभी चीजों पर गौर किया जाना चाहिये । वित्त मंत्रालय के सामने एक ऐसा आय-व्ययक रखा जाना चाहिये जिसमें जरूरत के मुताबिक रूपभेद और कटौती की जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीयव]

हालांकि ज्वालामुखी कुंआं संख्या १ से हमें काफी आशायें बन्ध गई हैं, फिर भी हम अभी तक यह तय नहीं कर पाये हैं कि कुंआं संख्या २ बनाया जाय, या नहीं।

एक और उदाहरण लीजिये। १९५६–५७ में काम शुरू करते समय सोवियत विशेषज्ञों ने हमसे एक कार्यक्रम को अपनाने की सिफारिश की थी। वह सिफारिश १९५६–५७ में भारत में तेल-गैस के अनुसंधान कार्य संबंधी सोवियत विशेषज्ञों के प्रतिवेदन में की गई थी। उसमें १९५६–६१ के लिये कार्यक्रम की एक जो सामान्य रूप रेखा पेश की गई थी मैं उसकी चार-पांच पंक्तियां पढ़ कर सुनाता हूं। यह प्रतिवेदन आज से ६ वर्ष पहले तैयार किया गया था। [**अन्तरर्बाधायें**]।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : उन्होंने द्वितीय योजना काल के लिये कार्यक्रम तैयार किया था।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि तब क्या हो रहा था। प्रतिवेदन में कहा गया था :—

> "आगामी पांच वर्षों में पंजाब और राजस्थान (जैसलमेर क्षेत्र) इन दो राज्यों पर ही सारा ध्यान लगाना अच्छा रहेगा क्योंकि इनका ही सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया है और इनमें संभावनायें भी काफी उत्साहप्रद हैं। साथ ही, गंगा घाटी और पश्चिमी बंगाल में भू-तत्वीय और भू-भौतिकीय खोजबीन तथा परीक्षण के तौर पर गहरे छिद्रण का कार्य करना; खम्भात क्षेत्र में भू-तत्वीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण तथा 'कोर' छिद्रण कार्य करना; और मद्रास तट पर भू-भौतिकीय तथा भू-तत्वीय खोजबीन करना अत्यावश्यक है। बाद के वर्षों में, अनुसंधान कार्य के प्रसार के लिये बाद के इन प्रदेशों को संरक्षित रखा जा सकता है, और यदि पहले दो प्रदेशों में सफलता न मिले तो इन से उसकी पूर्ति की जा सकती है। १९५६–६१. के दौरान में, तेल तथा गैस की खोज का मुख्य निर्माण कार्य यह हैं:—"

१९५६–५७ के लिये, ज्यादा जोर पंजाब और जैसलमेर क्षेत्र पर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या ? पंजाब में छिद्रण-कार्य प्रारम्भ करते समय हमें बड़ी-बड़ी आशायें थीं कि वहां हमारा तेल सर्वेक्षण कार्यक्रम काफी आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले होशियारपुर में चलने वाला छिद्रण-कार्य समाप्त हुआ है और वहां तेल या गैस का कोई पता ही नहीं चला है। पिछले दो वर्षों में हमें अपने पूरे मूल्यांकन को ही बदल देना पड़ा है। पंजाब बेसिन में ही हम काम केन्द्रित किये हुये थे। उसी की सिफारिश की गई थी। लेकिन हमें पंजाब बेसिन के सारे भू-तत्वीय मूल्यांकन को ही बदल देना पड़ा है। वैसे पंजाब बेसिन के समूचे क्षेत्र से हमें अभी भी आशायें हैं और किसी दिन वहां अवश्य ही तेल और गैस मिलेगी। फिर भी, विशेषज्ञों ने पांच-छै वर्षों पूर्व जिस क्षेत्र की सिफारिश की थी, उसे तो इस समय करीब करीब छोड़ ही दिया है। इसी प्रकार, आज से पांच-छः वर्षों पूर्व हमें जैसलमेर क्षेत्र से भी बड़ी-बड़ी आशायें थीं, लेकिन अभी तक वहां भी कोई ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। हम वहां प्रयास करते रहेंगे यदि हमें कोई नई सम्भावनायें दिखती रहीं। इस बीच में, खम्भात में तेल का पता चला है, लेकिन उसका प्रविधिक मूल्यांकन अब पहले से बिल्कुल ही बदल गया है। उस समय कुल मिला कर खम्भात से इतनी आशायें नहीं थी। वह तो बाद में ही, १९५७–५८ में ही भौमकम्पीय खोज-बीन के फलस्वरूप ही खम्भात से अधिक आशायें बंध

---

†मूल अंग्रेजी में

गई हैं और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस क्षेत्र विशेष में छिद्रण करने का निर्णय किया। इस प्रकार, हमें विशेषज्ञों की सिफारिशों से कुछ भिन्न दिशा में आगे बढ़ना पड़ा है। यह भी उन विशेषज्ञों के साथ पूरी तौर से परामर्श करके ही किया गया है। यह मामला ही ऐसा है, कि कोई भी बिल्कुल निश्चयात्मक रूप से किसी क्षेत्र विशेष के बारे में पहले से नहीं बता सकता। जब भौक-पोय खोजबीन से आपको किसी क्षेत्र से कुछ आशा हो पाती है, तब कोई भी विशेषज्ञ नहीं कह सकता कि उस क्षेत्र विशेष से कुछ नहीं मिलेगा। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इसी के आधार पर विशेषज्ञों की सिफारिश से इतना हटकर भी काम शुरु करने का निर्णय किया था। उसमें सफलता भी मिली। तब आयोग का सारा ध्यान खम्भात क्षेत्र पर लग गया। मैंने यह सब यही दिखाने के लिये बताया है कि तेल के अनुसंधान-कार्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अनिश्चयत्मकता ही है। इसीलिये, इस आयोग के काम का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को नहीं भुलाना चाहिये कि इस कार्य में हर महीने, हर तीन महीने के बाद पूरा मूल्यांकन एक नये आधार पर करना पड़ सकता है। तेल की खोज करने वाले आयोग को, इसी कारण, पूरी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये जिससे कि वह तेल या गैस की खोज के कार्य में शीघ्रता करने की दृष्टि से समय-समय पर अपने कार्यक्रम में अपेक्षित परिवर्तन और रूप भेद कर सके। सरकारी विभाग की सीमाओं में रहते हुये यह संभव नहीं है। ऐसे कार्य को कारगर बनाने और उसका दायित्व संभालने के लिये हमें इस आयोग को स्वायत आयोग में बदलना ही पड़ेगा।

दूसरे, इस बात पर भी सभा को विचार करना पड़ेगा कि हमें प्रतियोगिता के वातावरण में काम करना पड़ता है। कुछ महीने पहले, कुछ समाचारपत्रों ने हमारी आलोचना की थी कि हमारा काम बड़े धीरे-धीरे चलता है और हमारी व्यय दिन-दिन बढ़ता चला जा रहा है, जब कि निजी व्यवसायिक संस्थायें उसी काम को कहीं कम खर्च में करती हैं। इस सिलसिले में, बढ़ते हुये व्यय की जांच करने और आयोग से कुछ लोगों को हटा देने की मांगें की गई थीं। आयोग को अकार्यक्षमता के लिये मुझे दोषी ठहराया गया था। यह सही है कि हमने उतनी तेजी से और उतनी मितव्ययता के साथ काम नहीं किया जितना कि हमें चाहिये था, और मैं स्पष्ट कहता हूं कि यदि हमें इसी ढांचे में, इन्हीं सीमाओं में रहकर काम जारी रखना पड़ेगा, तो व्यय भी अधिक होगा और समय भी अधिक लगेगा। लेकिन यदि हमें कुछ खतरे उठाने और वर्तमान नियमों तथा विनियमों के मौजूदा ढंग से कुछ हटकर काम करने का अवसर दिया जायेगा, तो निसंदेह ही हम मितव्ययता भी कर सकेंगे और अधिक कार्यक्षमता के साथ और अच्छे परिणाम भी दिखा सकेंगे।

हाल में, खम्भात क्षेत्र में हमारा छिद्रण-काम बन्द हो गया था। इससे पहले भी एक-दो बार कुछ काम बन्द रह चुका है। हमें सरकार से काफी बड़े पैमाने पर खरीदों के लिये वित्तीय मंजूरी मांगनी पड़ी थी। स्वाभाविक ही है, कि वित्त मंत्री द्वारा हमारी मांग के सम्बन्ध में सोच-विचार करने में कुछ समय लग ही जाता है। वित्त मंत्री को सहमत करना हमेशा आसान नहीं होता। शायद नियमों और विनियमों सम्बन्धी कुछ भूलें मुझ से सामान्यतया हुई हैं। इसलिये इस सब में काफी समय लग जाता है इसके बाद क्रय विभाग और फिर निर्माण विभाग से भी परामर्श होता है। होता यह है कि बंगाल में 'स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी" जिस काम को दस पन्द्रह दिन में पूरा कर लेती है, हमें उसमें तीन-चार महीने लग जाते हैं। हमें ५०,००० रुपये की छोटी सी राशि की मंजूरी के लिये भी दस-बीस दिन रुकना पड़ता है। नियमों को देखते हुये, यह अनिवार्य है।

इसीलिये प्रतियोगिता और मितव्ययता की दृष्टि से यह अत्यावश्यक है कि आयोग को अधिक प्राधिकार दिये जायें। इस अवस्था पर यह अत्यावश्यक हो गया है क्योंकि हमें अपनी आशा से अधिक तेल का पता लगा है और ज्वालामुखी क्षेत्र में गैस का भी पता चला है। मैंने यह चार

[श्री के० दे० मालवीय]

महीने पहले ही महसूस कर लिया था। मैं इस विधेयक को पिछले सत्र में ही पेश करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों से वह नहीं किया जा सका था। उस समय कुछ चीजों की जांच चल रही थी। मैंने स्वयं इस विधेयक के सभी पहलुओं को बड़े गौर से देखा है। इसलिये, हमें वैसे ही इसमें चार महीने का विलम्ब हो चुका है। इसलिये मुझे सब से बड़ी चिन्ता यही है कि इस आयोग को तुरन्त ही संविहित रूप दे दिया जाये।

हमारे कार्यक्रम की यह अवस्था अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। हमने उपकरणों की खरीद के लिये अभी-अभी एक करार किया है, जिसमें हमें सात-आठ महीने लग गये हैं। हम बहुत जल्द ही खरीद कर लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें कम से कम विलम्ब हो। एक कुएं के छिद्रण में लगने वाले समय की बचत करने के लिये, हम कुछ चीजों का निर्माण भी कराना चाहते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर देना चाहते हैं। इसलिये कि मैंने कुछ समय पहले वादा किया था कि खम्भात में बनाये जाने वाले कुएं के सम्बन्ध में जनवरी १९६० तक कुछ ठोस परिणामों की घोषणा कर दूंगा। कुआं संख्या २ पूरा किया जा चुका है। और यदि हमें पर्याप्त शक्ति और प्राधिकार न दिया गया तो हम उस क्षेत्र में और सूरत तथा ज्वालामुखी क्षेत्र में कुछ और छिद्रण नहीं कर पायेंगे। हमें अब अधिक बड़े क्षेत्र में कार्य करना है और यदि देश में तेल है तो अधिक परिणाम निकाल कर दिखाने हैं। इस दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभा तुरन्त ही इस विधेयक की स्वीकृति दे दे।

हमारी मौजूदा कठिनाइयां भी बहुत ज्यादा हैं। यहां उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। आशा यही है कि इन शक्तियों के मिलते ही, उनमें से अधिकांश दूर हो जायेंगी। एक मोटे तौर पर इस प्रस्तावों की मुख्य मुख्य बातें यही हैं कि खनिज तेल के अनुसंधान के लिये भू-भौतिकीय और भू-तत्वीय सर्वेक्षण कराये जायें, खनिज तेल के संसाधनों का अनुमान लगाने और उनकी मौजूदगी को साबित करने के लिये छिद्रण और अनुसंधान कार्य किया जाये, इन संसाधनों से तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाय ; उसे परिष्कृत किया जाये और यदि आवश्यक हो तो तेल और प्राकृतिक गैस के उपयोग में वृद्धि की जाये। आयोग अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित कृत्यों को निभाने के अलावा, समय- समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का पालन भी करेगा।

आशा है कि सभा इस विधेयक को स्वीकृति दे देगी और हम जल्द ही इन प्रस्तावों के अनुसार कार्य आरम्भ कर सकेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं इस विधेयक की पुरःस्थापना का स्वागत करता हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस संगठन का कार्य और आकार बहुत काफी बढ़ गया है, इसलिये इस अधिनियमन का पारित किया जाना अत्यावश्यक हो गया है। लेकिन इस विधेयक के कुछ खण्ड त्रुटिपूर्ण हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आप अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो पहले उसे प्रस्तुत करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नलदुर्गकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें स्वामी रामानन्द तीर्थ, श्री पांगरकर, श्री हरिश्चन्द्र माथुर, श्री सोनावने, श्री राने, डा० दे० ना० कामले, श्री गोरे, श्री नाथपाई, श्री के० दे० मालवीय, श्रीमती मफीदा अहमद और श्री नलदुर्गकर हों, और इसे १ सितम्बर, १९५९ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : क्या नियमानुसार, इन माननीय सदस्यों से सहमति प्राप्त कर ली गई है ?

†**श्री नलदुर्गकर** : आशा है कि वे सहमत हो जायेंगे । कुछ से परामर्श कर लिया गया है । शायद दूसरे सदस्य भी असहमत नहीं होंगे ।

इस विधेयक के कुछ खण्डों का स्पष्टीकरण जरूरी है । आशा है माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे । मैं सभा में दो-तीन बार कह चुका हूं कि विधान बनाते समय हमें सावधानी रखनी चाहिये और विधान-निर्मात्री शक्तियों की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये । कभी-कभी हमारे अधिनियम सभा की शक्ति से परे घोषित कर दिये जाते हैं । इसकी गुंजाइश नहीं रहने देनी चाहिये ।

खण्ड २६ के साथ खण्ड ३ को रख कर पढ़ने से यही आशंका पैदा होती है ।

खण्ड ३ में तो बोर्ड का गठन करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को दी गई है, लेकिन खण्ड २६ की व्यवस्था के अनुसार वही शक्तियां आयोग में प्रत्यायोजित कर दी गयी हैं । प्रत्यायोजित विधान के इस सिद्धान्त को न्यायालयों ने उचित नहीं माना है ।

बसु ने "भारत का संविधान" नामक अपनी पुस्तक में कहा है कि कोई भी विधान मण्डलीय आदेश किसी भी अन्य सरकारी विभाग को या किसी भी अन्य प्राधिकार को सामान्य या विशेष तौर पर विधियां अधिनियमित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं कर सकता । वह शक्ति परस्तात होगा । इसलिये खंड २६ की व्यवस्था के अनुसार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को एक दूसरे आयोग के निर्माण की शक्ति प्रत्यायोजित करना, सभा की शक्ति से परे होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १३ अगस्त, १९५९/२२ श्रावण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुधवार, १२ अगस्त, १९५९

२१ श्रावण, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		९७५–१००१
तारांकित प्रश्न संख्या		
३३४	विमान दुर्घटनायें	९७५–७७
३३५	दिल्ली में गन्दी बतिस्यों की सफाई . . .	९७७–७९
३३६	रूपनारायण नदी पर सड़क का पुल . .	९८०–८१
३३७	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ पर तोरसा नदी पर पुल . .	९८१–८२
३३८	सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति . .	९८२–८३
३३९	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमानों का बदला जाना	९८४–८७
३४०	जमाये हुए तेल	९८७–९०
३४१	बिहार में गंगा पर पुल . .	९९०–९१
३४२	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड . . .	९९१–९२
३४३	पंचायतों के सरपंचों को प्रशिक्षण . . .	९९३–९५
३४४	भाखड़ा बांध . . .	९९५
३४५	तुंगभद्रा परियोजना	९९५–९७
३४७	नार्थ ट्रंक रोड	९९७–९८
३४९	राम गंगा नदी पर बांध	९९८
३५१	खाद्य उत्पादन	९९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१	दिल्ली में जंगली जानवार	१०००–०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	. . . .	१००२–६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
३४६	रेलवे लाइन के साथ इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाना . .	१००२

	विषय	पृष्ठ
३४८	मनीपुर में चावल के स्टाक का जब्त किया जाना	१००२
३५०	दिल्ली के गावों में पानी भर जाने के कारण क्षति	१००२–०३
३५२	बम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ पर पुल	१००३
३५३	भारतीय दल . .	१००३–०४
३५४	उड़ीसा से चावल और धान का निर्यात	१००४
३५५	आयुर्वेदिक औषधियां .	१००५
३५६	तदर्थ रेलवे न्यायाधिकरण	१००५–०६
३५७	हवाई डाक सेवा . .	१००६
३५८	ओखला में बड़ी संख्या में मछलियों का मरना	१००६
३५९	गाड़ी में एक महिला से बलात्कार	१००६–०७
३६०	रूरकेला बरसुआ रेलवे लाइन .	१००७
३६१	भूमिगत समीक्षीय केबल योजना	१००७
३६२	रंगपुर के समीप कृष्णा नदी पर पुल	१००७–०८
३६३	काश्मीर में बाढ़ नियंत्रण के लिये बृहद योजना (मास्टर प्लान)	१००८
३६४	घटिया किस्म का कोयला	१००८
३६५	दिल्ली का नजफगढ़ नाला	१००९
३६६	ब्यास नदी पर बांध .	१००९
३६७	परिवहन सहकारी संस्थायें	१००९–१०
३६८	विश्व बैंक की टीम का आगमन	१०१०
३६९	जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन .	१०११
३७०	हिन्दुस्तान शिपयार्ड में दोषयुक्त पोतों का निर्माण	१०११
३७१	"प्रिन्टरग्राम सेवा" . .	१०१२
३७२	चीनी उत्पादन . .	१०१२–१३
३७३	रेलों पर विद्यार्थियों की हुल्लड़बाजी	१०१३
३७४	आंध्र प्रदेश में इस्पात के पुल	१०१४
३७५	उत्तर रेलवे के केबिन . .	१०१४
३७६	कोयला-खानों के लिये माल-डिब्बों की कमी	१०१५
३७७	सफदरजंग-कुतुब मीनार सड़क पर रोशनी	१०१५
३७८	प्रादेशिक तथा राज्य जल निस्सारण बोर्ड . .	१०१५
३७९	बीना-भोपाल तथा अन्नुतुर-कटनी लाइनों का दोहरा करना .	१०१५–१६
३८०	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़-नियंत्रण के लिये धन की व्यवस्था	१०१६

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६००	हिसार और मोहिन्दरगढ़ जिलों में तार व टेलीफोन की सुविधायें	१०१६–१७
६०१	रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद	१०१७
६०२	बीकानेर डिवीजन में प्लेटफार्मों पर छत डालना	१०१७–१८
६०३	सिंचाई के लिये पानी का उपयोग	१०१८
६०४	उत्तर रेलवे में आकस्मिक कर्मचारी	१०१८–१९
६०५	दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिये नयी बसें	१०१९
६०६	उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना	१०१९
६०७	बम्बई राज्य में मुर्गी-पालन उद्योग का विकास	१०२०
६०८	बम्बई राज्य में सिंचाई योजनायें	१०२०
६०९	त्रिपुरा में सहकारी विपणन संस्थायें	१०२१
६१०	अधिक नमक खाने का प्रभाव	१०२१–२२
६११	पत्तन संघों द्वारा उठाये गये मामले	१०२२–२३
६१२	नेपाल द्वारा काठमांडू कलकत्ता विमान सेवा	१०२३
६१३	दिल्ली में दूध संभरण योजना	१०२३
६१४	पशुओं के लिये नमक	१०२३
६१५	टेलीफोन के कनेक्शन	१०२३–२४
६१६	भारत तिब्बत राष्ट्रीय राजपथ	१०२४
६१७	सिंचाई तथा विद्युत के लिये निधियों का प्रयोग	१०२४
६१८	रेलवे कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां	१०२४–२५
६१९	सहकारी समितियों द्वारा ऋण	१०२५–२६
६२०	कलकत्ता में जल संभरण	१०२६
६२१	दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनों का पुनरीक्षण	१०२६
६२२	रेलवे के सामान की खरीद	१०२६–२७
६२३	खतरे की जंजीर	१०२७–२८
६२४	सहकारिता विकास का लक्ष्य	१०२८–२९
६२५	गोदी श्रमिकों की नौकरियों का वर्गीकरण	१०२९
६२६	हिमाचल प्रदेश स्टेट को-आपरेटिव बैंक	१९२९
६२७	हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थायें	१०३०
६२८	हिमाचल प्रदेश में सिंचाई सर्वेक्षण	१०३०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६२९	दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रादेशिक कार्यालय की इमारत	१०३०
६३०	चीनी के कारखाने	१०३१
६३१	नार्वे से सहायता .	१०३१
६३२	बुल्हर ग्रेन डिस्चार्जिंग प्लांट	१०३१
६३३	परिवार नियोजन . .	१०३२
६३४	दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर	१०३२
६३५	तपेदिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र	१०३२
६३६	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें .	१०३३
६३७	गंगा बांध परियोजना	१०३३
६३८	खरीफ आन्दोलन	१०३४
६३९	आगरा में निकट छलेश्वर में भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम	१०३४
६४०	पूना-ढोंड के बीच दोहरी लाइन	१०३४
६४१	जालना-बीर-उस्मानाबाद-शोलापुर रेलवे लाइन	१०३४
६४२	बरौनी से गाड़ियों का बेवक्त चलना	१०३५
६४३	उड़ीसा में चावल और धान की वसूली	१०३६
६४४	कटक में सिटी बुकिंग आफिस	१०३६
६४५	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल	१०३६
६४६	मानसिक स्वास्थ्य सेवायें .	१०३७
६४७	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	१०३७
६४८	रुपया मुद्रा में जहाज का भाड़ा चुकाना .	१०३७-३८
६४९	चम्बा में लकड़ी और इमारती लकड़ी का सर्वेक्षण	१०३८
६५०	पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइनें	१०३८
६५१	पशु नस्ल विकास	१०३९
६५२	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों .	१०३९
६५३	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां	१०३९-४०
६५४	बन्दोवस्त मंत्रणा समिति, मनीपुर	१०४०
६५५	बन्दोवस्त मंत्रणा समिति, मनीपुर	१०४०
६५६	होटलों में शराब पीना . .	१०४०
६५७	दिल्ली-बम्बई जनता गाड़ी में पंखे . .	१०४१

६५८	बमनिया रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल .	१०४१
६५९	मटर, चना और दालों के भावों का बढ़ना .	१०४१
६६०	डाक तथा तार भवन, बर्दवान . . .	१०४१–४२
६६१	सरकारी प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें	१०४२
६६२	दिल्ली की अजमेरी गेट की गन्दी बस्ती की सफाई सम्बन्धी योजना	१०४२–४३
६६३	सीतारामपुर जंक्शन . .	१०४३
६६४	बम्बई-पूना सेक्शन पर गाड़ियों का विलम्ब से चलना .	१०४४
६६५	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) .	१०४४–४५
६६६	रूरकेला में डाक कर्मचारी	१०४५
६६७	आयुर्वेद पद्धति के अनुसार चिकिसा	१०४५
६६८	नई दिल्ली में जल संभरण	१०४६
६६९	हिमाचल प्रदेश में भूमि की चकबन्दी	१०४६
६७०	परभनी-लतूर रेल सम्पर्क	१०४६–४७
६७१	सुल्तानपुर परियोजना	१०४७
६७२	कृष्णपुरम हवाई अड्डा	१०४७–४८
६७३	पंजाब में खोले गये डाकघर	१०४८
६७४	पूर्वोत्तर रेलवे पर बिना टिकट यात्रा	१०४८
६७५	नागार्जुन सागर नियंत्रण बोर्ड .	१०४८–४९
६७६	छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	१०४९
६७७	राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन	१०४९
६७८	त्रिपुरा में सिंचाई की छोटी योजनायें	१९४९–५०
६७९	स्टेट कोआपरेटिव बैंक, त्रिपुरा .	१०५०
६८०	डाक तथा तार भवन, जम्मू तथा काश्मीर	१०५०–५१
६८१	राजस्थान सरकार पर बकाया रेडियो लाइसेंस शुल्क . .	१०५१
६८२	पत्तन मजदूर	१०५१–५२
६८३	मनीपुर में पुल . .	१०५२
६८४	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को लोगों को डाकियों के रूप में भर्ती करना .	१०५२–५३

६८५	गंगटाक सड़क . . .	१०५३
६८६	त्रिपुरा में बाढ़ . . .	१०५३
६८७	प्रसकंर मक्का . .	१०५३
६८८	बड़ौदा स्टेशन के 'डी' केबिन के पास स्थित खम्भा	१०५४
६८९	रासायनिक उर्वरक .	१०५४
६९०	विदेशों के लिये डाक शुल्क में वृद्धि .	१०५४–५५
६९१	जहाज मालिकों द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड को भुगतान करने में विलम्ब .	१०५५
६९२	हिन्दुस्तानी शिपयार्ड में चल क्रेन का बन्द होना	१०५५–५६
६९३	हिन्दुस्तान शिपयार्ड .	१०५६
६९४	हिन्दी तार सेवा . .	१०५६
६९५	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये नये प्राथमिक स्कूल	१०५६–५७
६९६	दादरी रजबहा .	१०५७
६९७	उच्च स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम	१०५७–५८
६९८	नर्सिंग कालिज	१०५८
६९९	चिकित्सा कालिज	१०५८
७००	गोदावरी पर रेलवे पुल की मरम्मत	१०५८
७०१	सामुदायिक विकास कान्फ्रेंस	१०५९
७०२	रेल डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर . .	१०५९
७०३	दक्षिण रेलवे पर रेलगाड़ी का लाइन से उतरना	१०६०
७०४	मदरै में रेलगाड़ी का पटरी से उतरना .	१०६०–६१
७०५	सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं के लिये राज्यों को दिये गये केन्द्रीय ऋणों की वसूली .	१०६१
७०६	समुद्री घास से खाद्य उत्पादन	१०६१–६२
७०७	लाहौल घाटी में मेवा अनुसन्धान केन्द्र	१०६२

स्थगन प्रस्ताव १०६२–६५

उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) पश्चिमी बंगाल में चावल की कमी और उसके ऊंचे मूल्य — श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

(२) लंका पुलिस द्वारा कोलम्बो स्थित भारत के उच्चायुक्त के अहाते में केरल प्रदर्शनकारियों पर बेटन चार्ज — सर्वश्री हेम बरूआ और साधन गुप्त

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०६६

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिनांक १ अगस्त, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १७०९ की एक प्रति ।

(२) वर्ष १९५५–५६ के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १६ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८३७

(दो) दिनांक २३ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८७४

(तीन) दिनांक २७ जुलाई, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८७७ जिसमें चीनी (यातायात नियंत्रण) आदेश १९५९ ।

(चार) चावल और धान (आंध्र प्रदेश) दूसरे मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक १ अगस्त, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ८९३ ।

(पांच) अन्तर्खंडीय गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ८ अगस्त, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या ९२५ ।

(४) अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५९–६० के सम्बन्ध में एक सदस्य से प्राप्त ज्ञापन के उत्तर वाले एक वक्तव्य की एक प्रति ।

विधेयक पुरस्थापित १०६७

आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९ ।

विधेयक पारित १०६७–९५

(१) भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा

समाप्त हुई । खंडवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में पारित हुआ ।

(२) राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने प्रस्ताव किया कि बैंकिग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . १०९५—११०१

खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने प्रस्ताव किया कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, १३ अगस्त, १९५९/२२ श्रावण, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक पर अग्रेतर विचार तथा उसे पारित करना और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन पर विचार।